



सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन

कार्यक्रम अंदाजपत्रक

२०२२-२०२३

गृह विभाग

(भाग - २)

(राज्य उत्पादन शुल्क)

कार्यक्रम अंदाजपत्रक

२०२२-२०२३

गृह विभाग

(भाग-२)

(राज्य उत्पादन शुल्क)

गृह विभागाने तयार केलेल्या कार्यक्रम अंदाजपत्रकांची यादी

| कार्यक्रम अंदाजपत्रक क्रमांक | कार्यक्रम अंदाजपत्रकाचे नाव |
|---------------------------------|------------------------------------|
| १ | .. गृह विभाग (सर्वसाधारण) |
| १ | .. Home Department (General) |
| २ | .. गृह विभाग (राज्य उत्पादन शुल्क) |
| २ | .. Home Department (State Excise) |
| ३ | .. गृह विभाग (परिवहन) |
| ३ | .. Home Department (Transport) |
| ४ | .. गृह विभाग (पोलीस) |
| ४ | .. Home Department (Police) |
| ५ | .. गृह विभाग (कारागृह) |
| ५ | .. Home Department (Jail) |

अनुक्रमणिका

| अ. क्र. | कार्यक्रमाचा तपशील | पृष्ठ क्रमांक |
|------------|--|------------------|
| १. | प्रस्तावना | .. ०१ |
| २. | रचनात्मक तक्ता | .. ०९ |
| ३. | समग्र कार्यक्रम | .. ११ |
| ४. | विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध अनुज्ञप्त्यांचे प्रकार व त्यांचा उद्देश | .. १६ |
| ५. | मळी व्यतिरिक्त इतर पदार्थांपासून/धान्यांपासून मद्यार्क निर्मितीकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या कार्यरत नमुना " I " अनुज्ञप्तींची यादी. | .. १८ |
| ६. | मळीपासून मद्यार्क निर्मितीसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या कार्यरत नमुना " I " अनुज्ञप्तींची यादी | .. २० |
| ७. | रि-डिस्टीलेशन व पॉट डिस्टीलेशन मद्यार्क निर्मितीकरिता कार्यरत असलेल्या नमुना " I " अनुज्ञप्तींची यादी | .. २९ |
| ८. | देश मद्य निर्मितीकरिता कार्यरत सीएल-1 अनुज्ञप्तींची यादी | .. ३० |
| ९. | भारतीय बनावटीची विदेशी मद्य निर्मितीकरिता कार्यरत पीएलएल अनुज्ञप्तींची यादी | .. ३३ |
| १०. | बीअर निर्मितीकरिता कार्यरत बीआरएल अनुज्ञप्तींची यादी | .. ३६ |
| ११. | उत्पादन शुल्क आकारण्यात येणाऱ्या वस्तूच्या वाहतूक, आयात, निर्यात, विशेष शुल्क याबाबतचे अबकारी करांचे दर. | .. ३८ |
| १२. | मद्याचे कमाल विक्री किंमत निर्धारित करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सुत्राचा तपशील | .. ४२ |
| १३. | सन २०२२-२०२३ करिता मळीचे अंदाजपत्रक | .. ४३ |
| १४. | सन २०२२-२०२३ करिता मद्यार्काचे अंदाजपत्रक | .. ४३ |
| १५. | मळी, देशी-विदेशी दारू, बीअर व वाईन इत्यादी संबंधीची माहिती | .. ४५ |
| १६. | मळीची उपलब्धता दर्शविणारे विवरणपत्र | .. ४७ |
| १७. | आसवनी व मद्य/बीअर निर्माणींची संख्या | .. ४८ |
| १८. | देशी/विदेशी मद्य ठोक व किरकोळ विक्री अनुज्ञप्तींची संख्या | .. ४८ |
| १९. | एकूण अर्थसंकल्पाचा कार्यक्रमनिहाय तपशील | .. ४९ |
| २०. | सन २०२२-२०२३ च्या वार्षिक योजनांचे विवरण | .. ५० |
| २१. | वित्तीय आवश्यकता | .. ५६ |
| २२. | निरीक्षण आणि प्रतिबंध आस्थापना (कार्यक्रमाचा कार्यभाराचे सारांश | .. ६३ |
| २३. | कर्मचारीविषयक गोषवारा | .. ७० |
| २४. | सन २०२१-२०२२ विभागातील कार्यालयाची माहिती | .. ७३ |
| २५. | अफूची खरेदी | .. ७४ |
| २६. | राज्य उत्पादन शुल्क जमा महसूल तक्ता | .. ७६ |

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग अंदाजपत्रक माहिती

प्रस्तावना

ब्रिटीश काळामध्ये या विभागास अबकारी विभाग असे संबोधण्यात येत होते. महसूल संकलित करण्यासाठी मद्य, ताडी, अफू, गांजा व भांग इत्यादी बाबी नंतर प्रांतिक सरकारच्या नियंत्रणाखाली देण्यात आला. राज्यास महसूल मिळण्याच्यादृष्टीने उत्पादन शुल्क आकारण्याची पद्धत सुरु झाली. सन १८७८ मध्ये मद्य व गुंगी आणणाऱ्या पदार्थांच्या व्यापारावर जादा महसूल मिळविण्यासाठी अबकारी कायदा अमलात आणण्यात आला.

तदनंतर दारूबंदी अमलात आणण्यासाठी मुंबई दारूबंदी कायदा, १९४९ अमलात आणण्यात आला. दिनांक १६ जून १९४९ रोजी दारूबंदी कायदा अमलात आणल्यानंतर या विभागाचे नाव “दारूबंदी आणि उत्पादन शुल्क” असे करण्यात आले.

भारतीय संविधान १६६ अनुच्छेदान्वये महाराष्ट्र राज्य शासकीय कामकाज नियमात शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक आरओबी-१०८९/अठरा (ओ. अँड एम.), दिनांक २८ डिसेंबर १९८९, पाचवी सुधारित नियमावली, १९८९ मध्ये अस्तित्वात आली. तदनुसार या विभागाचे “दारूबंदी आणि उत्पादन शुल्क” हे नाव बदलून “राज्य उत्पादन शुल्क” असे करण्यात आले आहे.

या विभागाकडून खालील अधिनियमांची अंमलबजावणी करण्यात येते.

- (अ) महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९;
- (ब) महाराष्ट्र अफू ओढण्याबाबत अधिनियम, १९३६;
- (क) महाराष्ट्र औषधिद्रव्ये (नियंत्रण) अधिनियम, १९५९;
- (ड) मुंबई मळी (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६;
- (इ) दि नारकोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस अधिनियम, १९८५.

२. या विभागाची प्रमुख कामे म्हणजे अधिनियमातील अनुज्ञप्त्या देणे व त्यांची तपासणी करणे आणि प्राधान्याने मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ व अन्य अधिनियमानुसार विविध नियंत्रणांची अंमलबजावणी करणे, तसेच पेय मद्यावर आणि मद्यार्क व नारकोटिक्स तथा नारकोटिक ड्रग्स मूळ औषधातील कर वसूल करणे ही महत्त्वाची कर्तव्ये आहेत. त्याशिवाय एन. डी. पी. एस. कायदा, १९८५ अंतर्गत अंमली पदार्थविषयक गुन्हांचा तपास करणे, गुन्हे नोंदवून त्यासंबंधीची प्रकरणे न्यायालयात दाखल करणे इत्यादी जबाबदारीही या विभागाकडे सोपविण्यात आलेली आहे.

३. शासन पत्र, गृह विभाग क्रमांक ईएसटी-१४७४/आय-३, दिनांक २१ मे १९७४ अन्वये राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी उघडकीस आणलेल्या दारूबंदी कायद्यांतर्गत गुन्हांचा तपास करून असे गुन्हे स्वतंत्रपणे न्यायालयात दाखल करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. तदनंतर शासन अधिसूचना गृह विभाग क्रमांक बीपीए१०८८/१७९४/पीआरओ-३, दिनांक १६ जानेवारी १९९१ व शुद्धीपत्रक दिनांक २६ एप्रिल १९९१ अन्वये दुय्यम निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनासुद्धा गुन्हा नोंद करण्याचे व तपास करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क हे भारतीय प्रशासन सेवेतील सचिव दर्जाचे अधिकारी या विभागाचे प्रमुख आहेत. या विभागातील दिवसेंदिवस वाढणारा कामाचा व्याप व उत्तरोत्तर उत्पादन शुल्कात होणारी वाढ व विभागाची महसूल वाढीची क्षमता लक्षात घेऊन हा विभाग अधिक कार्यक्षम करण्याच्या उद्देशाने शासनाने शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक ईएसटी-१३८९/४०२(१)/पीआरओ-४, दिनांक २० सप्टेंबर १९८९ अन्वये सहआयुक्तांचे एक व्यपगत झालेले पद पुनर्जीवित करून भरण्यास मंजुरी दिली आहे. दारूबंदी (शिक्षण) संबंधीचे कार्य समाजकल्याण विभागाकडे वर्ग केल्यानंतर संचालक, दारूबंदी (शिक्षण) हे पद उत्पादन शुल्क विभागामध्ये ठेवण्यात व त्या पदाचे सहआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क या पदात रूपांतर करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.

४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक असंक-१००१/प्र. क्र. २९/२००१/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १० सप्टेंबर २००१ अन्वये राज्यातील सर्व विभागांत अस्तित्वात असलेल्या पदांचा आढावा घेऊन अनिवार्य व अनावश्यक पदांची संख्या ठरविण्यासाठी उच्चस्तरीय सचिव समिती नियुक्त करण्यात आली होती. सदर समितीने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा आढावा घेऊन शासनास सादर केलेल्या, विभागाच्या सुधारित आकृतिबंधातील काही ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.—

(अ) विभागाच्या कामकाजाच्या पूर्ततेसाठी तथा अंमलबजावणीसाठी एक अपर आयुक्तांचे पद शासन निर्णय, क्रमांक ईएसटी-२००२/सीआर-९६/ईएक्ससी-४, दिनांक १ जानेवारी २००३ अन्वये निर्माण करण्यात आले आहे व सदर पद विभागातील सहआयुक्त पदावरील सेवाजेष्ठता व इतर पात्रता पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीमधून भरण्यात येते.

(ब) विभागाचा वाढता महसूल विचारात घेऊन राज्यातील विविध कोषागारात चलनाद्वारे जमा होणाऱ्या रकमेची पडताळणी वेळेवर करून खोटे चालनाद्वारे होणारी फसवणूक टाळण्याच्या दृष्टिकोनातून सध्याच्या लेखा व कोषागारे विभागाच्या मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांच्या पदावर सहायक संचालक या श्रेणीच्या अधिकाऱ्याऐवजी सहसंचालक, लेखा व कोषागारे या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आलेली होती. सदर पद सहसंचालक, लेखा व कोषागारे या अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीने भरण्याचा निर्णय, दिनांक १ जानेवारी २००३ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला होता.

(क) आयुक्त, जिल्हा स्तरावरील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी यांचे दरम्यान विभागीय पातळीवर पर्यवेक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली कोणतीही यंत्रणा नसल्यामुळे तसेच जिल्हा पातळीवरील कार्यालयावर पर्यवेक्षण व प्रशासकीय प्रभावी नियंत्रण असण्याच्या दृष्टीने शासनाने शा. नि. वि. क्र. ईएसटी-२३८९/४०१/पीआरओ-४, दिनांक ७ सप्टेंबर १९८९ अन्वये राज्यातील चार विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणी चार विभागीय कार्यालये उघडण्यास मंजुरी दिली असून शासनाने उपरोल्लिखित दिनांक १ जानेवारी २००३ च्या शासन निर्णयाद्वारे कोल्हापूर व नाशिक येथे विभागीय उपआयुक्तांची दोन नवीन कार्यालये स्थापण्यास मंजुरी दिली आहे व सदरची विभागीय कार्यालये कार्यरतही झालेली आहेत.

तसेच शासन निर्णय क्र. बीजीटी-१०२१/प्र.क्र. ९६/राउशु-१, दिनांक ५ जानेवारी २०२२ अन्वये राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील नागपूर व औरंगाबाद या विभागाचे विभाजन करून अमरावती व नांदेड हे प्रादेशिक विभाग नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता दिलेली आहे. विभागीय कार्यालये व कार्यक्षेत्राची रचना पुढीलप्रमाणे आहे.

| अ. क्र. | मुख्यालय | कार्यक्षेत्र |
|---------|-----------|---|
| १ | २ | ३ |
| १ | ठाणे | मुंबई (शहर), मुंबई (उपनगरे), ठाणे, रायगड, पालघर |
| २ | पुणे | पुणे, सोलापूर, अहमदनगर |
| ३ | कोल्हापूर | कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग |
| ४ | औरंगाबाद | औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, बीड |
| ५ | नाशिक | नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव |
| ६ | नागपूर | नागपूर, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा |
| ७ | अमरावती | अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम, बुलढाणा |
| ८ | नांदेड | नांदेड, लातूर, परभणी, हिंगोली |

(ड) उपरोक्त आठ विभागीय उपआयुक्तांच्या पदांखेरीज मुख्यालयात वरिष्ठ श्रेणी उपआयुक्तांची दोन व कनिष्ठ श्रेणी उपआयुक्तांची दोन पदे कार्यरत आहेत.

(इ) गुन्हे अन्वेषणाच्या कामात पोलीस विभाग व राज्य उत्पादन शुल्क विभागात समन्वय साधण्याच्या दृष्टिकोनातून संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता) या पदाची निर्मिती करण्यात आली असून सदर पद पोलीस विभागातील जिल्हा पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या पदनियुक्ती किंवा विभागातील उपआयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) संवर्गातून भरण्याच्या तरतुदी आहेत. संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता) यांच्यावर राज्यातील भरारी पथकांमार्फत व अन्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत केल्या जाणाऱ्या गुन्हे अन्वेषणाच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सोपविली आहे.

महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ च्या अंमलबजावणीचे काम प्रभावीपणे करता यावे. तसेच या व इतर अन्य बाबी समवेत मद्यार्क निर्मिती, वापर व व्यापार यासाठी दिलेल्या अनुज्ञप्तीधारकांनी केलेल्या गैरप्रकाराबाबतची चौकशी करणे, भरारी पथकाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे व हातभट्ट्यांना आळा घालणे, पोलीस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी यांच्यामध्ये समन्वय साधणे याकरिता शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक पीईओ/०१८०/३/(२६०)-पीआरओ-४, दिनांक २० ऑगस्ट १९८० अन्वये उपआयुक्त, दारूबंदी आणि उत्पादन शुल्क (दक्षता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या नावाने नव्याने पद निर्माण करण्यात आले. सदरचे पद अधीक्षक, दारूबंदी व

उत्पादन शुल्क, वर्ग-१ या दर्जाचे करण्यात आले. तदनंतर शासन निर्णय क्रमांक ईएसटी-३३८९/४०२(१)/पीआरओ-४, दिनांक २० सप्टेंबर १९८९ अन्वये संचालक (दक्षता) या पदाचे नाव बदलून व त्याच्या श्रेणीमध्ये वाढ करून संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता) असे करण्यात आले आणि अंमलबजावणी व दक्षता ही दोन्ही कामे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्याचे निश्चित करण्यात आले. सदर पद पोलीस अधीक्षक श्रेणीतील अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर घेऊन भरण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला. तदनंतर शासन अधिसूचना क्रमांक ईएसटी-३३९६/६०/ईएससी-४, दिनांक ५ एप्रिल २००२ अन्वये सदर पद उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क (वरिष्ठ श्रेणी) किंवा भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उपआयुक्त श्रेणीमधून प्रतिनियुक्तीद्वारे बदलीने भरण्यात येईल अशी नियमात तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे उक्त पदावर नियुक्ती दिनांक ५ एप्रिल २००२ च्या नियमानुसार अन्वये करण्यात येत असते.

(ई) मुंबई शहर व उपनगरे, ठाणे व पुणे या जिल्ह्यांतील अधीक्षकांची पदे अपग्रेड करून अधीक्षक, निवडश्रेणी या संवर्गात ४ पदांना उपरोल्लिखित दिनांक १ जानेवारी २००३ च्या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी दिली आहे. सदर पदांच्या नियमावल्या तयार करणे व त्यानुसार पात्र व्यक्तींची निवड करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावरून प्रगतिपथावर आहे. नंदुरबार, वाशिम, हिंगोली व गोंदिया या ४ नवनिर्मित जिल्ह्यांसाठी अधीक्षकांच्या कार्यालयाची स्थापना करण्यास उपरोक्त शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे.

(फ) राज्यातील जिल्ह्यांची अनुज्ञप्त्यांच्या संख्येआधारे “अ”, “ब”, “क” व “ड” गटात विभागणी करण्यात आली असून १,००० पेक्षा अधिक प्रदान अनुज्ञप्त्या असलेल्या ४ जिल्ह्यांचा अंतर्भाव “अ” श्रेणीत करण्यात आला आहे, ४०० ते १००० प्रधान अनुज्ञप्त्या असलेल्या जिल्ह्यांचा अंतर्भाव “ब” श्रेणीच्या जिल्ह्यात, ४०० पर्यंत अनुज्ञप्त्या असलेल्या जिल्ह्यांचा अंतर्भाव “क” गटात आणि एकही प्रधान अनुज्ञप्ती नसलेल्या वर्धा व गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांचा अंतर्भाव “ड” गटात करण्यात आला आहे.

(ग) “अ” व “ब” श्रेणीतील जिल्ह्यांसाठी १२५ प्रदान अनुज्ञप्त्यांकरिता निरीक्षकांचा एक गट तर “क” श्रेणीतील जिल्ह्यांसाठी १०० मुख्य अनुज्ञप्त्यांसाठी निरीक्षकांचा एक गट अशी पुनर्रचना करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. निरीक्षकांच्या एका गटात १ निरीक्षक, २ दुय्यम निरीक्षक व १ सहायक दुय्यम निरीक्षक (रायटर), ३ जवान व १ जवान-नि-वाहनचालक अशा ८ कर्मचाऱ्यांचा १ घटक मंजूर करण्यात आला आहे.

(म) विभागाचा दिवसेंदिवस वाढत जाणारा कामाचा व्याप विचारात घेऊन मुंबई (उपनगरे), पुणे व नागपूर या जिल्ह्यांकरिता सध्याच्या उपअधीक्षकांखेरीज प्रत्येकी एक अतिरिक्त उपअधीक्षकाचे एक पद निर्माण करण्यास व त्याखेरीज खालील जिल्ह्यांत प्रत्येकी एक उपअधीक्षकाचे नवीन पद निर्माण करण्यास उपरोक्त शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे.

१. रत्नागिरी, २. रायगड, ३. सांगली, ४. नाशिक, ५. कोल्हापूर, ६. औरंगाबाद.

(भ) परराज्यातून होणाऱ्या मद्य तस्करीचे व त्यामुळे होणाऱ्या महसूल चोरीचे परिणाम विचारात घेऊन आज रोजी राज्यात विभागाचे एकूण १२ तपासणी नाके कार्यरत आहेत.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे सध्या कार्यरत असलेले सीमा तपासणी नाके

| अ. क्र. | तपासणी नाका | तालुका | जिल्हा |
|---------|-------------|------------|----------|
| १ | दापचारी | डहाणू | पालघर |
| २ | करंजळी | पेठ | नाशिक |
| ३ | हाडाखेड | शिरपूर | धुळे |
| ४ | खेडदिगर | शहादा | नंदुरबार |
| ५ | पुर्नाड | मुक्ताईनगर | जळगाव |
| ६ | वरुड | वरुड | अमरावती |
| ७ | मानेगाव टेक | रामटेक | नागपूर |

| अ. क्र. | तपासणी नाका | तालुका | जिल्हा |
|---------|-------------|----------------|------------|
| ८ | देवरी | देवराई | गोंदिया |
| ९ | उमरगा | उमरगा | उस्मानाबाद |
| १० | मंद्रुप | दक्षिण सोलापूर | सोलापूर |
| ११ | कागल | कागल | कोल्हापूर |
| १२ | इन्सुली | सावंतवाडी | सिंधुदुर्ग |

५. राज्यात अस्तित्वात असलेल्या ४५ भरारी पथकांची पुनर्रचना करून सातारा, कोल्हापूर व सांगली या जिल्ह्यांतील २ भरारी पथकांपैकी १ भरारी पथक कमी करून १ भरारी पथकाचे पुनर्वाटप नंदुरबार, धुळे व बीड जिल्ह्यांसाठी व औरंगाबादकरिता मंजूर असलेल्या २ भरारी पथकांपैकी १ भरारी पथक जालना जिल्ह्यासाठी बदलण्यात आले आहे. शासन गृह विभाग यांचे आदेश क्रमांक ईएसटी-१७१४/प्र. क्र. ५०/राउशु-१, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक, पालघर कार्यालय अधीक्षक, लघुलेखक (निम्नश्रेणी), लेखापाल व जवान-नि-वाहन चालक यांचे प्रत्येकी एक पद मंजूर करण्यात आले आहे.

“शासन निर्णय क्रमांक ईएसटी-१७१४/प्रक्र-५०/राउशु-१, दिनांक ३० जून २०१६ अन्वये अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील कार्यकारी / अकार्यकारी पदे अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पालघर यांच्या आस्थापनेवर वर्ग करण्यास मंजुरी देण्यात येत असल्याचे कळविले आहे. तसेच भरारी पथक क्रमांक २ ठाणे हे अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पालघर यांच्या नियंत्रणाखाली ‘जिल्हा भरारी पथक पालघर’ या नावाने कार्यरत राहिल व त्याचे मुख्यालय पालघर राहिल असे नमूद केले आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यात कार्यरत असलेले भरारी पथक क्रमांक १ यांचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण ठाणे जिल्हा तर भरारी पथक क्रमांक २, ठाणे यांचे नाव ‘जिल्हा भरारी पथक, पालघर’ असे झाल्याने व त्यांचे मुख्यालय पालघर करण्यात आलेले असल्यामुळे आयुक्तांनी कार्यक्षेत्र पुनर्वाटप आदेश क्रमांक ईएसटी-११२०१८/का. क्षेत्र पुनर्रचना/१९०१४/बारा-२ (क), दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८ अन्वये भरारी पथक ठाणे क्रमांक २ यांचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण पालघर जिल्हा असल्याचे आदेश पारित करण्यात आलेले आहेत.”

आयुक्तांच्या देखरेखीखाली व संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता) यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली पूर्ण राज्याचे कार्यक्षेत्र असलेले महाराष्ट्र भरारी पथक कार्यरत आहे. गंभीर प्रकार जेथे दृष्टिपथास येतील अशा ठिकाणी बऱ्याच वेळा या भरारी पथकास त्वरित चौकशीसाठी पाठविण्यात येते. तसेच अंमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्यांविरुद्ध त्वरित कारवाई करण्यासाठी या भरारी पथकाचा उपयोग करण्यात येतो. शासन निर्णय क्रमांक ईएसटी-३३८९/२९४/पीआरओ-४, दिनांक १८ ऑगस्ट १९८९ अन्वये या पथकात निरीक्षकांची २, उपनिरीक्षकांची ४, पेटी ऑफिसर (सहायक दुय्यम निरीक्षक) ४, शिपाई/जवान १०, वाहन चालक २ अशी पदे मंजूर करण्यात आलेली होती. परंतु तदनंतर दिनांक १ जानेवारी २००३ अन्वये विभागाचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आलेला आहे त्यामध्ये जवानांची २० पदे मंजूर करण्यात आलेली असून उर्वरित पदे कायम करण्यात आलेली आहेत.

सन २००३ नंतर शासनाने सन २०१७ मध्ये सर्व विभागाच्या पदांचा आढावा घेण्यासाठी शासन निर्णय जारी केला होता. त्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पदांचा आढाव घेऊन शासन निर्णय क्रमांक ईएसटी-१६१६/प्र.क्र. २००/राउशु-१, दिनांक २ सप्टेंबर २०२१ अन्वये सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला आहे. या विभागाकरिता शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीने ३१ संवर्गामधील ३८०० पदांच्या सुधारित आकृतिबंधास मान्यता देण्यात आली आहे.

सुधारित आकृतीबंधानुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सह संचालक (लेखा व कोषागारे) या गट ‘अ’ संवर्गातील पद रद्द करण्यात येऊन त्याऐवजी मुख्य लेखाधिकारी (उप-संचालक, लेखा व कोषागार संवर्ग गट ‘अ’) हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. गट ‘क’ संवर्गातील मुख्य टंकलेखक आणि टंकलेखक हे दोन संवर्ग रद्द (मृत संवर्ग) करण्यात आले.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील पदांच्या आढाव्यानुसार सुधारित आकृतीबंध खालीलप्रमाणे

| अ. क्र. | पदनाम | जुन्या आकृतिबंधानुसार मंजूर पदे | सुधारित आकृतिबंधानुसार मंजूर पदे |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | आयुक्त (भा.प्र.से.) | १ | १ |
| २ | अपर आयुक्त | १ | १ |
| ३ | सह. आयुक्त | २ | २ |
| ४ | उपआयुक्त (वरिष्ठ) | ८ | ८ |
| ५ | संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता) | १ | १ |
| ६ | मुख्य लेखा अधिकारी | ० | १ |
| ७ | उप-संचालक (सांख्यिकी व संगणक) | १ | १ |
| ८ | उप आयुक्त (कनिष्ठ) | २ | २ |
| ९ | अधीक्षक | ३६ | ३६ |
| १० | लेखाधिकारी | ७ | ७ |
| ११ | सहाय्यक आयुक्त | १० | १० |
| १२ | उपअधीक्षक | ४८ | ४८ |
| १३ | प्रमुख लेखापाल (स.ले.अ.) | ८ | ८ |
| १४ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) | ८ | ३ |
| १५ | निरीक्षक | २५२ | २५२ |
| १६ | संशोधन सहाय्यक (संगणक) | २ | २ |
| १७ | कार्यालय अधीक्षक | ५२ | ५२ |
| १८ | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) | १६ | १६ |
| १९ | उपलेखापाल (उ.ले.अ.) | ८ | ८ |
| २० | दुय्यम निरीक्षक | ८३७ | ८९४ |
| २१ | लेखापाल | १९ | १९ |
| २२ | टिपणी सहाय्यक/वरिष्ठ लिपिक | ८८ | ८८ |
| २३ | लघु टंकलेखक | ३६ | ३६ |
| २४ | सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक | २७९ | २२२ |
| २५ | लिपिक-टंकलेखक | २७० | २७० |
| २६ | जवान | १२३७ | १४३१ |
| २७ | जवान नि वाहन चालक | २४८ | २४८ |
| २८ | पट्टा नाईक | ८ | ८ |
| २९ | दफ्तरबंद | ३ | ३ |
| ३० | आवेष्टक (पॅकर) | २ | २ |
| ३१ | चपराशी | १२२ | १२० |
| ३२ | सहसंचालक (लेखा व कोषागारे) | १ | ० (रद्द) |
| ३३ | मुख्य टंकलेखक | १ | ०(मृत संवर्ग) |
| ३४ | टंकलेखक | २ | ०(मृत संवर्ग) |
| एकूण | | ३६१६ | ३८०० |

टीप :- शासन निर्णय क्र. बीजीटी-१०२१/प्र.क्र. ९६/राउशु-१, दिनांक ५ जानेवारी २०२२ अन्वये विविध संवर्गातील ४२ पदे निर्माण करण्यात आली असून त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

(अ) नियमित पदे

| अ. क्र. | पदनाम | कार्यालयनिहाय पदांची संख्या | | एकूण पदे |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|----------|
| | | अमरावती | नांदेड | |
| १ | विभागीय उप आयुक्त | १ | १ | २ |
| २ | लेखाधिकारी | १ | १ | २ |
| ३ | सहायक आयुक्त | १ | १ | २ |
| ४ | प्रमुख लेखापाल (सहायक लेखाधिकारी) | १ | १ | २ |
| ५ | निरीक्षक | १ | १ | २ |
| ६ | कार्यालय अधीक्षक | १ | १ | २ |
| ७ | उपलेखापाल | १ | १ | २ |
| ८ | दुय्यम निरीक्षक | २ | २ | ४ |
| ९ | लघु टंकलेखक | १ | १ | २ |
| १० | वरिष्ठ लिपिक | १ | १ | २ |
| ११ | जवान | ३ | ३ | ६ |
| १२ | लिपिक टंकलेखक | ३ | ३ | ६ |
| १३ | जवान-नि-वाहन चालक | २ | २ | ४ |
| एकूण नियमित पदे | | १९ | १९ | ३८ |

(ब) बाह्य यंत्रणेचे मनुष्यबळ

| अ. क्र. | बाह्य यंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या सेवा | कार्यालयनिहाय मनुष्यबळ संख्या | | एकूण मनुष्यबळ संख्या |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------|
| | | अमरावती | नांदेड | |
| १ | चपराशी / शिपाई | २ | २ | ४ |

टीप

शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक ईएसटी-२००२/प्र. क्र. ९६/ईएक्ससी-४, दिनांक १ जानेवारी २००३ अन्वये राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील एकूण १,२२६ अस्थायी पदांना मंजूरी देण्यात आली आहे. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक ईएसटी-१७१७/प्र. क्र. ४४/राउशु-१, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये विभागाच्या आकृतिबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही. अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व १,२२६ अस्थायी पदांना दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तसेच अशा प्रकारे अस्थायी पदांचा आढावा घेऊन त्यांना गरजेप्रमाणे मुदतवाढ दिली जाते.

६. महाराष्ट्र राज्यात, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यकारी, सीमा तपासणी नाक्यावरील अधिकारी व भरारी पथकातील अधिकार्यांनी उघडकीस आणलेल्या गुन्हांची संख्या, इत्यादींची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क, विभागाच्या कार्यकारी, सीमा तपासणी नाका व भरारी पथकांनी केलेल्या गुन्हा अन्वेषणाची माहिती

| वर्ष (एप्रिल ते मार्च) | उघडकीस आणलेले गुन्हांची संख्या | पकडण्यात आलेले गुन्हेगार संख्या | जप्त केलेल्या मुद्देमालाची किंमत (रुपये लाखात) |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| २०११-२०१२ | ३११३४ | १३४७४ | २६९४.०० |
| २०१२-२०१३ | ३४०३५ | १५८५२ | ४०२१.२६ |
| २०१३-२०१४ | ४२२९१ | २०३९५ | ५२३७.११ |
| २०१४-२०१५ | ४२३२९ | २१४६१ | ७२६७.८३ |
| २०१५-२०१६ | ४२६५३ | २०४४८ | ७६०३.०४ |
| २०१६-२०१७ | ४४८९७ | २३८०२ | ८१४४.०९ |
| २०१७-२०१८ | ४५३३२ | २६७६१ | ९०६२.९२ |
| २०१८-२०१९ | ४४०८२ | ३०९६० | ९४०४.४० |
| २०१९-२०२० | ४६६४८ | ३३०५५ | ११५०७.६० |
| २०२०-२०२१ | ४५८६७ | २९३९२ | १०८९४.०० |
| २०२१-२०२२ | २६८७७ | १८५३० | ८२६७.०० |

(ऑक्टोबर अखेरपर्यंत)

अवैध मद्यनिर्मिती, वाहतूक व विक्रीच्या धंद्यांची माहिती मिळावी व गुणात्मक गुन्हे उघडकीस यावेत म्हणून खबऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना गुन्हा अन्वेषणकामी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून नोंदविण्यात येणाऱ्या प्रकरणाच्या गुणवत्तेच्या आधारे बक्षीस देण्याकरिता शासन निर्णय क्रमांक बीजीटी-१०१६/प्र. क्र.-३९/राउशु-१, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ अन्वये निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये खबऱ्यांना जप्त केलेल्या मुद्देमालाच्या उत्पादन शुल्कावरील रकमेच्या ५ टक्केपर्यंत बक्षीस रक्कम दिली जाते. तर सहभागी असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गुन्हा नोंदविल्यानंतर उत्पादन शुल्कावरील रकमेच्या ७ टक्केपर्यंत व गुन्हाच्या निकालात आरोपींना दोषसिद्धी मिळाल्यानंतर उत्पादन शुल्कावरील रकमेच्या ७ टक्केपर्यंत रक्कम दिली जाते.

राज्यातील अवैध मद्याबाबतच्या धंद्यांची माहिती मिळावी म्हणून आयुक्त कार्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आलेला आहे. जनतेला तक्रारी करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक १८०० ८३३ ३३३३ व व्हॉट्सअप क्रमांक ८४२२००११३३ उपलब्ध करून दिलेला आहे.

अवैध मद्यनिर्मिती, वाहतूक व विक्रीकर कारवाई करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेला जनसहभागाची साथ मिळावी म्हणून महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा, १९४९ मधील कलम १३४ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन महाराष्ट्र ग्रामरक्षक दल नियमावली, २०१७ तयार करण्यात आलेली आहे. शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस ०३१७/प्र.क्र. १०४/राउशु-३, दिनांक १६ मे २०१७ अन्वये अवैध दारूस प्रतिबंध घालण्यासाठी मा. मंत्री महोदय, राज्य उत्पादन शुल्क यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यात आलेली आहे. सदर समिती अवैध दारू उत्पादन व विक्री संदर्भात पोलीस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेईल. ग्रामस्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या ग्रामरक्षक दलाच्या कामाचा आढावा घेईल. तसेच अवैध धंद्यावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे व त्यानुसार कृती कार्यक्रम निश्चित करेल, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती असेल त्यामध्ये जिल्हांतर्गत अवैध मद्य उत्पादन व विक्रीबाबत दाखल गुन्हांचा आढावा, महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा, १९४९ मधील कलम ९३ व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलम ५५, ५६ व ५७ अन्वये केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा, ग्रामरक्षक दलाचा आढावा इत्यादीबाबींचा आढावा घेईल.

शासन परिपत्रक गृह विभाग क्रमांक सीआरएम २०१७/प्र.क्र. ७१/पोल-१३, दिनांक १ मार्च २०१३ अन्वये अवैध दारू विक्री, निर्मिती व इतर संलग्न बाबींसंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत तसेच शासन परिपत्रक क्रमांक बीपीए ११७/प्र.क्र.२२/राउशु.-३, दिनांक १८ एप्रिल २०१७ अन्वये ग्रामरक्षक दल नियम २०१७ अनुसार अवैध मद्यविक्री, वाहतूक तसेच सार्वजनिक शांततेस बाधा आणणाऱ्या मद्यपीविरुद्ध करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.

अंतर्गत लेखापरीक्षण

७. विभागाच्या जिल्हा व तालुका पातळीवरील कार्यालयांची नियतकालीन (सर्वसाधारणपणे २ वर्षांतून एकदा) तपासणी रचना व कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने उपआयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) यांच्या मार्गदर्शनानुसार होते.


८. शासन आदेश क्रमांक ईएसटी-३३८९/२७५/पीआरओ-४, मंत्रालय, दिनांक १८ ऑगस्ट, १९८९ नुसार विभागाच्या अंतर्गत लेखापरीक्षणाकरिता प्रत्येक विभागासाठी एक लेखा अधिकारी, एक सहायक लेखा अधिकारी, एक उपलेखापाल व दोन लिपिक असे पाच कर्मचाऱ्यांचे पथक निर्माण करण्यात आले आहे. सदर पथक त्या त्या विभागाच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक कार्यालयांचे खालीलप्रमाणे निरनिराळ्या प्रकारची तपासणी करण्याचे काम करित आहे. लेखापरीक्षण दरम्यान दृष्टिक्षेपात आलेले आक्षेप व त्रुटी तसेच मार्गदर्शनाबाबतचा अहवाल संबंधित अधीक्षक कार्यालयांना पाठविण्यात येतो व त्याचे अनुपालन संबंधित अधीक्षक कार्यालयाकडून एका महिन्याच्या आत सादर करण्याबाबत आदेशित करण्यात येते.

- (१) शुल्क व बंधमुक्त कारखाने.
- (२) व्यापार व आयात अनुज्ञप्तीची ठिकाणे.
- (३) बीअर व दारू (वाईन) निर्मिती कारखाने.
- (४) भारतीय बनावटीची दारू व देशी दारूनिर्मिती कारखाने.
- (५) आसवऱ्या.
- (६) अधीक्षक कार्यालयांचे खर्चविषयक बाबींचे लेखापरीक्षण.

तसेच सदर पथकावर नियंत्रण व मार्गदर्शन करण्याचे काम करण्यासाठी आयुक्त कार्यालयामध्ये अंतर्गत लेखापरीक्षणाकरिता एक पथक स्थापन करण्यात आले आहे. सदर पथकाचे प्रमुख मुख्य लेखा अधिकारी असून त्यांच्या पथकात एक लेखाधिकारी, एक सहायक लेखाधिकारी, एक उपलेखापाल, एक टिपण्णी सहाय्यक व एक लिपिक कार्यान्वित आहेत. त्यांनी विभागीय उपआयुक्त कार्यालयामार्फत अधीक्षक कार्यालयांचे केलेले लेखापरीक्षणावर नियंत्रण ठेवण्याचे तसेच ज्याठिकाणी लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे अशा जिल्हाचे लेखापरीक्षण करण्याचे काम करित आहे.

रचनात्मक तक्ता

१. राज्य उत्पादन शुल्क यंत्रणा



**राज्य उत्पादन शुल्क
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई**

| विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नाशिक | विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर | विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, अमरावती | विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, कोकण विभाग ठाणे | विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, औरंगाबाद | विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे | विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, कोल्हापूर | विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नांदेड |
|---|--|---|---|--|--|---|--|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| १. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नाशिक. | १. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नागपूर. | १. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, अमरावती. | १. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे. | १. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, औरंगाबाद. | १. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे. | १. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, कोल्हापूर. | १. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नांदेड. |
| २. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, धुळे. | २. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गोदिया. | २. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, यवतमाळ. | २. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, रायगड. | २. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, जालना | २. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, अहमदनगर. | २. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, रत्नागिरी. | २. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, लातूर. |
| ३. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, जळगाव. | ३. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, वर्धा. | ३. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, अकोला. | ३. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई शहर. | ३. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, उस्मानाबाद. | ३. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर. | ३. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सिंधुदूर्ग. | ३. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, परभणी. |
| ४. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नंदुरबार. | ४. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, मंडारा. | ४. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, वाशिम. | ४. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई उपनगर. | ४. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, बीड. | ४. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सातारा. | ४. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सातारा. | ४. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, हिंगोली. |
| | ५. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, चंद्रपूर. | ५. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, बुलढाणा. | ५. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पालघर. | | | ५. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सांगली. | |
| | ६. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गडचिरोली. | | | | | | |

समग्र कार्यक्रम

१. ताडी

दिनांक १ डिसेंबर १९६८ पासून महाराष्ट्रात ताडी योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेनुसार ५ टक्केपर्यंत मद्यार्क असलेले ताडी २१ वर्षावरील व्यक्तीस दुकानातून अनिर्बंध रीतीने विकण्यास परवानगी देण्यात आली. महाराष्ट्र ताडी दुकाने (लिलाव किंवा निविदा पद्धतीने अनुज्ञप्ती मंजूर करणे) आदेश, १९६८ नुसार जिल्हाधिकारी ताडीच्या अनुज्ञप्ती लिलाव किंवा निविदा पद्धती देतात. मधल्या काळात शासनाच्या धोरणात बदल होऊन शासन अधिसूचना, गृह विभाग क्रमांक टीओडी-१८९५/२६/(१)/ईएक्ससी-३, दिनांक ८ ऑगस्ट १९९५ नुसार १९९४-९५ या ताडी वर्षात लिलाव पद्धतीने गेलेली दुकाने पुढे चार वर्षाकरिता प्रत्येक वर्षी बोली रकमेत ६ टक्के वाढ करून देण्याबाबत व ज्या अनुज्ञप्तिधारकास ६ टक्के वाढीव रकमेने अनुज्ञप्ती पुढे चालू ठेवायची नसल्यास तशी दुकाने लिलावाने/निविदेने घेण्याबाबत शासनाने आदेशित केले होते. आता शासनाने धोरणात बदल करून शासन अधिसूचना, गृह विभाग क्रमांक टीओडी-११०१/सीआर-५/ईएक्ससी-३ (१), दिनांक ४ जून २००१ नुसार ताडी दुकाने लिलाव-नि-निविदेद्वारे देण्याबाबत शासनाने आदेशित केले.

२. सन २०१६-२०१७ या वर्षात १,३३१ दुकाने देण्यात आलेली असून त्यापासून रुपये ४३,८३,०६,८३३ कोटी इतका महसूल प्राप्त झाला. ताडी वर्ष सन २०१५-१६ हे दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१६ रोजी संपल्यानंतर सप्टेंबर २०१६ व ऑक्टोबर २०१६ या महिन्यांसाठी मागील वर्षी कार्यरत असलेल्या ताडी अनुज्ञप्त्यांना मागील वर्षाच्या शुल्काच्या एक महिन्याच्या प्रमाणात रक्कम वसूल करून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१६ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.

सन २०१६-१७ करिता ताडी दुकान लिलाव व निविदा पद्धतीने वितरित करण्याच्या विहित पद्धतीनुसार खालील अटींच्या अधीन राहून टीडी-१ अनुज्ञप्त्यांचे वितरण बोलीधारकांना करण्याबाबत शासन निर्णय क्रमांक टीओडी ०६१५/ प्र. क्र. ११६/राउशु-३, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१६ नुसार खालील अटींच्या अधीन राहून निर्णय घेण्यात आला होता.

- (i) ताडी वृक्ष असलेल्या तालुक्यात कायम रहिवाशी असलेल्या व्यक्ती व तालुक्यातील सहकारी व भागीदारी नोंदणीकृत संस्थांमध्येच मर्यादित लिलाव करावा.
- (ii) ज्या तालुक्यात किमान १००० परिपक्व ताडी झाडे आहेत त्याच तालुक्यात दुकाने देता येईल.
- (iii) १००० परिपक्व ताडी झाडांमागे एक दुकान हे धोरण अवलंबवण्यात यावे.
- (iv) ज्या तालुक्यात ताडी दुकान (अनुज्ञप्ती) मंजूर आहे ते मंजूर दुकान (अनुज्ञप्ती) त्या तालुक्यातून इतरत्र व मंजूर कार्यक्षेत्राबाहेर हलविता येणार नाही.

अवेध ताडीवर नियंत्रण आणण्यासाठी सदरचे धोरण राबविण्यात येणार आहे. नागरिकांना स्वच्छ व भेसळमुक्त ताडी मिळण्याच्या दृष्टीने सदरचे धोरण राबविण्यात येत होते.

३. महाराष्ट्र ताडी दुकाने (जनजाती क्षेत्रात अनुज्ञप्ती देणे) व ताडी झाडे जनजाती क्षेत्रात झाडे ठेवणे, नियम १९६६ नियमातील तरतुदीनुसार जनजाती क्षेत्रामध्ये ताडीची विक्री करण्यासाठी व झाडापासून ताडी काढण्याची अनुज्ञप्ती मंजूर करण्याचे शासनाने ठरविले. हे नियम सध्या चंद्रपूर, ठाणे, नाशिक, धुळे व अमरावती ह्या जिल्ह्यांतील निवडक जनजाती क्षेत्रापुरते मर्यादित आहेत.

ताडी व्यवसायाला स्थैर्य प्राप्त होण्यासाठी जिल्ह्या बाहेरून ताडी आणण्यास परवानगी मिळावी, बंद झालेल्या ताडी दुकानांचा फेरलिलाव घ्यावा व ताडीतील भेसळ रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात अशा मागण्या सातत्याने अनुज्ञप्ती धारकाकडून करण्यात येत असल्याने ताडीमधील होणारी भेसळ रोखणे, ताडी झाडांची आधुनिक पद्धतीने लागवड करणे, ताडी दुकानाची किंमत निश्चित करणे, झाडांच्या संख्यांची निकष ठरविणे व ताडी अनुज्ञप्ती नूतनीकरण कार्यपद्धती निश्चित करणे असे सर्वकष ताडी धोरण ठरविण्यासाठी शासन निर्णय क्रमांक टिओडी-०८१८/प्र.क्र.१८२/राउशु-३, दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये श्री. रमानाथ झा, सेवानिवृत्त, प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. सदर समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन शासनाने शासन निर्णय क्रमांक टिओडी ०६२१/ प्र.क्र.८९/राउशु-३, दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ अन्वये सुधारित ताडी धोरण जाहीर केले आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

ताडी मंजूरी व नूतनीकरण याकरिता ५ वर्षांचा एकत्रित कालावधी निश्चित करण्यात आला. यास लिलाव-निविदा आणि नूतनीकरण पद्धत संबोधण्यात आले. प्रथम वर्षी लिलाव करून पुढील ४ वर्षे दुकानाच्या किमतीमध्ये ६ टक्के वाढ करून नूतनीकरण करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. ताडीमधील भेसळ ओळखण्यासाठी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा, पुणे यांनी विकसित केलेल्या नवल कलर टेस्ट किट किंवा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, हैद्राबाद यांनी विकसित केलेल्या पद्धतीचा अवलंब करावा. तसेच ताडी दुकानामधून भेसळयुक्त ताडीची विक्री होणार नाही याची दक्षता घ्यावी व भेसळयुक्त ताडीची विक्री होत असल्यास अनुज्ञप्तीचे व्यवहार स्थगित करून हाफकीन इन्स्टिट्यूटमार्फत नमुन्यांचा तपासणी अहवाल प्राप्त करून घेऊन आवश्यक कार्यवाही करणे, ताडी/माडीच्या गुणवत्तेवर अन्न व औषध प्रशासन आणि राज्य उत्पादन शुल्क यांनी कार्यवाही करणे तसेच अधिकारी व कर्मचारी यांनी कर्तव्यात कसूर केल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करणे इत्यादी बाबी समाविष्ट आहेत. तसेच शहरी भागासाठी (सर्व प्रकारच्या महानगरपालिका / जिल्हा मुख्यालय / 'अ' वर्ग नगरपरिषद) एका दुकानासाठी ताडीची ८०० ते १००० झाडे उर्वरित नगरपरिषद/नगरपंचायत/ग्रामीण भागासाठी एका दुकानासाठी ताडीची ४०० ते ५०० झाडे निश्चित करण्यात आली. त्याचबरोबर भेसळयुक्त ताडीची दुकान रद्द केल्यास त्याच ठिकाणी पुनश्च: दुकान देणे, जिल्हाबाहेरून ताडी आणण्यास परवानगी देणे, ई-लायसन्सी व ताडी झाडांचे जिओ टॅगिंग व संगणक प्रणालीचा वापर करणे इत्यादीबाबत देखील या शासन निर्णयाद्वारे धोरण निश्चित करण्यात आले.

ताडी धोरणाबरोबरच गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक एनआरए-०७२१/प्र.क्र.१०९/राऊशु-३, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये नीरा लागवड, उत्पादन, प्रक्रिया व विक्री याबाबतचे सुधारित धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. नीरा देणाऱ्या झाडांची लागवड, उत्पादन, प्रक्रिया व विक्री याबाबींना स्थैर्य प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने शासनाने धोरण निश्चित केले आहे. यामध्ये नीरा अनुज्ञप्ती मंजूरी व नूतनीकरण कार्यपद्धती, निरेमध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी उपाययोजना, नीरा विक्री किमतीवरील नियंत्रण रद्द करणे, जिल्हाबाहेरून नीरा आणून विक्री करण्यास परवानगी देणे, ई-लायसन्सी/ऑनलाईन अनुज्ञप्ती मंजूरी पद्धत, जिओ टॅगिंग (Geo Tagging) व संगणक प्रणालीचा वापर आणि निरेचे जतन व संवैष्टन या अनुषंगाने सुधारित नीरा धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.

२. मोहाफुले.— मोहाफुले गोळा करणे, बाळगणे, खरेदी करणे व वाहतूक करणे यासाठी एमएफ-३, एमएफ-४ व एमएफ-५ अशा विविध परवान्यांची आवश्यकता होती. गृह विभाग शासन अधिसूचना क्रमांक एमएफएल ०२२१/प्र.क्र.२५/राऊशु-२, दिनांक ३ मे २०२१ अन्वये मोहाफुले गोळा करणे, मोहाफुलांची खरेदी करणे व मोहाफुलांची वाहतूक करणे याकरिता कोणत्याही परवान्यांची आवश्यकता नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या शासन अधिसूचनेद्वारे एकूणच मोहाफुलांच्या व्यापारावरील बंधने हटविण्यात आलेली असून त्याचा फायदा आदिवासी बांधवांना होणार आहे.

३. देशी दारू निर्मिती.— महाराष्ट्र देशी दारू नियम, १९७३ मधील तरतुदीनुसार सन २०१९-२० पर्यंत एकूण ४९ घटकांना देशी दारू निर्मितीसाठी सीएल-१ अनुज्ञप्ती मंजूर करण्यात आली आहे. देशी दारू ही प्रामुख्याने मळीपासून होणाऱ्या स्परिटपासून निर्मिती केली जाते. धान्याधारित मद्याकार्पासून देखील देशी दारू निर्मितीसाठी सीएल-१ अनुज्ञप्ती मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. शिवाय मोहा, काजू यापासून तयार होणाऱ्या स्परिटपासून काही प्रमाणात देशी दारू निर्मिती केली जाते. मात्र मळी मद्याकार्पावरील नियंत्रण उठविल्यामुळे पर्यायाने देशी दारूवरील विक्रीच्या तीनही स्तरांवरील किमती ठरविण्याबाबतचे शासन निर्णय रद्दबातल करण्यात आले आहेत. दिनांक १६ मार्च १९९४ पासून देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचे दर आकारण्यात येत होते. परंतु शासन गृह विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआरएम-१०९६-२१/३/इएक्ससी-३, दिनांक १८ ऑक्टोबर १९९६ नुसार राज्यात दिनांक १ जानेवारी १९९७ पासून मूल्याधारित करपद्धती लागू करण्यात आली असून त्यानुसार उत्पादन शुल्क वसूल करण्यात येत आहे. सद्य:स्थितीत दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार देशी मद्याकरिता निर्मिती मूल्याच्या २१३ टक्के अथवा रुपये १३५ यापैकी जे जास्त असेल ते याप्रमाणे उत्पादन शुल्क आकारण्यात येत होते. तथापि, शासन अधिसूचना क्रमांक सीएलआर-०३२१/प्र.क्र.५२/राऊशु-३, दिनांक २६ मार्च २०२१ अन्वये सद्य:स्थितीत देशी मद्याकरिता निर्मिती मूल्याच्या २२० टक्के अथवा रुपये १५५ यापैकी जे जास्त असेल ते याप्रमाणे उत्पादन शुल्क आकारण्यात येत आहे.

२. देशी दारू योजनेखालील सन २०२०-२०२१ मधील, दिनांक ३१ मार्च २०२१ अखेरची तसेच २०२१-२०२२, दिनांक ३१ मार्च २०२२ अखेरची अंदाजित सांकेतिक आकडेवारी (तपशील) पुढे दिल्याप्रमाणे--

नामसूची

| अनुक्रमांक | २०२०-२०२१ | २०२१-२०२२ (अंदाजित) |
|--------------|--|------------------------|
| १ १७०२.५७ | देशी दारू बनविण्याकरिता वापरण्यात आलेले रेक्टिफाईड स्पिरिट (लाख बल्क लिटरमध्ये). | १४८०.५० |
| २ | देशी दारूचे उत्पादन (लाख बल्क लिटरमध्ये) देशी दारू. | ३२५७.११ |
| ३ | देशी दारू उत्पादकांकडून उत्पादन शुल्क देय झाल्याप्रमाणे पाठविण्यात आलेली क्वान्टिटी (लाख बल्क लिटरमध्ये). | ३२९९.६४ |
| ४ | देशी दारू उत्पादकाने पाठविलेल्या देशी दारूपासून मिळालेली एक्सार्सिज ड्युटी (रक्कम रुपये लाखात). | ३४००.१२ |
| ५ | देशी दारू तयार करणाऱ्या परवान्यांची व नूतनीकरणांची संख्या (सीएल-१). | ४० |
| ६ | देशी दारूच्या घाऊक विक्रीकरिता परवाना दिलेले अथवा नूतनीकरण केलेल्या परवानाधारकांची संख्या (सीएल-२). | २५२ |
| ७ | किरकोळ विक्रीकरिता दिलेले अथवा नूतनीकरण केलेले परवानाधारक संख्या. (अ) सीएल-३ (ब) सीएल/एफएल/टीओडी-३ | ४१६१ १५०३ |
| ८ | महाराष्ट्र देशी दारू अधिनियम, १९७३ अन्वये परवानाधारकांकडून प्राप्त झालेली अनुज्ञप्ती फी (रक्कम रुपये लाखात). | १५७३.३३ |

४. विदेशी दारू निर्मिती.— महाराष्ट्र डिस्टिलेशन ऑफ स्पिरिट अँड मॅन्युफॅक्चर ऑफ पोर्टेबल लिकर रुल्स, १९६६ मधील तरतुदीनुसार विदेशी दारू तयार करण्याकरिता नमुना “पीएलएल” अनुज्ञप्ती देण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यात सन २०२०-२१ पर्यंत अशा प्रकारे एकूण ७१ पीएलएल अनुज्ञप्ती मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत.

शासन गृह विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआरएम-१०९६-२१/३/इएक्ससी-३, दिनांक १८ ऑक्टोबर १९९६ नुसार राज्यात दिनांक १ जानेवारी १९९७ पासून मूल्याधारित करपद्धती लागू करण्यात आली असून त्यानुसार उत्पादन शुल्क वसूल करण्यात येत आहे. सद्यःस्थितीत दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार विदेशी मद्याकरिता निर्मिती मूल्याच्या ३०० टक्के अथवा रुपये ३५० यापैकी जे जास्त असेल ते याप्रमाणे उत्पादन शुल्क आकारण्यात येते.

नियमांचा तपशील

- (१) विशेष परवाना व अनुज्ञप्ती नियम, १९५२.
- (२) मुंबई विदेशी दारू नियम, १९५३.
- (३) महाराष्ट्र विदेशी दारू (आयात व निर्यात) नियम, १९६३.
- (४) महाराष्ट्र विदेशी दारू (रोखीने विक्री व विक्रीच्या नोंदवह्या इत्यादी) नियम, १९६९.

विक्री केलेल्या मद्यावर वसूल झालेल्या महसुलाची तुलनात्मक आकडेवारी, दिनांक ३१ मार्च २०२१ अखेर (प्रत्यक्ष) व दिनांक ३१ मार्च २०२२ वर्ष अखेरची (अंदाजित) आकडेवारी पुढीलप्रमाणे—

(रूपये लाखात)

| नामसूची Name | विक्री लाखात (बल्क लिटरमध्ये) (मार्च २०२१) Sale (in Lakhs) (Bulk Ltr.) | उत्पादन शुल्काची एकूण रक्कम (रुपय कोटीत) (एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१) Excise Duty (Rs. in crore) (April 2020 to March 2021) | संभाव्य Expected | |
|-----------------------------|--|---|---|------------------------------|
| | | | विक्री (एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२) Sale | उत्पादन शुल्क Excise Duty |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| (१) देशी (C. L.) | .. ३२०८.२१ | १५०७८.२५ कोटी | ३५२९.०३ | १६५८६.०० |
| (२) स्पिरीटस् (I. M. F. L.) | .. १९९९.९२ | | २९९८.९२ | |
| (३) वाईन (Wine) | .. ७०.७३ | | ७७.८३ | |
| (४) बीअर (Beer) | .. २०११.९३ | | २२१३.१२ | |

५. मद्यार्क.— कर्बोदकांवर किण्वन प्रक्रिया करून मद्यार्काची निर्मिती करण्यात येते. नैसर्गिकरीत्या अनेक धान्यांमध्ये, फळांमध्ये व फुलांमध्ये कर्बोदके मोठ्या प्रमाणावर असतात. तसेच ऊसापासून साखर निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये तयार होणारा उपपदार्थ मळीमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर कर्बोदके असतात. ज्या घटकांमधील कर्बोदकांपासून फायदेशीररीत्या मद्यार्क मिळवता येते त्यांच्या वापर सर्वसाधारणपणे मद्यार्क निर्मितीसाठी करण्यात येतो. महाराष्ट्र मद्यार्क आसवन व पेय मद्यनिर्मिती नियम, १९६६ नुसार मद्यार्क निर्मिती करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून नमुना “I” अनुज्ञप्ती देण्यात येते. सद्यःस्थितीत मळी, धान्य, मोहाफुले, ऊसाचा रस, साखरेचा पाक व काही फळांपासून मद्यार्क निर्मिती करण्यासाठी सदरील अनुज्ञप्ती देण्यात येते. मद्यार्कामधील पाण्याचा अंश काढून टाकण्यासाठी त्याचे उर्ध्वपतन करण्यासाठीदेखील नमुना “I” अनुज्ञप्ती देण्यात येते. केवळ नमुना “I” अनुज्ञप्तीधारकच मद्यार्क निर्मिती करू शकतात.

महाराष्ट्र विप्रकृत मद्यार्क नियम, १९५९ नुसार विप्रकृत मद्यार्क बाळगणे, वापर, विक्री, आयात, निर्यात व वाहतूक याकरिता विविध प्रकारच्या अनुज्ञप्त्या व परवाने देण्यात येत असत. मात्र मे. सर्वश्री. अर्स बायोफ्युअल प्रा. लि. या अनुज्ञप्तीधारकाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ८५४८/२००४ मध्ये दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाने महाराष्ट्र विप्रकृत मद्यार्क नियम, १९५९ मधील नियम, २३ ते ६२ रद्द केले आहेत. त्यामुळे विप्रकृत मद्यार्क बाळगणे, वापर, विक्री, आयात, निर्यात व वाहतूक यावर राज्य शासनाचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही.

सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरिता मळीपासून मद्यार्क निर्मिती करण्याकरिता मंजूर असलेल्या नमुना “I” अनुज्ञप्तीची संख्या १३३ तसेच धान्यापासून व मळी व्यतिरिक्त इतर पदार्थापासून व धान्यापासून मद्यार्क निर्मितीकरिता मंजूर असलेल्या नमुना “I” अनुज्ञप्तीची संख्या ३६ आहे व विप्रकृत मद्यार्काचे पुनःउर्ध्वपतन करून जलरहित मद्यार्क तयार करणाऱ्या नमुना “I” अनुज्ञप्तीची संख्या ०९ आहे. तसेच पॉट डिस्टिलेशन पद्धतीने मद्यार्क तयार करणाऱ्या “I” अनुज्ञप्तीची संख्या ०६ इतकी आहे. सदर कार्यरत आसवण्यांची यादी सोबतच्या प्रपत्रांमध्ये जोडण्यात आली आहे.

शासन निर्णय क्रमांक बीपीए-११०२/सीआर-१०/इएक्ससी-३, दिनांक १० जुलै २००३ अन्वये शासनाने मळीपासून मद्यार्क/ऊसाच्या रसापासून मद्यार्क/जलरहित मद्यार्क निर्मितीसाठीचे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना औद्योगिक तथा पेय मद्य निर्मितीसाठी मद्यार्काची व विक्री करण्यासाठी नमुना “I” अनुज्ञप्ती देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. तसेच साखर कारखाने नसणाऱ्या घटकांना मळीपासून फक्त स्वतःच्या

वापरासाठी मद्यार्क निर्मिती करण्याकरिता नमुना “I” अनुज्ञप्ती देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. तसेच सहकारी/खाजगी साखर कारखान्यांना व आसवनी विरहित खाजगी घटकांना राज्यातून मद्यार्क खरेदी करून अथवा उत्पादित मद्यार्कापासून जलरहित मद्यार्काची निर्मिती करण्यासाठी नमुना “I” अनुज्ञप्ती देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी या धोरणांमध्ये काहीसा बदल करून शासनाने साखर कारखाने नसणाऱ्या परंतु मळीपासून मद्यार्काचे उत्पादन करू इच्छिणाऱ्या घटकांना स्वतःच्या औद्योगिक प्रयोजनार्थ वापरासाठी, अन्य औद्योगिक घटकांना पुरवठा करण्यासाठी व पेय मद्याच्या उत्पादनासाठी मद्यार्क उत्पादन व विक्री करण्यासाठी नमुना “I” अनुज्ञप्ती देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे.

केंद्र शासनाने दिनांक १ जानेवारी २०१३ पासून पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रित करून त्याचा वापर इंधन म्हणून करण्यासाठी धोरण राबविलेले आहे. सुरुवातीस पेट्रोलमध्ये ५ टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. तदनंतर हे प्रमाण १० टक्के इतके करण्यात आले आहे. या केंद्र शासनाच्या धोरणामुळे मद्यार्काची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. सन २०१७-२०१८ पर्यंत पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रित करण्याचे उद्दिष्ट असताना महाराष्ट्र राज्यात हे प्रमाण ८.३ टक्के राहिलेले आहे. आगामी काळात १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्याचा केंद्र शासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यात इथेनॉलची (जलरहित मद्यार्काची) निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. त्या अनुषंगाने शासनाने शासन निर्णय, क्रमांक एमपीएल १११८/प्र.क्र.३४७/राउशु-३, दिनांक २३ जानेवारी २०१९ अन्वये बी-हेवी, सी-हेवी मळी व ऊसाचा रस या तीन स्वतंत्र स्रोतांपासून इथेनॉल निर्मिती करण्याची परवानगी दिली. तसेच शासनाने शासन निर्णय, क्रमांक डीवायएस-०९२०/प्र.क्र.१६३/राउशु-२, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० नुसार साखर, साखरेचा पाक, ऊसाचा रस, बी-हेवी मळी, सी-हेवी मळीपासून इथेनॉल निर्मिती करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणून त्यात परवानगी ऐवजी पूर्वसूचना देऊन उत्पादन करून विक्री करण्यास मान्यता दिली आहे.

गृहविभाग शासन निर्णय क्रमांक डीवायएस-०५२१/प्र.क्र.६१/राउशु-२, दिनांक २९ डिसेंबर २०२१ अन्वये मळी व्यतिरिक्त इतर पदार्थांपासून मद्यार्क तयार करण्यासाठी व अशा मद्यार्काचा वापर करून देशी व भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य तयार करण्यासाठी धान्यधारित मद्यार्क वापरण्यासाठी सुधारित धोरण जाहीर करण्यात आले. धान्याधारित मद्यार्क निर्मिती क्षेत्रास प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी व उपाययोजना राबविण्यासाठी सदरील धोरण शासनाने जाहीर केले आहे. त्यामध्ये राज्यातील देशी व भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य उत्पादन करताना मळी अधारित मद्यार्काचा वापर करणाऱ्या सीएल-१ व पीएलएल घटकांना दिनांक १ जानेवारी २०२२ पासून पेय मद्य निर्मितीसाठी किमान २० टक्के धान्यधारित मद्यार्काचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, धान्याधारित मद्यार्कापासून मद्यनिर्मिती करणाऱ्या सीएल-१ व पीएलएल घटकांना १०० टक्के धान्यधारित मद्यार्काचा वापर करणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.

महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ नुसार नमुना आय, पीएलएल व सीएल-१ (मळी व्यतिरिक्त) व बीआरएल अनुज्ञप्ती (वाईनरी व मायक्रोब्रुवरी वगळून) मंजूर करण्याआधी इरादापत्र मंजूर करणे व त्यास मुदतवाढ देण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चिती गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक एमपीएल-०९२१/प्र.क्र.१६६/राउशु-३, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये करण्यात आली आहे. यामध्ये घटकास प्रथम शास्वती म्हणून इरादापत्रास मंजूर करणे, इरादापत्र मंजुरीसाठी आवश्यक कागदपत्रे, इरादापत्र मंजुरीचा कालावधी व शुल्क आणि इरादापत्र मुदतवाढ देण्याची कार्यपद्धती इत्यादी बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

इथेनॉल निर्मिती करून त्याचा पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी वापर केल्यास पेट्रोलियम खनिज तेलाची आयात कमी करण्यास मदत होते. त्यामुळे देशाचे मौल्यवान परकीय चलन वाचते. तर परदेशी व्यापारातील तूट कमी होते, शिवाय इथेनॉलमुळे वातावरणात प्रदूषणही काही प्रमाणात कमी होते. मद्यार्काचा वापर मद्य निर्मितीपासून ते इथेनॉल निर्मितीपर्यंत सर्वच बाबींसाठी होत असल्याने मद्यार्काचे उत्पादन वाढवून सर्वस्तरावर सर्व घटकांना योग्य पद्धतीने मद्यार्काचा पुरवठा होईल यासाठी राज्य सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे.

विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध अनुज्ञप्त्यांचे प्रकार व त्यांचा उद्देश

| अ. क्र. | अनुज्ञप्तीचा प्रकार | अनुज्ञप्तीचे नाव | अनुज्ञप्तीचा उद्देश |
|---------|---|------------------|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | मद्यार्क निर्मिती अनुज्ञप्ती | नमुना "I" | मळी, उसाचा रस, साखरेचा पाक, धान्य व इतर पदार्थ यांपैकी एक किंवा अनेक पदार्थांपासून मद्यार्कनिर्मिती करण्यासाठी सदर अनुज्ञप्ती देण्यात येते. |
| २ | देशी मद्य निर्मिती अनुज्ञप्ती. | सीएल-१ | मद्यार्कापासून देशी मद्य निर्माण करण्यासाठी सदर अनुज्ञप्ती प्रदान करण्यात येते. |
| ३ | भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य निर्मिती अनुज्ञप्ती | पीएलएल | मद्यार्कापासून भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्याचे उत्पादन करण्यासाठी सदर अनुज्ञप्ती प्रदान करण्यात येते. |
| ४ | बीअर निर्मिती अनुज्ञप्ती | बीआरएल | बार्ली ओट व तत्सम पदार्थांपासून बीअरची निर्मिती करण्यासाठी सदर अनुज्ञप्ती प्रदान करण्यात येते. |
| ५ | ठोक विक्री अनुज्ञप्ती | एफएल-१ | मुंबई विदेशी मद्य नियम १९५३ अंतर्गत भारतीय सीमा शुल्क हद्दीतून पेय विदेशी मद्य बाहेर काढणे व भारतीय बनावटीचे पेय मद्यविक्री करण्यासाठी व्यापार आणि आयात अनुज्ञप्ती. |
| ६ | ठोक विक्री अनुज्ञप्ती | एफएल/डब्ल्यू-१ | मुंबई विदेशी मद्य नियम १९५३ अंतर्गत भारतीय सीमा शुल्क हद्दीतून वाईन बाहेर काढणे. |
| ७ | किरकोळ विक्री अनुज्ञप्ती | एफएल/डब्ल्यू-२ | मुंबई विदेशी मद्य नियम १९५३ अंतर्गत वाईनच्या सीलबंद विक्रीकरिता अनुज्ञप्ती. |
| ८ | किरकोळ विक्री अनुज्ञप्ती | एफएल/बीआर-२ | मुंबई विदेशी मद्य नियम १९५३ अंतर्गत बीअर किंवा वाईन किंवा दोन्हीची सीलबंद विक्रीकरिता अनुज्ञप्ती. |
| ९ | किरकोळ विक्री अनुज्ञप्ती | एफएल-३ | मुंबई विदेशी मद्य नियम १९५३ अंतर्गत भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्याची व परदेशातून आयात केलेल्या पेय मद्याची हॉटेल आस्थापनेवर विक्री करण्यासाठी अनुज्ञप्ती. |
| १० | किरकोळ विक्री अनुज्ञप्ती | एफएल-४ | मुंबई विदेशी मद्य नियम १९५३ अंतर्गत भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्याची व परदेशातून आयात केलेल्या पेय मद्याची क्लबच्या आस्थापनेवर विक्री करण्यासाठी अनुज्ञप्ती. |
| ११ | किरकोळ विक्री अनुज्ञप्ती | फॉर्म-ई | विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम १९५२ अंतर्गत सौम्य मद्य किंवा वाईन अथवा दोन्हीही यांची खुली आणि सीलबंद स्वरूपात हॉटेल/कॅन्टीन/क्लबच्या आस्थापनेवर विक्री करण्याकरिता अनुज्ञप्ती. |
| १२ | किरकोळ विक्री अनुज्ञप्ती | ई-२ | विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम १९५२ अंतर्गत वाईनच्या विक्रीकरिता अनुज्ञप्ती. |
| १३ | मळी उत्पादन व विक्री अनुज्ञप्ती. | फॉर्म एम-१ | मुंबई मळी नियम १९५५ अंतर्गत मळी उत्पादने मळी बाळगणे व विक्री करिताची अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. |
| १४ | मळी साठवणूक व वापर अनुज्ञप्ती. | फॉर्म एम-२ | मुंबई मळी नियम १९५५ अंतर्गत मळी उत्पादकाव्यतिरिक्त मळी बाळगणे व वापर करणे करिताची अनुज्ञप्ती. |
| १५ | मळी खरेदी व विक्री अनुज्ञप्ती. | फॉर्म एम-३ | मुंबई मळी नियम १९५५ अंतर्गत मळी उत्पादकाव्यतिरिक्त मळी बाळगणे व विक्री करणे करिताची अनुज्ञप्ती. |

| अ. क्र. | अनुज्ञप्तीचा प्रकार | अनुज्ञप्तीचे नाव | अनुज्ञप्तीचा उद्देश |
|---------|---|--|--|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १६ | मळी साठवणूक व वापर अनुज्ञप्ती. | फॉर्म एम-३-ए | मुंबई मळी नियम १९५५ अंतर्गत पशुखाद्याकरिता मळी विकत घेणे, बाळगणे व वापर करण्याकरिताची अनुज्ञप्ती. |
| १७ | मोहाफुले साठवणूक अनुज्ञप्ती. | फॉर्म एमएफ-१ | मुंबई मोहाफुले नियम १९५० अंतर्गत मोहाफुले बाळगण्याकरिताची अनुज्ञप्ती |
| १८ | शुद्ध मद्यार्क साठवणूक व वापर | आरएस-२ | औद्योगिक, शैक्षणिक, औषधी व वैद्यकीय पृथःकरण करण्याकरिता शुद्ध मद्यार्काचा वापर करणे, बाळगण्याकरिताची अनुज्ञप्ती. |
| १९ | किरकोळ विक्री अनुज्ञप्ती | आरएस-६ | शुद्ध मद्यार्काच्या किरकोळ विक्री करण्याकरिताची अनुज्ञप्ती |
| २० | शुद्ध मद्यार्क बाटलीबंद करणे अनुज्ञप्ती. | आरएस-६ए | शुद्ध मद्यार्काच्या बाटल्या भरण्याकरिता अनुज्ञप्ती |
| २१ | शुद्ध मद्यार्क टोक विक्री अनुज्ञप्ती. | आरएस-७ | शुद्ध मद्यार्काची बंधित साठवणूक व घाऊक विक्री करण्याकरिताची अनुज्ञप्ती |
| २२ | बीअर निर्मिती अनुज्ञप्ती | बीआरएल (मायक्रोब्रुवरी इरादापत्र व मंजूरी) | महाराष्ट्र बीअर व वाईन निर्मिती नियम, १९६६ अंतर्गत रेस्टॉरंटमध्ये बीअर निर्मितीकरिता अनुज्ञप्ती. |
| २३ | वाईन निर्मिती अनुज्ञप्ती | बीआरएल (वानयरी) इरादापत्र व मंजूरी. | महाराष्ट्र बीअर वाईन निर्मिती नियम १९६६ अंतर्गत रेस्टॉरंटमध्ये वाईन निर्मितीकरिता अनुज्ञप्ती. |
| २४ | किरकोळ विक्री अनुज्ञप्ती | सीएल/एफएल/टिओडी-३ मंजूर करणे. | मुंबई विदेशी मद्य नियम १९५३ अंतर्गत एफएल-२ अनुज्ञप्ती धारण करणाऱ्या व्यक्तीस महाराष्ट्र देशी दारू नियम १९७३ अंतर्गत देशी मद्याची सीलबंद बाटल्यामध्ये किरकोळ विक्री करण्याकरिताची अनुज्ञप्ती. |
| २५ | विप्रकृत मद्यार्क तयार करण्याची अनुज्ञप्ती. | फॉर्म डीएस-१ | मुंबई विप्रकृत मद्यार्क नियम १९५९ अन्वये बंधपत्रांतर्गत भारतामध्ये निर्मित झालेल्या शुद्ध मद्यार्कापासून विप्रकृत मद्यार्क तयार करण्याकरिता आणि वखारीतून विप्रकृत मद्यार्क विक्री करण्याकरिता अनुज्ञप्ती. |
| २६ | मद्य आयात करणे अनुज्ञप्ती. | एल फॉर्म | परदेशातून मद्य आयात करण्यासाठी व त्याचे वितरण करण्यासाठी सदर अनुज्ञप्ती देण्यात येते. |
| २७ | मद्य आयात करणे अनुज्ञप्ती. | फॉर्म “के” नोदणी प्रमाणपत्र मंजूरी | महाराष्ट्र विदेशी मद्य (आयात व निर्यात), नियम, १९६३ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्याव्यतिरिक्त इतर राज्यातील भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य/बीअर/वाईन उत्पादकांना त्यांच्या ब्रॅन्डची महाराष्ट्रात विक्री करण्याकरिता. |
| २८ | किरकोळ विक्री अनुज्ञप्ती | फॉर्म-एफएल-४-ए | विशेष कार्यक्रमाकरिता देण्यात येणारी तात्पुरती अनुज्ञप्ती |
| २९ | मळी आयात अनुज्ञप्ती | फॉर्म एम-४ | मुंबई मळी नियम १९५५ अंतर्गत मळी आयात करण्याकरिता अनुज्ञप्ती |
| ३० | मळी निर्यात अनुज्ञप्ती | फॉर्म एम-५ | मुंबई मळी नियम १९५५ अंतर्गत मळी निर्यात करण्याकरिता अनुज्ञप्ती |
| ३१ | मद्य सेवन परवाना | फॉर्म-एफएल-एक्स-सी | मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात विदेशी मद्य आणि देशी मद्य खरेदी, बाळगणे, वाहतूक आणि पिण्याकरिता वार्षिक अथवा आजीवन परवाना मंजूर करणे. |
| ३२ | मद्य सेवन परवाना | फॉर्म-एफएल-एफ | मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात विदेशी मद्य खरेदी, बाळगणे, वाहतूक आणि पिण्याकरिता एकदिवसीय परवाना मंजूर करणे. |
| ३३ | मद्य सेवन परवाना | फॉर्म-सीएल-सी | मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात देशी मद्याची खरेदी बाळगणे, वाहतूक आणि पिण्याकरिता एकदिवसीय परवाना मंजूर करणे |

मळीव्यतिरिक्त इतर पदार्थापासून / धान्यापासून मद्यार्क निर्मितीकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या कार्यरत नमुना "I" अनुज्ञप्तीची यादी

| अ. क्र. Sr. No. | घटकाचे नाव Name of the Unit | फॉर्म "आय" Form "I" | उत्पादन क्षमता ब. लि. (वार्षिक) (लाखात) Production Capacity KLPD Bulk Litre (Yearly) Lakhs | |
|-----------------------|--|------------------------|--|-----|
| | | | 4 | 5 |
| १ | मे. साऊथ सीज डिस्टिलरी अॅण्ड ब्रेवरीज, ठाणे M/s. South Seas Distillery Pvt. Ltd., Thane. | १ | १५ | ४५ |
| २ | मे. परनॉड रिकार्ड इंडिया प्रा. लि., नाशिक (सिग्राम डिस्टिलरी), (माल्ट स्पिरिट). M/s. Pernod Rocord India Pvt. Ltd., Nashik (Cigram Distillery). (Malt Spirit) | २ | ७३ | २१९ |
| ३ | मे. विराज अल्कोहोल अॅण्ड अलाइड इंड. लि., सांगली. M/s. Viraj Alcohol and Allied Ind., Sangli. | ६ | ३० | ९० |
| ४ | मे. अल्कोप्लस प्रोड्यूसर्स प्रा. लि., जि. लातूर. M/s. Alkoplus Producers Pvt. Ltd., Latur. | ७ | ६० | १८० |
| ५ | मे. आनंद डिस्टिलरी प्रा. लि., अमरावती. M/s. Aanand Distillery Pvt. Ltd., Amravati. | ८ | १५ | ४५ |
| ६ | मे. एडलर्स बायोएनर्जी लि., उस्मानाबाद. M/s. Adlers Bio Energy Pvt. Ltd., Usmanabad. | ११ | ३० | ९० |
| ७ | मे. ग्रेनॉच इंडस्ट्रीज लि., औरंगाबाद. M/s. Grainotch Industries Ltd., Aurangabad. | १२ | १०० | ३०० |
| ८ | मे. यशराज इथेनॉल प्रोसेसिंग प्रा. लि., सातारा. M/s. Yashraj Ethanoll Processing Pvt. Ltd., Satara. | १३ | ४५ | १३५ |
| ९ | मे. व्यंकटेश्वरा बायोरिफायनरीज अॅण्ड प्रा. लि., जि. सांगली. M/s. Venketshwra Bioriphanerigi and Pvt. Ltd., district Sangli | १७ | ३० | ९० |
| १० | मे. रॅडीको एनव्ही डिस्टिलरीज महाराष्ट्र लि., जि. औरंगाबाद. M/s. Radico Navi Distillery Ltd., district Aurangabad. | १९ | ६० | १८० |
| ११ | मे. सासवड माळी शुगर फॅक्टरी लि., जि. सोलापूर. M/s. Saswad Mali Sugar Factory Ltd., district Solapur. | २० | ३० | ९० |
| १२ | मे. पायोनियर डिस्टिलरी लि., जिल्हा नांदेड. M/s. Pioneer Distillery Ltd., district Nanded. | २१ | ६० | १८० |
| १३ | मे. टिळकनगर इंडस्ट्रीज लि., जि. अहमदनगर. M/s. Tilakanagar Industries Ltd., district Ahmednagar. | २२ | १०५ | ३०० |
| १४ | मे. विठ्ठल डिस्टिलरीज लि., जि. उस्मानाबाद. M/s. Vitthal Distillery Ltd., district Usmanabad. | २३ | ४५ | १३५ |

| अ. क्र. Sr. No. | घटकाचे नाव Name of the Unit | फॉर्म "आय" Form "1" | उत्पादन क्षमता ब. लि. (वार्षिक) (लाखात) Production Capacity KLPD Bulk Litre (Yearly) (Lakhs) | | |
|-----------------------|---|------------------------|--|----------------|----------------|
| | | | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| १५ | मे. युनायटेड स्पिरिट्स लि., जि. नाशिक (माल्ट स्पिरिट), M/s. United Spirities Ltd., district Nashik (Malt Spirit). | २४ 24 | ३० 30 | ९० 90 | |
| १६ | मे. प्रिविलेज इंडस्ट्रिज लि., जि. सातारा. M/s. Privillage Industries Ltd., district Satara. | २७ 27 | १०५ 105 | ३०० 300 | |
| १७ | मे. व्हिक्टोरिया अॅग्रो फुड प्रोसेसिंग लि., जि. लातूर. M/s. Privillage Agro Food Procecing Ltd., district Latur. | २८ 28 | ६० 60 | १८० 180 | |
| १८ | मे. पायोनिर अॅग्रो इंडस्ट्रिज लि., बाळापूर, तालुका धर्माबाद, जि. नांदेड, (माल्ट स्पिरिट) M/s. Pionear Industries Ltd., Balapur, taluka Dharmabad, district Nanded. (Malt Spirit). | ३१ 31 | १३५ 135 | ३६० 360 | |
| १९ | मे. असोसिएट्स वाईन्स प्रा. लि., बारामती, पुणे. (माल्ट स्पिरिट). M/s. Associates Wines Pvt. Ltd., Baramati, Pune. (Malt Spirit). | ३३ 33 | ६० 60 | १८० 180 | |
| २० | मे. कोकण अॅग्रो मरिन इंडस्ट्रिज प्रा. लि., औरंगाबाद. M/s. Kokan Agro Industries Pvt. Ltd., Aurangabad. | ३४ 34 | ३० 30 | ९० 90 | |
| २१ | मे. डेक्कन शुगर प्रा. लि., बाबरगाव, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद. M/s. Deccan Sugar Pvt. Ltd., Babargaon, taluka Gangapur, district Aurangabad. | ३६ 36 | ४० 40 | १२० 120 | |
| २२ | मे. सेंच्युरी वाईन्स प्रा. लि., बारामती, पुणे (बार्लीपासून). M/s. Centurei Wines Pvt. Ltd., Baramati, Pune, (From Barli). | ३५ 35 | १० 10 | ३० 30 | |
| | | एकूण Total | -- - | १,१६८ 1,168 | ३,४२९ 3,429 |

विवरणपत्र "अ"

मळीपासून मद्यार्क निर्मितीसाठी कार्यरत असलेल्या नमुना "1" अनुज्ञप्ती घटकांची यादी

| अ. क्र. Sr. No. | घटकाचे नाव Name of the Unit | अनुज्ञप्ती क्रमांक Licence No. | उत्पादन केएलपीडी Production KLPD | वार्षिक उत्पादन क्षमता ब. लि. Yearly Production Capacity Bulk Litre |
|--------------------------|--|---|---|--|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १ | मे. ज्युबिलंट लाईफ सायन्सेस लि., निंबुत, निरा, तालुका बारामती, जि. पुणे (मे. ज्युबिलंट ऑरगॅनोसिस लि.,) | १ | १४५ | ४३५ |
| 1 | M/s. Jubilant Life Sciences Ltd., Nimbut, taluka Baramati, district Pune (M/s. Jubilant Organoses). | 1 | 145 | 435 |
| २ | मे. जॉन डिस्टिलरीज प्रा. लि., चितळी, तालुका राहाता, जिल्हा अहमदनगर | २ | १५० | ४५० |
| 2 | M/s. Jone Distilleries Pvt. Ltd., Chitali, taluka Rahata, district Ahmednagar | 2 | 150 | 450 |
| ३ | मे. कृष्णा स. सा. का. लि., रेतरे बु II, पो. शिवनगर, तालुका कराड, जिल्हा सातारा (मे. यशवंतराव मोहिते स. सा. का. लि.,) | ४ | ९५ | २८५ |
| 3 | M/s. Krishna S. S. K. Ltd., Rethare Bk., Post Shivanagar, taluka Karad, district Satara. (M/s. Yashwantrao Mohite S. S. K. Ltd.). | 4 | 95 | 285 |
| ४ | मे. औरंगाबाद डिस्टिलरी प्रा. लि., वालचंदनगर, पुणे | ६ | ३३.३३ | १०० |
| 4 | M/s. Aurangabad Distillery Pvt. Ltd., Walchandnagar, Pune | 6 | 33.33 | 100 |
| ५ | मे. वसंतदादा शेतकरी स. सा. का. लि., जिल्हा सांगली | ८ | ४५ | १३५ |
| 5 | M/s. Vasantdada Shetkari S. S. K. Ltd., district Sangli | 8 | 45 | 135 |
| ६ | मे. यशवंत स. सा. का. लि., चिंतामणीनगर, थेऊर, जिल्हा पुणे | ९ | ३० | ९० |
| 6 | M/s. Yashwant S. S. K. Ltd., Chintamaninagar, Theur, district Pune | 9 | 30 | 90 |
| ७ | मे. श्रीदत्त शेतकरी स. सा. का. लि., तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर | १० | ६० | १८० |
| 7 | M/s. Shridatta Shetkari S. S. K. Ltd., taluka Shirol, district Kolhapur | 10 | 60 | 180 |
| ८ | मे. संजीवनी "टाकळी" स. सा. का. लि., तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर. | ११ | ७५ | २२५ |
| 8 | M/s. Sanjeevani "Takali" S. S. K. Ltd., taluka Kopargaon, district Ahmednagar. (मे. सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे स. सा. का. लि., तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर.) (M/s. Sahakar Maharshi Shankarrao Kolhe S. S. K. Ltd., taluka Kopargaon, district Ahmednagar.) | 11 | 75 | 225 |
| ९ | मे. मुळा स. सा. का. लि., सोनाई, तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर | १२ | ३० | ९० |
| 9 | M/s. Mula S. S. K. Ltd., Sonai, taluka Nevasa, district Ahmednagar | 12 | 30 | 90 |
| १० | मे. राजारामबापू पाटील स. सा. का. लि., राजारामनगर, पो. साखराळे, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. | १३ | ७५ | २२५ |
| 10 | M/s. Rajarambapu Patil S. S. K. Ltd., Rajaramnagar, post Sakharale, taluka Walva, district Sangli. | 13 | 75 | 225 |
| ११ | मे. सातपुडा तापी परिसर स. सा. का. लि., पुरुषोत्तमनगर, शहादा, जिल्हा नंदुरबार | १४ | ७५ | २२५ |
| 11 | M/s. Satpuda Tapi Parisar S. S. K. Ltd., Purushottamnagar, Shahada, district Nandurbar. | 14 | 75 | 225 |

विवरणपत्र "अ"--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | |
|----|--|----|-------|-----|
| १२ | मे. विकासरत्न विलासराव देशमुख स. सा. का. लि., विलासनगर, जिल्हा लातूर | १५ | ३० | ९० |
| 12 | M/s. Vikasratna Vilasrao Deshmukh S. S. K. Ltd., Vilasnagar, district Latur | 15 | 30 | 90 |
| १३ | मे. ब्रीमा सागर महाराष्ट्र डिस्टिलरी प्रा. लि., श्रीपूर, तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर. | १६ | ४३.३३ | १३० |
| 13 | M/s. Breema Sagar Maharashtra Distilary Pvt. Ltd., Shripur, taluka Malshiras, district Solapur. | 16 | 43.33 | 130 |
| १४ | मे. कर्मवीर शंकरराव काळे स. सा. का. लि., पोस्ट कोळपेवाडी, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर (मे. कोपरगाव स. सा. का. लि.). | १७ | ३० | ९० |
| 14 | M/s. Karmaveer Shankarrao Kale S. S. K. Ltd., post Kolpewadi, taluka Kopargaon, district Ahmednagar (M/s. Kopargaon S. S. K. Ltd.). | 17 | 30 | 90 |
| १५ | मे. देशभक्त रत्नाप्पण्णा कुंभार, पंचगंगा स. सा. का. लि., गंगानगर, तालुका इचलकरंजी, जिल्हा कोल्हापूर. | १८ | ४५ | १३५ |
| 15 | M/s. Deshbhakta Ratnapanna Kumbhar, Panchganga S. S. K. Ltd., Ganganagar, taluka Ichalkaranji, district Kolhapur. | 18 | 45 | 135 |
| १६ | मे. कुंभी कासारी स. सा. का. लि., कुडीत्रे, तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर | १९ | ३० | ९० |
| 16 | M/s. Kumbhi Kasari S. S. K. Ltd., Kuditye, taluka Karveer, district Kolhapur | 19 | 30 | 90 |
| १७ | मे. टिळकनगर इंडस्ट्रिज लि., पोस्ट टिळकनगर, बेलापूर रेल्वे स्टेशन, जि. अहमदनगर. | २० | ६० | १८० |
| 17 | M/s. Tilaknagar Industries Ltd., post Tilaknagar, Belapur Railway Station, district Ahmednagar. | 20 | 60 | 180 |
| १८ | मे. रॅडिको एनव्ही डिस्टिलरी महाराष्ट्र लि., एम.आय.डी.सी., शेंद्रे इंडस्ट्रियल इस्टेट, तालुका, जिल्हा औरंगाबाद. | २१ | १४० | ४२० |
| 18 | M/s. Radico NV Distilary Maharashtra Ltd., M.I.D.C., Shendre Industrial Estate, taluka, district Aurangabad. | 21 | 140 | 420 |
| १९ | मे. सह्याद्री स. सा. का. लि., यशवंतनगर, तालुका कराड, जिल्हा सातारा. | २२ | ३० | ९० |
| 19 | M/s. Sahyadri Shetkari S. S. K. Ltd., Yashwanthnagar, taluka Karad, district Satara. | 22 | 30 | 90 |
| २० | मे. श्रीगोंदा स. सा. का. लि., पोस्ट श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर | २४ | ३० | ९० |
| 20 | M/s. Shrigonda S. S. K. Ltd., post Shrigonda, taluka Shrigonda, district Ahmednagar. | 24 | 30 | 90 |
| २१ | मे. पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील स. सा. का. लि., प्रवरानगर, तालुका श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर. | २५ | ९० | २७० |
| 21 | M/s. Padmashree Dr. Vitthalrao-Vikhe Patil S. S. K. Ltd., Pravaranagar, taluka Shrirampur, district Ahmednagar. | 25 | 90 | 270 |
| २२ | मे. बापूराव बापूजी तनपूरे स. सा. का. लि., श्री. शिवाजीनगर, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर. | २६ | ४५ | १३५ |
| 22 | M/s. Bapurao Bapuji Tanpure S. S. K. Ltd., Shree. Shivajinagar, taluka Rahuri, district Ahmednagar. | 26 | 45 | 135 |
| २३ | मे. भोगावती स. सा. का. लि., परिते, तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर | २७ | ४५ | १३५ |
| 23 | M/s. Bhogawati S. S. K. Ltd., Parite, taluka Karveer, district Kolhapur | 27 | 45 | 135 |

विवरणपत्र "अ"--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | |
|----|--|----|-------|-----|
| २४ | मे. सिद्धेश्वर स. सा. का. लि., कामथे, पोस्ट टिकेकरवाडी, जिल्हा सोलापूर | २८ | ४५ | १३५ |
| 24 | M/s. Siddheshwar S. S. K. Ltd., Kamathe, post Tikekarwadi, district Solapur | 28 | 45 | 135 |
| २५ | मे. सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील स. सा. का. लि., शंकरनगर, अकलूज, जि. सोलापूर. | २९ | ९० | १८० |
| 25 | M/s. Sahakar Maharshi Shankarrao Mohite-Patil S. S. K. Ltd., Shankarnagar, Akluj, district Solapur. | 29 | 90 | 180 |
| २६ | मे. कर्मवीर काकासाहेब वाघ स. सा. का. लि., तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक | ३० | १२ | ३६ |
| 26 | M/s. Karmaveer Kakasaheb Wagh S. S. K. Ltd., taluka Niphad, district Nashik. | 30 | 12 | 36 |
| २७ | मे. माळेगाव स. सा. का. लि., शिवनगर, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे | ३१ | ६३.३३ | १९० |
| 27 | M/s. Malegaon S. S. K. Ltd., Shivnagar, taluka Baramati, District Pune | 31 | 63.33 | 190 |
| २८ | मे. सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात स. सा. का. लि., अमृतनगर, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर. | ३३ | ४० | १२० |
| 28 | M/s. Sahakar Maharshi Bhausaheb Thorat S. S. K. Ltd., Amrutnagar, taluka Sangamner, district Ahmednagar. | 33 | 40 | 120 |
| २९ | मे. आप्पासाहेब नलवडे गडहिंगलज तालुका स. सा. का. लि., हरळी, तालुका गडहिंगलज, जिल्हा कोल्हापूर. | ३६ | ३० | ९० |
| 29 | M/s. Appasaheb Nalwade Gadhingalaj Taluka S. S. K. Ltd., Harali, taluka Gadhingalaj, district Kolhapur. | 36 | 30 | 90 |
| ३० | मे. सिद्धेश्वर स. सा. का. लि., माणिकनगर, तालुका सिल्लोड, जि. औरंगाबाद | ३७ | ९० | १८० |
| 30 | M/s. Sddhishwera S. S. K. Ltd., Maniknagar, taluka Sillod, district Aurangabad. | 37 | 90 | 180 |
| ३१ | (मे. ज्ञानेश्वर स. सा. का. लि., पोस्ट भेंडे, तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर) मे. लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर स. सा. का. तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर). | ३८ | ३० | ९० |
| 31 | (M/s. Dnyaneshwar S. S. K. Ltd., post Bhende, taluka Nevasa, district Ahmednagar), M/s. Lokanete Marutrao Ghule Patil, Dnyaneshwar S. S. K. Ltd., post Bhende, taluka Nevasa, district Ahmednagar. | 38 | 30 | 90 |
| ३२ | मे. दौलत शेतकरी स. सा. का. लि., हलकर्णी, तालुका चंद्रगड, जिल्हा कोल्हापूर | ३९ | ३० | ९० |
| 32 | M/s. Daulat Shetkari S. S. K. Ltd., Halkarni, taluka Chandgad, district Kolhapur. | 39 | 30 | 90 |
| ३३ | मे. तात्यासाहेब कोरे स. सा. का. लि., वारणानगर, तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर | ४० | ६० | १८० |
| 33 | M/s. Tatyasaheb Kore S. S. K. Ltd., Warnanagar, taluka Panhala, district Kolhapur. | 40 | 60 | 180 |
| ३४ | मे. अजिंक्यतारा स. सा. का. लि., शाहूनगर, शेंद्रे, जिल्हा सातारा | ४१ | ३० | ९० |
| 34 | M/s. Ajinkyatara S. S. K. Ltd., Shahunagar, Shendre, district Satara | 41 | 30 | 90 |
| ३५ | मे. श्रीराम स. सा. का. लि., नीरा व्हॅली अर्कशाळा विभाग, फलटण, निरा व्हॅली, जिल्हा सातारा. | ४२ | ३० | ९० |
| 35 | M/s. Shriram S. S. K. Ltd., Neera Vally Arkashala Vibhag, Phaltan, Neeravally, district Satara. | 42 | 30 | 90 |
| ३६ | मे. युनायटेड स्पिरिट लि., इंडस्ट्रियल एरिया, चिखलठाणा, जिल्हा औरंगाबाद | ४३ | ४५ | १३५ |
| 36 | M/s. United Spirit Ltd., Industrial Area, Chikhalthana, district Aurangabad | 43 | 45 | 135 |

विवरणपत्र "अ"--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | |
|----|---|----|-----|-----|
| ३७ | मे. शंकर स. सा. का. लि., सदाशिवनगर, तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर | ४५ | ३० | ९० |
| 37 | M/s. Shankar S. S. K. Ltd., Sadashivnagar, taluka Malshiras, district Solapur | 45 | 30 | 90 |
| ३८ | मे. कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ स. सा. का. लि., अंबड, पोस्ट वाडीगोद्री, तालुका अंबड, जिल्हा जालना. | ४६ | ३० | ९० |
| 38 | M/s. Karmayogi Ankushrao Tope Samarth S. S. K. Ltd., Ambad, post Wadigodri, taluka Ambad, district Jalna. | 46 | 30 | 90 |
| ३९ | मे. पूर्णा स. सा. का. लि., बसमतनगर, जिल्हा हिंगोली | ४९ | ३० | ९० |
| 39 | M/s. Purna S. S. K. Ltd., Basmatnagar, district Hingoli. | 49 | 30 | 90 |
| ४० | मे. किसनवीर सातारा स. सा. का. लि., भुईज, पोस्ट किसनवीरनगर, तालुका वाई, जिल्हा सातारा. | ५० | ३० | ९० |
| 40 | M/s. Kisanveer Satara S. S. K. Ltd., Bhuijn, post Kisanveernagar, taluka Wai, district Satara. | 50 | 30 | 90 |
| ४१ | मे. मधुकर स. सा. का. लि., न्हवी मार्ग, फैजपूर, जिल्हा जळगाव | ५१ | ३० | ९० |
| 41 | M/s. Madhukar S. S. K. Ltd., Nhavi Marg, Fajapur, district Jalgaon | 51 | 30 | 90 |
| ४२ | मे. वैभव लिकर प्रा. लि., मसळापेन, केशवनगर, जिल्हा वाशिम | ५२ | ३० | ९० |
| 42 | M/s. Vaibhav Likar Pvt. Ltd., Masalapen, Keshavnagaar, district Washim | 52 | 30 | 90 |
| ४३ | मे. श्रीगणेश स. सा. का. लि., गणेशनगर, ता. कोपरगाव, जि. अहमदनगर | ५३ | ३० | ९० |
| 43 | M/s. Ganesh S. S. K. Pvt. Ltd., Ganeshnagar, taluka Kopergaon, district Ahmednagar. | 53 | 30 | 90 |
| ४४ | मे. माणगंगा स. सा. का., सोनारसिद्धनगर, आटपाडी, जिल्हा सांगली | ५४ | ३० | ९० |
| 44 | M/s. Manganga S. S. K., Sonarsiddhanagar, Aatpadi, district Sangli | 54 | 30 | 90 |
| ४५ | मे. साऊथ कोकण डिस्टिलरीज, इन्सुली, तालुका सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग | ५५ | १५ | ४५ |
| 45 | M/s. South Kokan Distilary, Insuli, taluka Sawantwadi, district Sindhudurga | 55 | 15 | 45 |
| ४६ | मे. अशोक स. सा. का. लि., कोरेगाव, तालुका श्रीरंगपूर, जिल्हा अहमदनगर | ५६ | ३० | ९० |
| 46 | M/s. Ashok S. S. K. Ltd., Koregaon, taluka Shrirangpur, district Ahmednagar | 56 | 30 | 90 |
| ४७ | मे. जयभवानी स. सा. का. लि., शिवाजीनगर, पोस्ट गेवराई, तालुका गेवराई, जिल्हा बीड. | ५७ | ३० | ९० |
| 47 | M/s. Jaibhavani S. S. K. Ltd., Shivajinagar, post Gevrai, taluka Gevrai, district Beed. | 57 | 30 | 90 |
| ४८ | मे. पायोनियर डिस्टिलरी प्रा. लि., बेलापूर व्हिलेज, धर्माबाद, तालुका बिलोली, जि. नांदेड. | ५८ | १०० | ३०० |
| 48 | M/s. Pioneer Distilleries Pvt. Ltd., Belapur Village, Dharmabad, taluka Biloli, district Nanded. | 58 | 100 | 300 |
| ४९ | मे. आंबेजोगाई स. सा. का. लि., अंबासाखर, जिल्हा बीड | ५९ | ३० | ९० |
| 49 | M/s. Ambejogai S. S. K. Ltd., Ambasakhar, district Beed | 59 | 30 | 90 |
| ५० | मे. सागर इंडस्ट्रिज अॅण्ड डिस्टिलरीज प्रा. लि., पोस्ट घाने, तालुका चांदवड, जिल्हा नाशिक. | ६१ | १०० | ३०० |
| 50 | M/s. Sagar Industries and Distilleries Pvt. Ltd., Dyane, taluka Chandwad, district Nashik. | 61 | 100 | 300 |
| ५१ | मे. कोल्हापूर शुगर मिल्स लि., कसबा-बावडा, जिल्हा कोल्हापूर | ६२ | ६० | १८० |
| 51 | M/s. Kolhapur Sugar Mills Ltd., Kasba-Bavada, district Kolhapur | 62 | 60 | 180 |

विवरणपत्र "अ"--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | |
|----|--|----|----|-----|
| ५२ | मे. श्री छत्रपती शाहू स. सा. का. लि., कागल, श्रीमंत जयसिंगराव घाटगे भवन, तालुका कागल, जिल्हा कोल्हापूर. | ६३ | ४५ | १३५ |
| 52 | M/s. Shri Chattrapati Shahu S. S. K. Ltd., Kagal, Shrimant Jaising Ghatge Bhavan, taluka Kagal, district Kolhapur. | 63 | 45 | 135 |
| ५३ | मे. विश्वासराव नाईक स. सा. का. लि., यशवंतनगर, चिखली, तालुका शिराळा, जिल्हा सांगली. | ६४ | ४५ | १३५ |
| 53 | M/s. Vishwasrao Naik S. S. K. Ltd., Yashwantnagar, Chikhali, taluka Shirala, district Sangli. | 64 | 45 | 135 |
| ५४ | मे. वैद्यनाथ स. सा. का. लि., परळी वैजनाथ, जिल्हा बीड | ६५ | ४५ | १३५ |
| 54 | M/s. Vaidyanath S. S. K. Ltd., Parali Vajinath, district Beed | 65 | 45 | 135 |
| ५५ | मे. करण शुगर्स प्रा. लि., हेरवाड, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर | ६६ | ३० | ९० |
| 55 | M/s. Karan Sugar's Pvt. Ltd., Herwad, taluka Shirol, district Kolhapur | 66 | 30 | 90 |
| ५६ | मे. विठ्ठलराव शिंदे स. सा. का. लि., गंगामाईनगर, पिंपळनेर, तालुका माढा, जि. सोलापूर. | ६७ | ३० | ४५० |
| 56 | M/s. Vitthalrao Shinde S. S. K. Ltd., Gangamainagar, Pimpalner, taluka Madha, district Solapur. | 67 | 30 | 450 |
| ५७ | मे. ओएसिस अल्कोहोल लि., अदृष्यकाडसिद्धनगर, पांगरखेड, तालुका खटाव, जिल्हा सातारा. | ६८ | ४५ | १३५ |
| 57 | M/s. Oasis Alcohol Ltd., Adrushakadsiddhanagar, Pangarkhed, taluka Khataav, district Satara. | 68 | 45 | 135 |
| ५८ | मे. विघ्नहर स. सा. का. लि., निवृत्तीनगर, धालेवाडी, पोस्ट शिरोली बुद्रुक, तालुका जुन्नर, जि. पुणे. | ६९ | ३० | ९० |
| 58 | M/s. Vighnhar S. S. K. Ltd., Nivruttinagar, Dhalewadi, post Shirol Bk., taluka Junnar, district Pune. | 69 | 30 | 90 |
| ५९ | मे. भाऊराव चव्हाण स. सा. का. लि., लक्ष्मीनगर, देवगाव-येळेगाव, अर्धापूर, जिल्हा नांदेड. | ७० | ३० | ९० |
| 59 | M/s. Bhauroa Chavan S. S. K. Ltd., Laxminagar, Devgaon-Yelegaon, Ardhapur, district Nanded. | 70 | 30 | 90 |
| ६० | मे. विकास स. सा. का. लि., वैशालीनगर, निवळी, जिल्हा लातूर | ७१ | ३० | ९० |
| 60 | M/s. Vikas S. S. K. Ltd., Vaishalinagar, Nivali, district Latur | 71 | 30 | 90 |
| ६१ | मे. सासवड माळी शुगर फॅक्टरी लि., माळीनगर, जिल्हा सोलापूर | ७२ | ६० | १८० |
| 61 | M/s. Saswad Mali Sugar Factory Ltd., Malinagar, district Solapur | 72 | 60 | 180 |
| ६२ | मे. डॉ. पतंगराव कदम सोनहिरा स. सा. का. लि., मोहनराव कदमनगर (वांगी), तालुका कडेगाव, जिल्हा सांगली. | ७३ | ३० | १८० |
| 62 | M/s. Dr. Patangrao Kadam Sonhira S. S. K. Ltd., Mohanrao Kadamnagar (Vangi), taluka Kadegaon, district Sangli. | 73 | 30 | 180 |
| ६३ | मे. वसंतरावदादा पाटील स. सा. का. लि., विठेवाडी, तालुका देवळा, जिल्हा नाशिक | ७४ | ३० | ९० |
| 63 | M/s. Vasantraodada Patil S. S. K. Ltd., Vithewadi, taluka Devala, district Nashik. | 74 | 30 | 90 |

विवरणपत्र "अ"--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | |
|----|---|----|-----|-----|
| ६४ | मे. मानस अॅग्रो इंडस्ट्रिज अॅण्ड इन्फ्रा. लि., खुर्सापूर (बेला), नागपूर-चंद्रपूर रोड, तालुका उमरेड, जिल्हा नागपूर (मे. पूर्ती साखर कारखाना लि.). | ७५ | १३५ | ४०५ |
| 64 | M/s. Manas Agro Industries and Infra. Ltd., Khursapur (Bela), Nagpur-Chandrapur Road, taluka Umardhed, district Nagpur (M/s. Purti Sakhar Karkhana Ltd.). | 75 | 135 | 405 |
| ६५ | मे. कर्मयोगी शंकररावजी पाटील स. सा. का. लि., महात्मा फुलेनगर (बीजवडी), तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे. | ७६ | ३० | ९० |
| 65 | M/s. Karmayogi Shankarraoji Patil S. S. K. Ltd., Mahatma Phulenagar (Beejvadi), taluka Indapur, district Pune. | 76 | 30 | 90 |
| ६६ | मे. गंगामाई इंडस्ट्रिज अॅण्ड कन्स्ट्रक्शन लि., मौजे नजिक, बाभुळगाव, पोस्ट राक्षी, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर (हरिनगर, घाटनांद्रा, तालुका सिल्लोड, जिल्हा औरंगाबाद येथून स्थलांतरित). | ७७ | ३० | ९० |
| 66 | M/s. Gangamai Industries and Construction Ltd., Mouje Najik, Babhulgaon, post Rakshi, taluka Shevgaon, district Ahmednagar (Harinagar, Ghatnandra, taluka Sillod, district Aurangabad). | 77 | 30 | 90 |
| ६७ | मे. नॅचरल शुगर अॅण्ड अलाईड इंड. लि., साईनगर, रांजणी, तालुका कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद. | ७८ | ६० | १८० |
| 67 | M/s. Natural Sugar and alide Ind. Ltd., Sainagar, Ranjani, taluka Kalamb, district Usmanabad. | 78 | 60 | 180 |
| ६८ | मे. श्री. विठ्ठल स. सा. का. लि., वेणूनगर, तालुका पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर | ७९ | ४५ | १३५ |
| 68 | M/s. Shri. Vitthal S. S. K. Ltd., Venunagar, taluka Pandharpur, district Solapur | 79 | 45 | 135 |
| ६९ | मे. सोमेश्वर स. सा. का. लि., सोमेश्वरनगर, बारामती, जिल्हा पुणे | ८१ | ३० | ९० |
| 69 | M/s. Someshwar S. S. K. Ltd., Someshwarnagar, Baramati, district Pune | 81 | 30 | 90 |
| ७० | मे. जरंडेश्वर स. सा. का. लि., चिमणगाव, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा (मे. लक्ष्मी ऑर्गॅनिक.) | ८२ | ३० | ९० |
| 70 | M/s. Jarandeshwar S. S. K. Ltd., Chimangaon, taluka Koregaon, district Satara. (M/s. Lakshmi Organic). | 82 | 30 | 90 |
| ७१ | मे. बारामती अॅग्रो लि., शेटफळगडे, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे | ८३ | १६० | ४८० |
| 71 | M/s. Baramari Agro Ltd., Shetphalgade, taluka Indapur, district Pune | 83 | 160 | 480 |
| ७२ | मे. लोकनेते बाबूराव पाटील स. सा. का. लि., लक्ष्मीनगर, अ नगर, तालुका मोहोळ, जिल्हा सोलापूर. | ८५ | ३० | ९० |
| 72 | M/s. Loknete Baburao Patil S. S. K. Ltd., Laxminagar, A Nagar, taluka Mohol, district Solapur. | 85 | 30 | 90 |
| ७३ | मे. नीरा भीमा स. सा. का. लि., शहाजीनगर, पोस्ट रेडणी, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे. | ८६ | ३० | ९० |
| 73 | M/s. Neera Bhima S. S. K. Ltd., Sahajinagar, post Redani, taluka Indapur, district Pune. | 86 | 30 | 90 |
| ७४ | मे. सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे स. सा. का. लि., चंद्रभागानगर, पोस्ट भाळवणी, तालुका पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर. | ८७ | ३० | ९० |
| 74 | M/s. Sahakar Shiramani Vasanttrao Kale S. S. K. Ltd., Chandrabhaganagar, post Bhalavani, taluka Pandharpur, district Solapur. | 87 | 30 | 90 |
| ७५ | मे. रावसाहेबदादा पवार, घोडगंगा स. सा. का. लि., रावसाहेबनगर, न्हावरे, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे. | ८८ | ३० | ९० |
| 75 | M/s. Raosahebdada Pawar, Ghodganga S. S. K. Ltd., Raosahebnagar, Nhavare, taluka Shirur, district Pune. | 88 | 30 | 90 |

विवरणपत्र "अ"--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | |
|----|--|-----|-----|-----|
| ७६ | मे. लोकमंगल अॅग्रो इंडस्ट्रिज लि., सुभाषनगर, मु. पो. बीबी दारफळ, तालुका उत्तर सोलापूर, जिल्हा सोलापूर. | ८९ | ८० | २४० |
| ७६ | M/s. Lokmangal Agro Industries Ltd., Subhashnagar, at post Bibi Darphal, taluka North Solapur, district Solapur. | 89 | 80 | 240 |
| ७७ | मे. दौंड शुगर लि., आलेगाव (कदमवस्ती) तालुका दौंड, जिल्हा पुणे | ९० | ४५ | १३५ |
| ७७ | M/s. Daund Sugar Ltd., Alegaon (Kadamvasti), taluka Daund, district Pune | 90 | 45 | 135 |
| ७८ | मे. विठ्ठल कॉर्पोरेशन लि. मौजे म्हैसगाव, तालुका माढा, जिल्हा सोलापूर | ९१ | ३० | ९० |
| ७८ | M/s. Vitthal Corporation Ltd. Mouje Maisgaon, taluka Madha, district Solapur. | 91 | 30 | 90 |
| ७९ | मे. लोकनेते सुंदररावजी सोळंके स. सा. का. तेलगाव, तालुका माजलगाव, जि. बीड (मे. माजलगाव स. सा. का. लि., तेलगाव, तालुका माजलगाव, जिल्हा बीड). | ९२ | ४५ | १३५ |
| ७९ | M/s. Loknete Sundarravji Solanke S. S. K. Ltd., Telgoan, taluka Majalgaon, district Beed, (M/s. Majalgaon S. S. K. Ltd., Telgaon, taluka Majalgaon, district Beed. | 92 | 45 | 135 |
| ८० | मे. भीमा स. सा. का. लि., पाटस, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे | ९३ | ४५ | १३५ |
| ८० | M/s. Bhima S. S. K. Ltd., Patas, taluka Daund, district Pune | 93 | 45 | 135 |
| ८१ | मे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स. सा. का. लि., अरविंदनगर, केशेगाव, तालुका, जिल्हा उस्मानाबाद. | ९४ | ३० | ९० |
| ८१ | M/s. Dr. Babasaheb Ambedkar S. S. K. Ltd., Arvindnagar, Keshegaon, taluka, district Usmanabad. | 94 | 30 | 90 |
| ८२ | मे. गंगाखेड शुगर अॅण्ड एनर्जी लि., विजयनगर, मखाणी, जिल्हा परभणी | ९५ | ६० | १८० |
| ८२ | M/s. Gangakhed Sugar and Energy Ltd., Vijaynagar, Makhani, district Parbhani | 95 | 60 | 180 |
| ८३ | मे. श्री पांडुरंग स. सा. का. लि., श्रीपूर, तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर | ९६ | ४५ | १३५ |
| ८३ | M/s. Shree Pandurang S. S. K. Ltd., Shripur, taluka Malshiras, district Solapur | 96 | 45 | 135 |
| ८४ | मे. रेणा स. सा. का. लि., दिलीपनगर, निवाडा, तालुका रेणापूर, जिल्हा लातूर | ९७ | ३० | ९० |
| ८४ | M/s. Rena S. S. K. Ltd., Dilipnagar, Nivada, taluka Renapur, district Latur | 97 | 30 | 90 |
| ८५ | मे. साईकृपा साखर कारखाना लि., हिरडगाव, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर | ९८ | ६० | १८० |
| ८५ | M/s. Saikrupa Sakhar Karkhana Ltd., Hiradgoan, taluka Shrigonda, district Ahmednagar. | 98 | 60 | 180 |
| ८६ | मे. श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखाना लि., श्रीनाथनगर, पटेगण, पोस्ट राहू, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. | ९९ | ३० | ९० |
| ८६ | M/s. Shreenath Mhaskoba Sakhar Karkhana Ltd., Shreenathnagar, Pategaon, post Rahu, taluka Daund, district Pune. | 99 | 30 | 90 |
| ८७ | मे. अंबालिका शुगर प्रा. लि., कर्जत, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर | १०० | १५० | ४५० |
| ८७ | M/s. Ambalika Sugar Pvt. Ltd., Karjat, taluka Karjat, district Ahmednagar | 100 | 150 | 450 |
| ८८ | मे. सरसेनापती संताजी घोरपडे स. सा. का. लि., बेळेवाडी, काळम्मा, तालुका कागल, जिल्हा कोल्हापूर. | १०१ | ३० | १५० |
| ८८ | M/s. Sarsenapati Santaji Ghorpade S. S. K. Ltd., Belewadi, Kamma, taluka Kagal, district Kolhapur. | 101 | 30 | 150 |
| ८९ | मे. फेबटेक शुगर प्रा. लि., नांदूर (बाळाजीनगर), तालुका मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर | १०२ | ६५ | १९५ |
| ८९ | M/s. Febtech Sugar Pvt. Ltd., Nandur (Balajinagar), taluka Mangalvedha, district Solapur. | 102 | 65 | 195 |

विवरणपत्र "अ"--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | |
|-----|---|-----|-----|-----|
| ९० | मे. दालमिया शुगर प्रा. लि. (श्री दत्त साखर कारखाना) आसुर्ले पार्ले, तालुका पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर. | १०३ | ६० | १८० |
| ९० | M/s. Dalmiya Sugar Pvt. Ltd. (Shree Datta Sakhar Karkhana) Aasurle Parle, taulka Panhala, district Kolhapur. | 103 | 60 | 180 |
| ९१ | मे. उदगीर शुगर अॅण्ड पॉवर लि., बामणी (पारे), तालुका खानापूर, जिल्हा सांगली | १०४ | ३० | ९० |
| ९१ | M/s. Udgir Sugar and Power Ltd., Bamani (Pare), taluka Khanapur, district Sangli. | 104 | 30 | 90 |
| ९२ | मे. ग्रीन पॉवर शुगर लि., गोपूज, तालुका खटाव, जिल्हा सातारा | १०५ | ४५ | १३५ |
| ९२ | M/s. Green Power Sugar Ltd., Gopuj, taluka Khatav, district Satara | 105 | 45 | 135 |
| ९३ | मे. डेक्कन शुगर प्रा. लि., गुंज सावना, तालुका महागाव, जिल्हा यवतमाळ | १०६ | ४५ | १३५ |
| ९३ | M/s. Deccan Sugar Pvt. Ltd., Gunj Savana, taluka Mahagaon, district Yavatmal | 106 | 45 | 135 |
| ९४ | मे. इंद्रेश्वर शुगर मिल्स लि., मु. पो. उपळाई (ठो.), तालुका बार्शी, जिल्हा सोलापूर | १०७ | ४५ | १३५ |
| ९४ | M/s. Indreshwar Sugar Mills Ltd., at post Uplai (Tho.) taluka Barshi, district Solapur. | 107 | 45 | 135 |
| ९५ | मे. खंडोबा डिस्टिलरीज लि., एमआयडीसी, टेंभूर्णी, तालुका माढा, जिल्हा सोलापूर | १०८ | १५० | ४५० |
| ९५ | M/s. Khandoba Distilleries Ltd., MIDC, Tembhurni, taluka Madha, district Solapur. | 108 | 150 | 450 |
| ९६ | मे. भैरवनाथ शुगर वर्क्स लि., सोनारी, तालुका परांडा, जिल्हा उस्मानाबाद | १०९ | ३० | ९० |
| ९६ | M/s. Bhairavnath Sugar Works Ltd., Sonari, taluka Paranda, district Usmanabad. | 109 | 30 | 90 |
| ९७ | मे. श्री. मकाई स. सा. का. लि., भिलारवाडी, तालुका करमाळा, जिल्हा सोलापूर | ११० | ३० | ९० |
| ९७ | M/s. Shree Makai S. S. K. Ltd., Bhilarwadi, taluka Karmala, district Solapur | 110 | 30 | 90 |
| ९८ | मे. पद्यभूषण क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवडी हुतात्मा किसन अहिर स. सा. का. लि., वाळवे, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. | १११ | ३० | ९० |
| ९८ | M/s. Padmabhushan Krantiveer Dr. Nagnathanna Naikwadi Hutatma Kisan Ahir S. S. K. Ltd., Walve, taluka Walva, district Sangli. | 111 | 30 | 90 |
| ९९ | मे. जकराया शुगर लि., गट नंबर ६१/१-अ, मौजे वटवटे, तालुका मोहोळ, जि. सोलापूर | ११२ | ६० | १८० |
| ९९ | M/s. Jakaraya Sugar Ltd., Gat No. 61/1-A, Mouje Vatvate, taluka Mohol, district Solapur. | 112 | 60 | 180 |
| १०० | मे. श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखाना लि., श्रीनाथनगर, पटेगण, पो. राहू, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे. | ११३ | ३० | ९० |
| १०० | M/s. Shrinath Mhaskoba Sakhar Karkhana Ltd., Shrinathnagar, Pategan, post Rahu, taluka Daund, district Pune. | 113 | 30 | 90 |
| १०१ | मे. शरयु अॅग्रो इंडस्ट्रिज लि., गट नंबर २५३/५, मौजे कापशी (मोटेवाडी), तालुका फलटण, जिल्हा सातारा. | ११४ | ३० | ९० |
| १०१ | M/s. Sharayu Agro Industries Ltd., Gat No. 253/5, Mouje Kapshi (Motewadi), taluka Phaltan, district Satara. | 114 | 30 | 90 |
| १०२ | मे. क्रांती अग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड स. सा. का. लि., कुंडल, ता. पलूस, जि. सांगली. | ११५ | ६० | १८० |
| १०२ | M/s. Kranti Agrani Dr. G. D. Bapu Lad S. S. K. Ltd., Kundal, taluka Palus, Sangli. | 115 | 60 | 180 |
| १०३ | मे. न्यू फलटण शुगर्स वर्क्स डी. डिव्हिजन, सुरवडी, ता. फलटण, जि. सातारा | ११६ | ५० | १५० |
| १०३ | M/s. New Phaltan Sugar's Works D. Division, Survadi, taluka Phaltan, Satara | 116 | 50 | 150 |
| १०४ | मे. स्वराज इंडिया अॅग्रो लि., उपळवे, ता. फलटण, जिल्हा सातारा. | ११७ | ६० | १८० |
| १०४ | M/s. Swaraj India Agro Ltd., Upalave, taluka Phaltan, district Satara | 117 | 60 | 180 |

विवरणपत्र "अ"--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | |
|---|--|--------------|---------------|-----|
| १०५ | मे. जयवंत शुगर्स, लि. धावरवाडी, ता. कराड, जिल्हा सातारा | ११८ | ४५ | १३५ |
| 105 | M/s. Jaywant Sugar's Ltd., Dhavarwadi, taluka Karad, district Satara | 118 | 45 | 135 |
| १०६ | मे. द्वारकाधीश सा. का. लि., शेवरे, ता. सटाणा, जिल्हा नाशिक | ११९ | ३० | ९० |
| 106 | M/s. Dwarkadheesh S. K. Ltd., Shevare, taluka Satana, district Nashik | 119 | 30 | 90 |
| १०७ | मे. युटोपियन शुगर्स लि., पंतनगर, कचरेवाडी, ता. मंगळवाडी, जिल्हा सोलापूर | १२० | ३० | ९० |
| 107 | M/s. Utopian Sugar's Ltd., Pantanagar, Kachrewadi, taluka Mangalwadi, district Solapur. | 120 | 30 | 90 |
| १०८ | मे. सिद्धि शुगर अँड अलाईड इंड. लि., महेशनगर, उजाना, ता. अहमदपूर, जिल्हा लातूर. | १२१ | ३० | ९० |
| 108 | M/s. Siddhi Sugar and Alaid Ind. Ltd., Maheshnagar, Ujana, taluka Ahamadpur, district Latur. | 121 | 30 | 90 |
| १०९ | मे. येडेश्वरी अग्रो प्रा. लि., पवनसुतनगर, ता. केज, जिल्हा बीड | १२२ | १०५ | ३१५ |
| 109 | M/s. Yedeshwari Agro Pvt. Ltd., Pawansut Nagar, taluka Kej, district Beed | 122 | 105 | 315 |
| ११० | मे. अथणी शुगर्स लि., सोनवडे-बांबवडे, ता. शाहुवाडी, जिल्हा कोल्हापूर | १२३ | ९० | २७० |
| 110 | M/s. Athani Sugar's Ltd., Sonavade-Bambavade, taluka Shahuwadi, district Kolhapur. | 123 | 90 | 270 |
| १११ | मे. अगस्ती स. सा. का. लि., अगस्तीनगर, ता. अकोले, जिल्हा अहमदनगर | १२४ | ३० | ९० |
| 111 | M/s. Augusti S. S. K. Ltd., Agastinagar, taluka Akole, district Ahmednagar | 124 | 30 | 90 |
| ११२ | मे. गुरुदत्त शुगर्स लि., टाकळीवाडी, ता. शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर | १२५ | ७५ | २२५ |
| 112 | M/s. Gurudatta Sugar's Ltd., Takaliwadi, taluka Shirol, district Kolhapur | 125 | 75 | 225 |
| ११३ | मे. जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रा. लि., जिल्हा सातारा | १२६ | ८० | २४० |
| 113 | M/s. Jarandeshwar Sugar Mills Pvt. Ltd., district Satara | 126 | 80 | 240 |
| ११४ | मे. कुंजीर बायो एनर्जी इंडिया, मौ. मिरवाडी, ता. दौंड, जि. पुणे | १२७ | ६० | १८० |
| 114 | M/s. Kujnjir Bio Energy India, Mirwadi, taluka Dound. | 127 | 60 | 180 |
| ११५ | मे. धारशिव साखर कारखाना लि., चोराखळी, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद | १२८ | ६० | १८० |
| 115 | M/s. Dharashiv Sugar Factory Ltd., Chorakhali, taluka Kalamb, district Usamanabad. | 128 | 60 | 180 |
| ११६ | मे. श्री दत्त इंडिया प्रा. लि., साखरवाडी, ता. फलटण, जि. सातारा | १२९ | ६० | १८० |
| 116 | M/s. Shree Datta India Pvt. Ltd., Sakharwadi, taluka Phaltan, district Satara. | 129 | 60 | 180 |
| ११७ | मे. सद्गुरु श्री श्री साखर कारखाना लि., राजेवाडी, ता. आटपाडी, जि. सांगली | १३० | ४५ | १३५ |
| 117 | M/s. Sadguru Shree Shree Sugar Factory Ltd., Rajewadi, taluka Aatpadi, district Sangli. | 130 | 45 | 135 |
| ११८ | मे. एन. एस. एल. शुगर्स लि., पवारवाडी, ता. माजलगाव, जि. बीड | १३१ | १०० | ३०० |
| 118 | M/s. N. S. L. Sugar Pvt. Ltd., Pawarwadi, taluka Majalgaon, district Beed | 131 | 100 | 300 |
| ११९ | मे. जयहिंद शुगर प्रा. लि., आचेगाव, ता. द. सोलापूर, जि. सोलापूर | १३२ | ४५ | १३५ |
| 119 | M/s. Jayhind Sugar Pvt. Ltd., Achegaon, taluka South Solapur, district Solapur | 132 | 45 | 135 |
| १२० | मे. कंचेश्वर शुगर लि., मंगळूर, ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद | १३३ | ४५ | १३५ |
| 120 | M/s. Kancheshwar Sugar Pvt. Ltd., Manglur, taluka Tuljapur, district Usamanabad. | 133 | 45 | 135 |
| एकूण वार्षिक क्षमता (लाख ब. लि.) | | ६,१५२ | १८,७८६ | |
| Total Yearly Capacity (Lakh B. Ltd.) | | 6,152 | 18,786 | |

विवरण “क”

“रि-डिस्टिलेशन” व “पॉट डिस्टिलेशन” मद्यार्क निर्मितीकरिता कार्यरत असलेल्या
नमुना “I” अनुज्ञप्तीची यादी

| अ. क्र. Sr. No. | घटकाचे नाव Name of the Unit | उत्पादन क्षमता ब. लि. (वार्षिक) (लाखात) Production Capacity B L.) |
|------------------------|--|--|
| १ | २ | ३ ४ |
| १ | मे. युनायटेड स्पिरिट लि., नाशिक | ६० १८० |
| 1 | M/s. United Spirit Ltd., Nashik | 60 180 |
| २ | मे. युनायटेड स्पिरिट लि., पुणे-बारामती युनिट (पॉट डिस्टिलेशन) | १५ ४५ |
| 2 | M/s. United Spirit Ltd., Pune-Baramati Unit (Pot Distillation) | 15 45 |
| ३ | मे. मेहेर डिस्टिलरी, पालघर | १५ ४५ |
| 3 | M/s. Meher Distillery, Palghar | 15 45 |
| ४ | मे. साऊथ कोकण डिस्टिलरी, सिंधुदुर्ग (पॉट डिस्टिलेशन) | १५ ४५ |
| 4 | M/s. South Kokan Distillery, Sindhudurg (Pot Distillation) | 15 45 |
| ५ | मे. इंडोग्रेप वायनरी, सोलापूर (पॉट डिस्टिलेशन) | १५ ४५ |
| 5 | M/s. Indogrep Wainari, Solapur (Pot Distillation) | 15 45 |
| ६ | मे. युनायटेड स्पिरिट लि., ग्रेप बेस, बारामती युनिट, पुणे | ३० ९० |
| 6 | M/s. United Spirit Ltd., Grep Bes, Baramati Unit, Pune | 30 90 |
| ७ | मे. गंगामाई इंडस्ट्रिज अॅण्ड कन्स्ट्रक्शन लि., अहमदनगर | २५० ७५० |
| 7 | M/s. Gangamai Industries and Construction Ltd., Ahmednagar | 250 750 |
| ८ | मे. अल्कोप्लस प्रोड्युसर्स प्रा. लि., लातूर | ६० १८० |
| 8 | M/s. Alcoplus Produces Pvt. Ltd., Latur | 60 180 |
| ९ | मे. सागर इंडस्ट्रिज अॅण्ड डिस्टिलरीज प्रा. लि., नाशिक | ५० १५० |
| 9 | M/s. Sagar Industries and Distilleries Pvt. Ltd., | 50 150 |
| १० | मे. झेनिथ बायोकेमिकल्स इंडस्ट्रिज प्रा. लि. | ६० १८० |
| 10 | M/s. Zenith Biochemicals Industries Pvt. Ltd. | 60 180 |
| ११ | मे. अलाईड ब्लेंडर्स अॅण्ड डिस्टिलर्स प्रा. लि., औरंगाबाद | १५ ४५ |
| 11 | M/s. Alaid Blenders and Distillers Pvt. Ltd., Aurangabad | 15 45 |
| १२ | मे. मातोश्री अॅग्रो इंडस्ट्रिज, जिल्हा नाशिक | ४० १२० |
| 12 | M/s. Matoshree Agro Industries, district Nashik | 40 120 |
| १३ | मे. असोसिएटेड वाईन्स प्रा. लि., बारामती, जिल्हा पुणे (पॉट डिस्टिलेशन) | १० ३० |
| 13 | M/s. Assicoated Wines Pvt. Ltd., Baramati, district Pune (Pot Distillation) | 10 30 |
| १४ | मे. सेंच्युरी वाईन्स प्रा. लि. पिंपळी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे (पॉट डिस्टिलेशन) | १० ३० |
| 14 | M/s. Century Wines Pvt. Ltd., Pimpali, taluka Baramati, district Pune (Pot Distillation) | 10 30 |
| १५ | मे. ओकवूड वाईनरी प्रा. लि., अहमदनगर (पॉट डिस्टिलेशन) | १० ३० |
| 15 | M/s. Okwood Wineari Pvt. Ltd., Ahmednagar, (Pot Distillation) | 10 30 |
| एकूण उत्पादन क्षमता | | १९६५ |
| Total Product Capacity | | 1965 |

देशी मद्य निर्माणीची यादी (सीएल-१ अनुज्ञप्तीधारक)

| अ. क्र. Sr. No. | घटकाचे नाव Name of the Unit | (उत्पादन केसेसमध्ये) Production Cases) |
|---|--|---|
| १ | २ | ३ |
| ठाणे विभाग (Thane Division) | | |
| १ | मे. महाराष्ट्र मॅन्युफॅक्चरिंग कॉर्पोरेशन प्रा. लि., वागळे इस्टेट, जि. ठाणे | २,९९,८६८ |
| 1 | M/s. Maharashtra Manufacturing Corporation Pvt. Ltd., Vagale Estate, district Thane. | 2,99,868 |
| २ | मे. जी. एम. ब्रेवरीज लि., विरार पूर्व, तालुका वसई, जि. पालघर | ७८,५२,४५२ |
| 2 | M/s. G. M. Breweries Ltd., Virar East, taluka Vasai, district Palghar | 78,52,452 |
| ३ | मे. दहिसर डिस्टिलरीज प्रा. लि., तालुका वसई, जि. पालघर | ४,२८,९८४ |
| 3 | M/s. Dahisar Distilleries Ltd., taluka Vasai, district Palghar | 4,28,984 |
| ४ | मे. मेहेर डिस्टिलरीज प्रा. लि., अस्वा, ता. डहाणू, जि. पालघर | १९,३९,१६१ |
| 4 | M/s. Meher Distilleries Pvt. Ltd., Aswa, talula Dahanu, district Palghar | 19,39,161 |
| ५ | मे. साऊथ सीज डिस्टिलरीज, गंजाड, ता. डहाणू, जि. पालघर | २,००.००० |
| 5 | M/s. South Sea Distilleris Pvt. Ltd., Ganjad, talula Dahanu, district Palghar | 2,00,000 |
| ६ | मे. नेव्हीताड डिस्टिलरी प्रा. लि., खालापूर, जि. रायगड | १६,१२,३२४ |
| 6 | M/s. Nevitad Distilleri Pvt. Ltd., Khalapur, district Raigad | 16,12,324 |
| पुणे विभाग (Pune Division) | | |
| ७ | मे. लोकंजन ब्रुवरीज प्रा. लि., हडपसर इंडस्ट्रीयल इस्टेट, हडपसर, पुणे | ८,९७,३४० |
| 7 | M/s. Lokranjan Breweries Pvt. Ltd., Hadpsar Industries Estate, Hadpasar, Pune | 8,97,340 |
| ८ | मे. पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील स. सा. का. लि., प्रवरानगर, ता. राहता, जि. अहमदनगर ४१३ ७१२. | १०,६४,३७६ |
| 8 | M/s. Padmshree Dr. Vitthalrao Vikhe Patil S. S. K. Ltd., Pravranagar, taluka Rahata, district Ahmadnagar 413 712. | 10,64,376 |
| ९ | मे. सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे स. सा. का. लि., सहजानंदनगर, ता. कोपरगाव, जि. अहमदनगर | ३७,४६,३८८ |
| 9 | M/s. Sahakar Maharshi Shankarrao Kolhe S. S. K. Ltd., Sahajanadnagar, taluka Kopargaon, district Ahmdnagar. | 37,46,388 |
| १० | मे. करण बॉटलिंग कंपनी प्रा. लि., खंडाळा, ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर | २८,१८,८६७ |
| 10 | M/s. Karan Bottling Co. Pvt. Ltd., Khandala, taluka Shrirampur, district Ahmednagar | 28,18,867 |
| ११ | मे. चितळी बॉटलिंग लि., एम.आय.डी.सी., खंडाळा, ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर | २,००,००० |
| 11 | M/s. Chitali Bottling Co. Pvt. Ltd., M.I.D.C. Khandala, taluka Shrirampur, district Ahmednagar | 2,00,000 |
| १२ | मे. कर्मवीर शंकरराव काळे स. सा. का. लि., कोळपेवाडी, ता. कोपरगाव, जि. अहमदनगर | ८५,४५,७०४ |
| 12 | M/s. Karmveer Shankarrao Kale S. S. K. Ltd., Kolpewadi, taluka Kopargaon, district Ahmednagar. | 85,45,704 |
| १३ | मे. वीके डिस्टिलरीज प्रा. लि., खंडाळा, एम.आय.डी.सी., ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर | ७,९८,४२० |
| 13 | M/s. VK Distilleries Pvt. Ltd., Khandala, M.I.D.C., taluka Shrirampur, district Ahmednagar | 7,98,420 |
| १४ | मे. हिंदुस्थान डिस्टिलरीज नगर-दौड रोड, जि. अहमदनगर | २,८३,४४४ |
| 14 | M/s. Hindustan Distilleries Pvt. Ltd., Nagar-Dound Road, district Ahmednagar | 2,83,444 |
| औरंगाबाद विभाग (Aurangabad Division) | | |
| १५ | मे. रेडिको एन. व्ही. डिस्टिलरीज महाराष्ट्र लि., डी-१९२ ते १९५, एम.आय.डी.सी., शेंद्रा, पंचतारांकित इंडस्ट्रीयल एरिया, औरंगाबाद-४३१ २०१. | २,००,००० |
| 15 | M/s. Redico N. V. Distilleries Maharashtra Ltd., D-192 to 195, M.I.D.C., Shendra, Five Star Industries Area, Aurangabad-431 201. | 2,00,000 |

देशी मद्य निर्माणीची यादी (सीएल-१ अनुज्ञप्तीधारक)--चालू

| १ | २ | ३ |
|--|--|-----------|
| १६ | मे. ग्रेनॉच इंडस्ट्रिज लि., भेंडाळा, ता. गंगापूर | २,००,००० |
| 16 | M/s. Grenoch Industries Ltd., Bhendala, taluka Gangapur | 2,00,000 |
| १७ | मे. डेक्कन बॉटलिंग इंडस्ट्रिज, एम.आय.डी.सी, चिखलठाणा, जि. औरंगाबाद | २,००,००० |
| 17 | M/s. Deccan Bottling Industries M.I.D.C., Chikhalthana, district Aurangabad | 2,00,000 |
| १८ | मे. विठ्ठल डिस्टीलरीज, आवार पिंपरी, ता. परांडा, जि. उस्मानाबाद | २,००,००० |
| 18 | M/s. Vitthal Distilleries, Awar Pimpri, taluka Paranda, district Usmanabad | 2,00,000 |
| १९ | मे. अँडलर्स बायो इनर्जी लि., २८४, गौरगाव, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद | २,००,००० |
| 19 | M/s. Andlars Bio Energy Ltd., 284, Gourgaon, taluka Kalamb, district Usmanabad | 2,00,000 |
| नागपूर विभाग (Nagpur Division) | | |
| २० | मे. विदर्भ लिंकर कॉर्पोरेशन, न्यू कॉटन मार्केट, जि. नागपूर | ३,९९,२८६ |
| 20 | M/s. Vidarbha Likar Corporation, New Cotton Market, district Nagpur | 3,99,286 |
| २१ | मे. नागपूर डिस्टीलर्स प्रा. लि., कामठी रोड, नागपूर | ६,८७,०४८ |
| 21 | M/s. Nagpur Distillers Pvt. Ltd., Kamathi Road, Nagpur | 6,87,048 |
| २२ | मे. कोकण अग्रो मरीन इंडस्ट्रिज प्रा. लि., वांजरा ले आऊट, कामठी रोड, नागपूर | ९,०२,७९५ |
| 22 | M/s. Kokan Agro Marine Industries Pvt. Ltd., Vanjara Le-out, Kamathi Road, Nagpur | 9,02,795 |
| २३ | मे. रॉयल ड्रिंक्स प्रा. लि., वर्धमाननगर, जि. नागपूर | २,००,००० |
| 23 | M/s. Royal Drinks Pvt. Ltd., Vardhmannagar, district Nagpur | 2,00,000 |
| २४ | मे. विदर्भ डिस्टीलर्स, नागपूर | -- |
| 24 | M/s. Vidharbha Distillers, Nagpur | -- |
| २५ | मे. करण डिस्टीलरीज प्रा. लि., क्र. ५, वांजरा लेआऊट, एन.आय.टी., इंडस्ट्रियल एरिया, पिली नदी, कामठी रोड, नागपूर. | ७,३४,८५८ |
| 25 | M/s. Karan Distilleries Pvt. Ltd., No. 5, Vanjara Le-out, N.I.T. Industrial Area, Pili Nadi, Kamathi Road, Nagpur. | 7,34,858 |
| २६ | मे. सेवन स्टार डिस्टीलरीज प्रा. लि., एम.आय.डी.सी., फेज-४, जि. अकोला | ६,६५,३७६ |
| 26 | M/s. Seven Star Distilleries Pvt. Ltd., M.I.D.C., Phase-4, district Akola | 6,65,376 |
| २७ | मे. व्हिक्टोरिया अग्रो फुड प्रोसेसिंग प्रा. लि., लिजधारक, मे. डेक्कन शुगर प्रा. लि., देवराव पाटीलनगर, मंगरूळ, जि. यवतमाळ. | २,००,००० |
| 27 | M/s. Victoria Agro Food Processing Pvt. Ltd., Lijdharak, M/s. Deccan Sugar Pvt. Ltd., Deorao Patilnagar, Mangarule, district Yavatmal. | 2,00,000 |
| २८ | मे. आनंद डिस्टीलरीज केकतपूर, ता. जि. अमरावती | २,००,००० |
| 28 | M/s. Anand Distilleries Kekatpur, taluka district Amravati | 2,00,000 |
| कोल्हापूर विभाग (Kolhapur Division) | | |
| २९ | मे. कोल्हापूर शुगर मिल्स लि., ३०४५, ई-वॉर्ड, मुस्कान लॉनजवळ, विक्रमनगर, कोल्हापूर-४१६ ००५ लिजधारक मे. करण एजन्सीज, विक्रमनगर, कोल्हापूर. | १८,०९,४४४ |
| 29 | M/s. Kolhapur Sugar Mills Ltd., 3045, E-Ward, Near Muskan Lawn, Vikramnagar, Kolhapur-416 005, Lijdharak M/s. Karan Agencies, Vikramnagar, Kolhapur. | 18,09,444 |
| ३० | मे. श्रीराम स. सा. का. लि., निरा वॅली अर्कशाळा विभाग, फलटण, ता. फलटण, जि. सातारा | २,००,००० |
| 30 | M/s. Shriram S. S. K. Ltd., Nira Vally Arkashala Vibhag, Phaltan, taluka Phaltan, district Satara. | 2,00,000 |
| ३१ | मे. सांगली आयकॅप लिंकर प्रा. लि., प्लॉट नं. १९/१९६, वसंतदादा इंडस्ट्रीयल इस्टेट, जि. सांगली | ४,४५,५३२ |
| 31 | M/s. Sangli Eyecap Likers Pvt. Ltd., Plot No. 19/196, Vasantdada Industrial Estate, district Sangli. | 4,45,532 |

देशी मद्य निर्माणीची यादी (सीएल-१ अनुज्ञप्तीधारक)--चालू

| १ | २ | ३ |
|--------------------------------------|--|-----------|
| ३२ | मे. राजाराम बापू पाटील स. सा. का. लि., राजारामनगर, ता. वाळवा, जि. सांगली | -- |
| 32 | M/s. Rajaram Bapu Patil S. S. K. Ltd., Rajaramnagar, taluka Valva, district Sangli | -- |
| ३३ | मे. वसंतदादा शेतकरी स. सा. का. लि., ता. मिरज, जि. सांगली | २,००,००० |
| 33 | M/s.Vasantdada Shetkari S. S. K. Ltd., taluka Miraj, district Sangli | 2,00,000 |
| ३४ | मे. विराज अल्कोहोल्स अँड अलाईड इंड. लि., सांगली | ३,१८,६८७ |
| 34 | M/s.Viraj Alcohol and Allied Ind. Ltd., Sangli | 3,18,687 |
| ३५ | मे. प्रिव्हिलेज इंडस्ट्रीज, एम.आय.डी.सी., लोणंद, ता.खंडाळा, जि. सातारा | २,००,००० |
| 35 | M/s. Privillage Industries, M.I.D.C., Lonand, taluka Khandala, district Satara | 2,00,000 |
| ३६ | मे. यशवंतराव मोहिते कृष्णा स. सा. का. लि., शिवनगर रेटरे बुद्रुक, कराड, जि. सातारा | ११,२८,८४३ |
| 36 | M/s. Yashwantrao Mohite Krishna S. S. K. Ltd., Shivnagar, Rethare Budurk., Karad, district Satara. | 11,28,843 |
| ३७ | मे. देवकर डिस्टीलर्स लिजधारक मे. मानस अँग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., किन्हाळा, वडगाव, ता. उमरेड, जि. नागपूर. | २,००,००० |
| 37 | M/s. Deokar Distillers Lijdharak, M/s. Manas Agro Infrastructure Ltd. Kinala, Vadgaon, taluka Umared, district Nagpur. | 2,00,000 |
| ३८ | मे. साऊथ कोकण डिस्टीलरीज लि., इन्सुली, ता. सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग | २,००,००० |
| 38 | M/s. South Kokan Distilleries Ltd., Insuli, taluka Sawantwadi, Sindhudurg | 2,00,000 |
| नाशिक विभाग (Nashik Division) | | |
| ३९ | मे. बृहनकरण शुगर सिंडिकेट, गोंदे दुमाला, ता. इगतपुरी, नाशिक | ३९,५०,०८९ |
| 39 | M/s. Bruhankaran Sugar Syndicate, Gonde Dumala, taluka Igatpuri, Nashik | 39,50,089 |
| ४० | मे. सातपुडा तापी परिसर स. सा. का., पुरुषोत्तमनगर, जि. नंदूरबार | २,००,००० |
| 40 | M/s. Satpuda Tapi Parisar S. S. K. Purshottamnagar, district Nandurbar. | 2,00,000 |

कार्यरत असलेल्या विदेशी मद्य निर्माणी (पीएलएल) अनुज्ञप्तीची यादी

सन २०२१-२०२२

| अ. क्र. Sr. No. | घटकाचे नाव Name of the Unit | पत्ता Address | वार्षिक केसेस उत्पादनाकरिता नूतनीकरण ४ |
|------------------------------------|---|--|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| ठाणे विभाग (Thane Division) | | | |
| १ | मे. डिजे डिस्टीलरीज प्रा. लि. M/s. Deejay Distilleries Pvt. Ltd. | कलोवली, ता. डहाणू, जि. पालघर Kalovli, taluka Dahanu, district Palghar | ७,२५,८२० 7,25,820 |
| २ | मे. मेहेर डिस्टीलरीज प्रा. लि. M/s. Meher Distilleries Pvt. Ltd. | अस्वा, ता. डहाणू, जि. पालघर Aswa, taluka Dahanu, district Palghar | २,०९,००० 2,09,000 |
| ३ | मे. जी. एम. ब्रेवरीज प्रा. लि. M/s. G. M. Breweries Ltd. | विरार (पू.), ता. वसई, जि. पालघर Virar (E), taluka Vasai, district Palghar | २,०९,००० 2,09,000 |
| ४ | मे. अंबर डिस्टीलरीज लि. M/s. Amber Distilleries Pvt. Ltd. | खानिवली, ता. वाडा, जि. पालघर Khanivali, taluka Wada, district Palghar | २,०९,००० 2,09,000 |
| ५ | मे. साऊथसीज डिस्टीलरीज अँड ब्रेवरीज प्रा. लि.-१ M/s. South Seas Distilleries & Breweries Pvt. Ltd. | गंजाड, ता. डहाणू, जि. पालघर Ganjad, taluka Dahanu, district Palghar | २,०९,००० 2,09,000 |
| ६ | मे. जंबो डिस्टीलरीज प्रा. लि. M/s. Jumbo Distilleries Pvt. Ltd. | वेवूर ता. पालघर, जि. पालघर Vevur, taluka Palghar, district Palghar | २,०९,००० 2,09,000 |
| ७ | मे. दहिसर डिस्टीलरीज प्रा. लि. M/s. Dahisar Distilleries Pvt. Ltd. | सातिवली, ता. वसई, जि. पालघर Sativali, taluka Vasai, district Palghar | २,०९,००० 2,09,000 |
| ८ | मे. साऊथसीज डिस्टीलरीज अँड ब्रेवरीज प्रा. लि.-२ M/s. South Seas Distilleries & Breweries Pvt. Ltd. | गंजाड, ता. डहाणू, जि. पालघर Ganjad, taluka Dahanu, district Palghar | २,०९,००० 2,09,000 |
| ९ | मे. मोहन रॉकी स्पिंग वॉटर ब्रेवरीज लि. M/s. Mohan Rocky Spring water Breweries Ltd. | खोपोली, ता. खालापूर, जि. रायगड Khopoli, taluka Khalapur, district Raigad | १३,८८,७६० 13,88,760 |
| १० | मे. मास्टर ब्लेंडर्स प्रा. लि. M/s. Master Blenders Pvt. Ltd. | ४३/४४, खोपोली इंडस्ट्रीयल इस्टेट, जि. रायगड 43/44, Khopoli Industrial Estate, district Raigad | २,९१,२५९ 2,91,259 |
| पुणे विभाग (Pune Division) | | | |
| ११ | मे. असोसिएटेड ब्लेंडर्स प्रा. लि. M/s. Associated Blenders Pvt. Ltd. | ७२, रामटेकडी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, हडपसर, जि. पुणे. 72, Ramtekadi Industrial Estate, Hadapsar, district Pune. | १३,४३,६०४ 13,43,604 |
| १२ | मे. ज्युबिलंट इंडस्ट्रीज लि. M/s. Jubilant Industries Ltd. | निंबुत-निरा, ता. बारामती, जि. पुणे Nimbut-Nira, taluka Baramati, district Pune | २,०९,००० 2,09,000 |
| १३ | मे. युनाटेड स्पिरिट्स लि. M/s. United Spirits Ltd. | पिंपळी, ता. बारामती, जि. पुणे Pimpali, taluka Baramati, district Pune | ४१,०९,९७० 41,09,970 |
| १४ | मे. डेल्टा डिस्टीलरीज प्रा. लि. M/s. Delta Distilleries Pvt. Ltd. | इंडस्ट्रीयल इस्टेट, हडपसर, जि. पुणे Industrial Estate, Hadapsar, district Pune | २,०९,००० 2,09,000 |
| १५ | मे. पाल्बो डिस्टीलरीज प्रा. लि. M/s. Palbo Distilleries Pvt. Ltd. | कोथरुड इंडस्ट्रीयल इस्टेट, जि. पुणे Kothrud Industrial Estate, district Pune | २,०९,००० 2,09,000 |

**कार्यरत असलेल्या विदेशी मद्य निर्माणी (पीएलएल) अनुज्ञप्तीची यादी--चालू
सन २०२१-२०२२**

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|--|---|-----------|
| १६ | मे. टिळकनगर इंडस्ट्रीज लि. | टिळकनगर, ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर | ५,८५,८३९ |
| 16 | M/s. Tilaknagar Industries Ltd. | Tilaknagar, taluka Shirampur, district Ahmednagar. | 5,85,831 |
| १७ | मे. हिंदुस्थान डिस्टीलरीज | १५२, नगर-दौंड रोड, ता. व जि. अहमदनगर | २,०९,००० |
| 17 | M/s. Hindustan Distilleries | 152, Nagar-Dound Raod, Taluka / District Ahmednagar. | 2,09,000 |
| १८ | मे. जॉन डिस्टीलरीज प्रा. लि. | चितळी, ता. राहता, जि. अहमदनगर | २,०९,००० |
| 18 | M/s. John Distilleries Pvt. Ltd. | Chitali, taluka Rahata, district Ahmednagar | 2,09,000 |
| १९ | मे. विष्णू लक्ष्मी को-ऑफ ग्रेप डिस्टीलरी लि. | बी-१, एमआयडीसी, अक्कलकोट रोड, जि. सोलापूर | २,०९,००० |
| 19 | M/s. Vishnu Laxmi Co-op. Grape Distillery Ltd. | B-1, MIDC, Akkolkot Road, district Solapur | 2,09,000 |
| २० | मे. ब्रिमा सागर महाराष्ट्र डिस्टीलरीज लि. | श्रीपूर, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर | २,०९,००० |
| 20 | M/s. Brima Sagar Maharashtra Distilleries Ltd. | Shreepur, taluka Malshiras, district Solapur | 2,09,000 |
| २१ | मे. विठ्ठल कॉर्पोरेशन लि. | विठ्ठलराव शिंदे नगर, म्हैसगाव, ता. माढा, जि. सोलापूर. | २,०९,००० |
| 21 | M/s. Vitthal Corporation Ltd. | Vitthalrao Shinde Nagar, Mhaisgaon, taluka Madha, district Solapur. | 2,09,000 |
| कोल्हापूर विभाग (Kolhapur Division) | | | |
| २२ | मे. परनॉड रिकार्ड इंडिया प्रा. लि. | विक्रमनगर, जि. कोल्हापूर | २,०९,००० |
| 22 | M/s. Pernod Ricard India Pvt. Ltd. | Vikramnagar, district Kolhapur | 2,09,000 |
| २३ | मे. ऑक्टेगा ग्रीन पॉवर अँड शुगर कंपनी लि. | करनूर, ता. कागल, जि. कोल्हापूर | २,०९,००० |
| 23 | M/s. Octaga Green Power & Sugar Company Ltd. | Karnoor, taluka Kagal, district Kolhapur | 2,09,000 |
| २४ | मे. यशवंतराव मोहिते कृष्णा स. सा. का. लि., | शिवनगर रेटरे बुद्रुक, ता. कराड, जि. सातारा | २,०९,००० |
| 24 | M/s. Yashwantrao Mohite Krishna S. S. K. Ltd., | Shivnagar, Rethare Budurk., Karad, district Satara. | 2,09,000 |
| २५ | मे. प्रिविलेज इंडस्ट्रीज लि. | बी-१ एम.आय.डी.सी., लोणंद, ता.खंडाळा, जि. सातारा. | २,०९,००० |
| 25 | M/s. Privillage Industries Ltd. | B-1, M.I.D.C., Lonand, taluka Khandala, district Satara. | 2,09,000 |
| २६ | मे. विराज अल्कोहोल्स अँड अलाईड इंड. लि., | शिराळा, ता. शिराळा, जि. सांगली | २,०९,००० |
| 26 | M/s.Viraj Alcohols & Allied Industries Ltd., | Shirala, taluka Shirala, district Sangli | 2,09,000 |
| २७ | मे. राजाराम बापू पाटील स. सा. का. लि., | राजारामनगर, ता. वाळवा, जि. सांगली | ७,७९,१३३ |
| 27 | M/s. Rajaram Babu Patil S. S. K. Ltd., | Rajaramnagar, taluka Walwa, district Sangli | 7,79,133 |
| औरंगाबाद विभाग (Aurangabad Division) | | | |
| २८ | मे. अलाईड ब्लेंडर्स अँड डिस्टीलर्स प्रा. लि. | एमआयडीसी, चिखलठाणा, जि. औरंगाबाद | ३६,१३,११६ |
| 28 | M/s. Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd. | MIDC, Chikalthana, district Aurangabad | 36,13,116 |
| २९ | मे. युनाटेड स्प्रिटस् लि. | प्लॉट नं. ३७ ते ४१ एमआयडीसी., चिखलठाणा, जि. औरंगाबाद. | ३४,७८,३८६ |
| 29 | M/s. United Spirits Pvt. Ltd. | Plot No. 37 to 41 MIDC, Chikalthana, district Aurangabad. | 34,78,386 |
| ३० | मे. कोकण अग्रो मरीन इंडस्ट्रीज प्रा. लि.-१, | बाबरगाव, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद | २,७६,६०४ |
| 30 | M/s. Kokan Agro Marine Industries Pvt. Ltd., | Babargaon, taluka Gangapur, district Aurangabad. | 2,76,604 |

कार्यरत असलेल्या विदेशी मद्य निर्माणी (पीएलएल) अनुज्ञप्तीची यादी--चालू

सन २०२१-२०२२

| १ | २ | ३ | ४ |
|----|--|--|---|
| ३१ | मे. रॅडिको एन. व्ही. डिस्टिलरीज महाराष्ट्र लि., | एम.आय.डी.सी., शेंद्रा, जि. औरंगाबाद | ३३,४६,५२७ |
| ३१ | M/s. Radico N. V. Distilleries Maharashtra Ltd., | M.I.D.C., Shendra, Aurangabad. | 33,46,527 |
| ३२ | मे. अॅडलर्स बायो इनर्जी लि., | गौरगाव, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद | २,०९,००० |
| ३२ | M/s. Adlers Bio-Energy Ltd., | Gaurgaon, taluka Kalamb, district Usmanabad | 2,09,000 |
| ३३ | मे. सुभाष लिक्वर्स प्रा. लि., | लोहारा (खुर्द), ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद | ५,२५,२०१ |
| ३३ | (मे. लोकमंगल माऊली इंडस्ट्रीज लि.) | | |
| ३३ | M/s. Subhash Liquors Pvt. Ltd., | Lohara (Kh.), taluka Lohara, district Osmanabad | 5,25,201 |
| ३३ | (M/s. Lokmangal Mauli Industries Limited). | | |
| ३४ | मे. पायोनियर डिस्टिलरीज लि. | बाळापूर, ता. धर्माबाद, जि. नांदेड | १८,९०,९१५ |
| ३४ | M/s. Pioneer Distilleries Ltd. | Balapur, taluka Dharmabad, district Nanded | 18,90,915 |
| ३५ | मे. ग्रेनॉच इंडस्ट्रिज लि., | भेंडाळा, ता. गंगापूर, औरंगाबाद | २,०९,००० |
| ३५ | M/s. Grenoch Industries Ltd. | Bhendala, taluka Gangapur, district Aurangabad | 2,09,000 |
| ३६ | मे. कोकण अॅग्रो मरीन इंडस्ट्रिज प्रा. लि.-२, | बाबरगाव, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद | २,०९,००० |
| ३६ | M/s. Kokan Agro Marine Industries Pvt. Ltd.-2 | Babargaon, taluka Gangapur, district Aurangabad. | नव्याने मंजूर 2,09,000 Newly Sanction |

नागपूर विभाग (Nagpur Division)

| | | | |
|----|---|--|----------|
| ३७ | मे. नागपूर डिस्टिलर्स प्रा. लि., | कामठी रोड, नागपूर | २,०९,००० |
| ३७ | M/s. Nagpur Distillers Pvt. Ltd., | Kamathi Road, Nagpur | 2,09,000 |
| ३८ | मे. इंडो स्पिरिट्स प्रा. लि., | जि. नागपूर | २,०९,००० |
| ३८ | M/s. Indo Spirities Pvt. Ltd., | district Nagpur | 2,09,000 |
| ३९ | मे. मानस अॅग्रो इंडस्ट्रीज अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. | किन्हाळा (वडगाव), ता. उमरेड, जि. नागपूर | २,०९,००० |
| ३९ | M/s. Manas Agro Industries & Infrastructure Ltd. | Kinhala (Wadgaon), taluka Umred, district Nagpur. | 2,09,000 |
| ४० | मे. रमण डिस्टिलरीज लि. | १३, वांजरा ले-आऊट, कामठी रोड, जि. नागपूर | २,०९,००० |
| ४० | M/s. Raman Distilleries Ltd. | 13, Wanjra Lay-out, Kamathi Road, district Nagpur. | 2,09,000 |
| ४१ | मे. अंजठा डिस्टिलरीज लि. | ५ व ६, टेका नाका, कामठी रोड, जि. नागपूर | २,०९,००० |
| ४१ | M/s. Ajantha Distilleries Ltd. | 5 & 6, Teka Naka, Kamathi Road, district Nagpur. | 2,09,000 |
| ४२ | मे. आनंद डिस्टिलरीज प्रा. लि. | केकतपूर, ता. व जि. अमरावती | २,०९,००० |
| ४२ | M/s. Anand Distilleries Pvt. Ltd. | Kekatpure, taluka & district Amravati | 2,09,000 |

नाशिक विभाग (Nashik Division)

| | | | |
|----|-------------------------------------|---|-------------|
| ४३ | मे. युनाटेड स्पिरिट्स लि. युनिट-१ | परमोरी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | ३२,७७,१६४ |
| ४३ | M/s. United Spirits Ltd., Unit-1 | Pamori, taluka Dindori, district Nashik | 32,77,164 |
| ४४ | मे. युनाटेड स्पिरिट्स लि. युनिट-२ | परमोरी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | २,०९,००० |
| ४४ | M/s. United Spirits Ltd., Unit-2 | Parmori, taluka Dindori, district Nashik | 2,09,000 |
| ४५ | मे. परनॉड रिकार्ड इंडिया प्रा. लि. | कादवा म्हाळुंगी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | १,२२,९५,१६७ |
| ४५ | M/s. Parnod Ricard India Pvt. Ltd. | Kadwa Mhalungi taluka Dindori, district Nashik. | 1,22,95,167 |
| ४६ | मे. वंदना डिस्टिलरीज प्रा. लि. | एमआयडीसी विंचूर, ता. निफाड, जि. नाशिक | ३,९१,२३५ |
| ४६ | M/s. Vandana Distilleries Pvt. Ltd. | MIDC Vinchur, taluka Niphad, district Nashik | 3,91,325 |

द्राक्षाधारीत मद्यार्कापासून ब्रॅण्डी तयार करण्यासाठी निर्माणी (पीएलएल) सन २०२१-२०२२

| अ. क्र. Sr. No. | घटकाचे नाव Name of the Unit | पत्ता Address | वार्षिक केसेस उत्पादनाकरिता नूतनीकरण ४ |
|--------------------|--------------------------------|------------------|---|
|--------------------|--------------------------------|------------------|---|

पुणे विभाग (Pune Division)

| | | | |
|----|---------------------------------|--|----|
| ४७ | मे. सॅच्युरी वार्इन्स प्रा. लि. | गट नं. १७, पिंपळी, ता. बारामती, जि. पुणे | -- |
| 47 | M/s. Century Wines Pvt. Ltd. | Gat No. 17, Pimpili, taluka Baramati, district Pune. | -- |

कार्यरत असलेल्या बीआरएल अनुज्ञप्तीची यादी सन २०२१-२०२२

| अ. क्र. Sr. No. | घटकाचे नाव Name of the Unit | पत्ता Address | वार्षिक केसेस उत्पादनाकरिता नूतनीकरण ४ |
|--------------------|---|---|---|
| १ | मे. युनायटेड ब्रेवरीज लि., औरंगाबाद | प्लॉट नं. एल-१०, एमआयडीसी, एरिया, वाळूज, जि. औरंगाबाद. | १,३५,१७९४१ (सन २०२०-२१ ते सन २०२४-२५ वर्षाकरिता नूतनीकरण) |
| 1 | M/s. United Breweries Ltd., district Aurangabad. | Plot No. L-10, MIDC Area, district Aurangabad. | 1,35,17941 |
| २ | मे. अॅनश्चर बुश इनबेव्ह लि., (युनिट सॅबमिलर पाल्स) जि. औरंगाबाद. | जि. औरंगाबाद | -- |
| 2 | M/s. Ashner Bush Inbev Ltd., (Unit Sabmiler Pals) district Aurangabad. | district Aurangabad. | -- |
| ३ | मे. बॉम्बे ब्रेव्हरीज, (युनिट ऑफ युनायटेड ब्रेवरीज लि.) जि. रायगड. | प्लॉट नं. एम-१, एमआयडीसी, इंडस्ट्रीयल एरिया, तळोजा, जि. रायगड. | -- |
| 3 | M/s. Bombay Breweries, district Raigad (Unit of United Breweries Ltd.) | Plot No. M-1, MIDC, Industrial Area, Taloja, district Raigad. | -- |
| ४ | मे. प्रिव्हिलेज इंडस्ट्रीज लि., जि. सातारा | एल-२, लोणंद, जि. सातारा | २,००,००० |
| 4 | M/s. Privillage Industries Ltd., district Satara | L-2, Lonand, district Satara | 2,00,000 |
| ५ | मे. काल्सबर्ग इंडिया प्रा. लि., वाळूज, जि. औरंगाबाद | ४/१७/१/१, वाळूज इंडस्ट्रीयल इस्टेट, जि. औरंगाबाद. | ९५,८५,७६४ |
| 5 | M/s. Kalsburg Breweries Pvt. Ltd., Waluj, district Aurangabad. | 4/7/1/1, Waluj, Industrial Estate, district Aurangabad. | 95,85,764 |
| ६ | मे. युनायटेड ब्रेव्हरीज प्रा. लि., (यु. बी. अंजठा), जि. औरंगाबाद. | प्लॉट नं. एच-८ ते एच-११, एमआयडीसी, वाळूज, जि. औरंगाबाद. | १४,६०,११८ |
| 6 | M/s. United Breweries Pvt. Ltd., (U. B. Ajantha), district Aurangabad. | Plot No. H-8 to H-11, MIDC, Waluj, district Aurangabad. | 14,60,118 |
| ७ | मे. सॅबमिलर इंडिया लि., (युनिट सबमिलर फोस्टर), औरंगाबाद. | एल-७, एमआयडीसी, वाळूज, जि. औरंगाबाद. | -- |
| 7 | M/s. Sabmiller India Ltd., (Unit Submiller Foster), district Aurangabad. | L-7, MIDC, Waluj, district Aurangabad. | -- |

कार्यरत असलेल्या बीआरएल अनुज्ञप्तीची यादी सन २०२१-२०२२--चालू

| १ | २ | ३ | ४ |
|----|---|---|-----------|
| ८ | मे. लीलासन्स इंडस्ट्रीज लि., औरंगाबाद | १ ते ७, एमआयडीसी, वाळूज, ८, बन्सीलालनगर, जि. औरंगाबाद. | ३६,६०,००० |
| ८ | M/s. Lilason Industries Pvt. Ltd., district Aurangabad. | 1-7, MIDC, Walunj, 8, Bansilal Nagar, district Aurangabad. | 36,60,000 |
| ९ | मे. राजा कैमुर ब्रेवरीज प्रा. लि., जि. नागपूर | प्लॉट नं. के-३९, एमआयडीसी, बुटीबोरी, जि. नागपूर. | ५,६५,४८८ |
| ९ | M/s. Raja Kaimoor Pvt. Ltd., district Nagpur | Plot No. K-39, MIDC, Butibori Area, district Nagpur. | 5,65,488 |
| १० | मे. मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर ब्रेवरीज ब्लेंडर्स प्रा. लि., जि. रायगड. | मोहनवाडी, खोपोली, जि. रायगड | -- |
| 10 | M/s. Mohan Rocy Springwater Breweries Blenders Pvt. Ltd., district Raigad. | Mohanwadi, Khopoli, district Raigad | -- |
| ११ | मे. पॅनेसिया ब्रेवरीज प्रा. लि., भोसरी, पुणे | ११३/३, एस ब्लॉक, एमआयडीसी, भोसरी, जि. पुणे. | -- |
| 11 | M/s. Panciya Breweries Pvt. Ltd., district Pune. | 113/3, S Block, MIDC, Bhosari, district Pune | -- |

उत्पादन शुल्क आकारण्यात येणाऱ्या वस्तूच्या वाहतूक, आयात, निर्यात, विशेष शुल्क याबाबतचे अवकारी करांचे दर

| अनु- क्रमांक | उत्पादन शुल्क पात्र वस्तू Excisable Items | अवकारी शुल्क Excise Duty | वाहतूक शुल्क Transport Duty | आयात शुल्क Import Fee | निर्यात शुल्क Export Fee | विशेष शुल्क Special Fee | व्यवस्थापन शुल्क Administrative Fee |
|-----------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|
| Sr. No. | | Rs. | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs |
| 1 | शुद्ध मद्यार्क (1) जेव्हा रोख्याद्वारे खुले केले असेल (उदा. पिण्याची मद्ये बनविण्यासाठी) | No Duty | (For CL) 1.25 2.00 (For ENA) | 10 -- -- -- | 0.40 P. B. L. 10.00 (Neutral) | 10.00 P. B. L. -- -- | -- -- -- -- |
| | (2) औद्योगिक मद्यार्क (उदा. विप्रकृत मद्यार्क) | No Duty | 0.30 P. B. L. (For M & TP) | -- -- -- | 1.50 P. B. L. | -- P. B. L. | -- -- |
| | (3) अवकारी शुल्क भरलेले शुद्ध मद्यार्क (उदा. इतर उपयोगाकरिता) | 25 P. L. | 0.30 (For ENA) | -- -- | 0.50 (Neutral) | -- -- | -- -- |
| 2 | भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य नागरिकांसाठी (दि. 1-4-2014 पासून) | 350 P. P. L. किंवा निर्मिती मूल्याच्या 300 टक्के किंवा यापैकी जे अधिक असेल ते | 2.00 | 7.00 | एमआरपी रु. 500/- पेक्षा कमी रु. 3/- एमआरपी रु. 500/- पेक्षा जास्त रु. 10/- | निर्मिती मूल्याच्या 300 टक्के किंवा रुपये 450 प्र. ब. लि. यापैकी जे अधिक असेल ते निर्मिती मूल्याच्या 180 टक्के किंवा रु. 230/- प्र. ब. लि. यापैकी जे अधिक असेल ते | -- |
| | सैनिकांसाठी .. | Rs. 180 P. P. L. | | | | | |
| | दि. 1/4/2016) रमव्यतिरिक्त | किंवा निर्मिती मूल्याच्या 180 टक्के यापैकी जे अधिक असेल ते | | | | | |
| | सैनिकांसाठी .. | 135 P. P. L. | -- | -- | -- | -- | -- |
| | (रमकरिता) .. | किंवा निर्मिती मूल्याच्या 60 टक्के यापैकी जे अधिक असेल ते | | | | | |

उत्पादन शुल्क आकारण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या वाहतूक, आयात, निर्यात, विशेष शुल्क याबाबतचे अबकारी करांचे दर--चालू

| अनु- क्रमांक Sr. No. | उत्पादन शुल्क पात्र वस्तू Excisable Items | अबकारी शुल्क Excise Duty | वाहतूक शुल्क Transport Duty | आयात शुल्क Import Fee | निर्यात शुल्क Export Fee | विशेष शुल्क Special Fee | व्यवस्थापन शुल्क Administrative Fee |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Rs. | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs |
| 3 | बिअर (1) 5 % पेक्षा कमी ताकदीची नागरिकांसाठी | 42.00 | 0.25 P.B.L. | 4.00 | 1.00 | निर्मिती मूल्याच्या 175 % | -- |
| | सैनिकांसाठी .. | निर्मिती मूल्याच्या 90 % | | | | | |
| | (2) 5 % पेक्षा जास्त नागरिकांसाठी | 80.00 B. L. | 0.25 | 4.00 | 1.00 | निर्मिती मूल्याच्या 235 % | -- |
| | ताकतीची .. | किंवा निर्मिती मूल्याच्या 235 % | | | | | |
| 4 | वाईन (1) नागरिकांसाठी | -- | 0.25 | 7.00 | 0.50 | (1) रु. 900 एमआरपी असल्यास रु. 400 B. P. L. (2) रु. 901 ते 6000 एमआरपी पर्यंत रु. 300 P. B. L. (3) रु. 6000 पेक्षा जास्त असल्यास एमआरपीच्या 5% निर्मिती मूल्याच्या 100 %. | |
| | अ. फक्त महाराष्ट्र राज्यात उत्पादित होणाऱ्या द्राक्षापासून मद्यार्कांचा वापर न करता इतर कोणत्याही वाईनचे मिश्रण (blending) न करता स्वतःच्या ब्रँडची निर्मिती केल्यास. | निर्मिती मूल्याच्या 100 % (30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत सूट) | | | | | |
| | ब. महाराष्ट्र राज्यात उत्पादित होणाऱ्या द्राक्षापासून मद्यार्कांचा वापर करून स्वतःच्या ब्रँडची निर्मिती केल्यास. | निर्मिती मूल्याच्या 125 % | | | | | |

उत्पादन शुल्क आकारण्यात येणाऱ्या वस्तूच्या वाहतूक, आयात, निर्यात, विशेष शुल्क याबाबतचे अवकारी करांचे दर--चालू

| अनु- क्रमांक Sr. No. | उत्पादन शुल्क पात्र वस्तू Excisable Items | अवकारी शुल्क Excise Duty | वाहतूक शुल्क Transport Duty | आयात शुल्क Import Fee | निर्यात शुल्क Export Fee | विशेष शुल्क Special Fee | व्यवस्थापन शुल्क Administrative Fee |
|-------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Rs. | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs |
| क. | सरहदीपलीकडून किंवा परराज्यातून राज्यात आयात केलेली द्राक्षे/द्राक्षरस बल्क वाईन/वाईन अर्क वापरून/मद्याकांचा वापर करून/वापर न करता/किंवा इतर कोणत्याही वाईनचे मिश्रण करून स्वतःच्या ब्रँडची निर्मिती केल्यास. | निर्मिती मूल्याच्या 150 % | | | | | |
| ड. | सरहदीपलीकडून किंवा परराज्यातून राज्यात आयात केलेली द्राक्षे/द्राक्षरस बल्क वाईन/वाईन अर्क वापरून/मद्याकांचा वापर करून/वापर न करता/किंवा इतर कोणत्याही वाईनचे मिश्रण (blending) करून विदेशी ब्रँडची निर्मिती केल्यास. | निर्मिती मूल्याच्या 200 % | | | | | |
| (2) | सैनिकांसाठी | .. | | | | | |
| 5 | देशी दारू | निर्मिती मूल्याच्या 100 % | | | | | |
| (1) | उस मळीपासून बनविलेल्या मद्याकांपासून बनविलेले मद्य (From 26-3-2021). | (31 डिसेंबर 2021 पर्यंत सूट) | | | | | |
| (2) | काजू बोंडापासून बनविलेले मद्य | निर्मिती मूल्याच्या 220 टक्के अथवा रुपये 155 प्रति पुफ लिटर यापैकी अधिक असेल ते | | | | | |
| 6 | औषधिद्रव्ये, सौंदर्यप्रसाधने स्पिरिटचा वापर करून बनविलेल्या पदार्थाव्यतिरिक्त मद्य पेये. | 10.00 P. L. | | | | | |
| (1) | तपासणी न झालेले | 75 % निर्मिती मूल्याच्या जे अधिक असेल ते | | | | | |
| (2) | तपासणी झालेले | 33.35 P. L. | | | | | |
| | | 25.00 P. L. | | | | | |

उत्पादन शुल्क आकारण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या वाहतूक, आयात, निर्यात, विशेष शुल्क याबाबतचे अबकारी करांचे दर--चालू

| अनु- क्रमांक | उत्पादन शुल्क पात्र वस्तू Excisable Items | अबकारी शुल्क Excise Duty | वाहतूक शुल्क Transport Duty | आयात शुल्क Import Fee | निर्यात शुल्क Export Fee | विशेष शुल्क Special Fee | व्यवस्थापन शुल्क Administrative Fee |
|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Sr. No. | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Rs. | Rs | Rs | Rs | Rs | Rs |
| 1 | 2 | | | | | | |

- 7 ओपियम (अफू) ..
- 8 ताडी झाडावरील कर ..
- (अ) प्रत्येक नारळाचा वृक्ष किंवा ब्रेक वृक्ष ..
- (ब) प्रतिदिनी किंवा जंगली पाम वृक्ष शुल्काचा दर संबंधित नियमाच्या उपबंधानुसार ठरविण्यात आला आहे.
- (1) दि. मुंबई मद्यार्क (बंधित वाहतूक) नियम, 1951.
- (2) महाराष्ट्र स्वदेशी खाद्य (आयात-निर्यात) नियम, 1993.
- (3) मुंबई विप्रकृत मद्यार्क नियम, 1959 (नागरिकांकरिता).
- (4) अबकारी शुल्क हे शासन अधिसूचना महसूल विभागाचा क्र. 1050/39, दि. 23-7-1949 अन्वये ठरविण्यात आले आहे. (वेळोवेळी सुधारणा केल्याप्रमाणे) व संरक्षण विभागासाठी, शासन आदेश, गृह विभाग क्र. बीपीए-2079/267-अ/112-पीआरओ-2, दि. 18-1-1980 हे वेळोवेळी सुधारणा केल्याप्रमाणे.
- (6) शासन आदेश, महासूल व वन विभाग क्र. इएआर-1362/1/281-एन, दि. 21-5-1963 हे वेळोवेळी सुधारणा केल्याप्रमाणे.
- (7) झाडावरील करांचा दर हे शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्र. बीपीए-1088 (XXIV) (रोमन 24) पीआरओ-2, दि. 16-3-1988 अन्वये विहित करण्यात आले आहेत.

शासन अधिसूचना, दिनांक 8 ऑगस्ट 1995 अन्वये ताडी झाडावरील कर रद्द करण्यात आलेला असल्याने सदरची माहिती निरंक.

उत्पादन शुल्काचे दर व एमआरपीचे सूत्र

| मद्य प्रकार | उत्पादन शुल्काचा दर | निर्मिती मूल्य : उत्पादन शुल्क : फायदा | एमआरपीचे सूत्र |
|-----------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IMFL स्पिरिट | निर्मिती मूल्याच्या 300 टक्के किंवा रुपये 350/- प्रति पुफ लिटर यापैकी जास्त असेल ते. | 1 : 3 : 1 | निर्मिती मूल्याच्या 5 पट + 40 टक्के VAT निर्मिती मूल्य प्रति लिटर रुपये 210/- पर्यंत असल्यास. निर्मिती मूल्याच्या 5 पट (MC X 5) + (MC-210) X 4 + 40 टक्के VAT निर्मिती मूल्य प्रति लिटर रुपये 210/- पेक्षा जास्त असल्यास. |
| देशी मद्य | निर्मिती मूल्याच्या 220 टक्के किंवा रुपये 155/- प्रति पुफ लिटर यापैकी जास्त असेल ते. | 1 : 2.20 : 1.30 | निर्मिती मूल्याच्या 4.5 पट + 40 टक्के VAT |

उत्पादन शुल्काचे दर व कमाल किमतीचे सूत्र

| | | | |
|--|---|-----------------|--|
| तीव्र बिअर 5 ते 8 टक्के मद्यार्क तीव्रता | रुपये 80/- प्रति बल्क लिटर किंवा निर्मिती मूल्याच्या 235 टक्केपैकी जे जास्त असेल ते. | 1 : 2.35 : 1.25 | निर्मिती मूल्याच्या 4.6 पट + 40 टक्के VAT |
| सौम्य बिअर 5 टक्केपेक्षा कमी तीव्रता | रुपये 42/- प्रति बल्क लिटर किंवा निर्मिती मूल्याच्या 175 टक्केपैकी जे जास्त असेल ते. | 1 : 1.75 : 1 | निर्मिती मूल्याच्या 3.25 पट + 40 टक्के VAT |
| वाईन | निर्मिती मूल्याच्या 100 टक्के राज्यात उत्पादित द्राक्षापासून निर्मित वॉईनवर 31-12-2021 पर्यंत 100 टक्के सूट इतर फळांपासूनच्या वॉईनला नाममात्र रुपये 1 ब. लि. शुल्क आकारले जाते. | 1 : 0 : 2 | निर्मिती मूल्याच्या 3 पट + 20 टक्के VAT |

उत्पादन शुल्काचे दर व एमआरपीचे सूत्र

| | | | |
|--|---|--------------|--|
| सौम्य मद्य - अ 5 टक्केपेक्षा कमी तीव्रता | रुपये 42/- प्रति बल्क लिटर किंवा निर्मिती मूल्याच्या 175 टक्केपैकी जे जास्त असेल ते. | 1 : 1.75 : 1 | निर्मिती मूल्याच्या 3.75 पट + 40 टक्के VAT |
| सौम्य मद्य - ब 5 ते 8 टक्के तीव्रता मद्यार्क | रुपये 200/- प्रति बल्क लिटर किंवा निर्मिती मूल्याच्या 200 टक्केपैकी जे जास्त असेल ते. | 1 : 2 : 1.25 | निर्मिती मूल्याच्या 4.25 पट + 40 टक्के VAT |

उत्पादन शुल्काचे दर व एमआरपीचे सूत्र BIO साठी

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------|
| तीव्र बिअर 5 ते 8 टक्के मद्यार्क तीव्रता | रुपये 80/- प्रति बल्क लिटर किंवा निर्मिती मूल्याच्या 235 टक्केपैकी जे जास्त असेल ते. | | MC X 4 + C. D. + 40 टक्के VAT |
| सौम्य बिअर 5 टक्केपेक्षा कमी मद्यार्क तीव्रता | रुपये 42/- प्रति बल्क लिटर किंवा निर्मिती मूल्याच्या 175 टक्केपैकी जे जास्त असेल ते. | | MC X 3.5 + C. D. + 40 टक्के VAT |

सन 2022-2023 करिता मळीचे अंदाजपत्र

(आकडे लाखात में टनात)

| (अ) उपलब्धता | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. सुरुवातीची शिल्लक | 6.84 | 7.52 | 8.27 |
| 2. सन 2013-2014 मधील मळीचे उत्पादन | 43.99 | 48.39 | 53.23 |
| 3. वाढ | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| 4. एकूण उपलब्धता | 51.03 | 56.13 | 61.74 |
| (ब) वापर | | | |
| 1. मद्यार्क निर्मितीसाठी | 32.80 | 36.08 | 39.69 |
| 2. पशुखाद्य व इतर औद्योगिक वापराकरिता | 2.59 | 2.85 | 3.13 |
| 3. एकूण वापर | 35.39 | 38.93 | 42.82 |
| (क) निर्यात | | | |
| 1. परराज्यात | 0.84 | 0.92 | 1.02 |
| 2. परदेशात | 3.56 | 3.92 | 4.31 |
| 3. एकूण निर्यात | 4.40 | 4.84 | 5.32 |
| (ड) एकूण (ब + क) | 39.79 | 43.77 | 48.15 |
| (ड) तूट | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (फ) शिल्लक अ - (ब + क) = फ | 11.24 | 12.36 | 13.60 |

सन 2022-2023 करिता मद्यार्काचे अंदाजपत्रक

(आकडे बल्क लि. मध्ये)

| (अ) उपलब्धता | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. सुरुवातीची शिल्लक | 32822.55 | 33671.06 | 34508.69 |
| 2. मद्यार्काचे उत्पादन | 3764.54 | 3934.83 | 4311.29 |
| 3. वाढ | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
| 4. एकूण उपलब्धता | 36587.27 | 37606.08 | 38820.20 |
| (ब) वापर | | | |
| 1. देशी मद्य निर्मितीकरिता | 738.69 | 766.54 | 840.41 |
| 2. विदेशी मद्य निर्मितीकरिता | | | |
| 3. एकूण वापर | 738.69 | 766.54 | 840.41 |
| (क) औद्योगिक वापर | | | |
| 1. बल्क कॅड्युमर्स | 100.88 | 101.18 | 111.05 |
| 2. इतर केमिकल्स घटक व संरक्षण | 39.75 | 42.72 | 46.69 |
| 3. औषध व सौंदर्यप्रसाधने | 11.30 | 11.43 | 12.56 |
| 4. इतर वापर (ओडीएस) | 6.21 | 6.27 | 6.89 |
| 5. इथेनॉल | 94.305 | 994.78 | 1089.08 |
| 6. जलरहित मद्यार्क (Absolute Alcohol) | 986.75 | 1077.93 | 1176.60 |
| 7. एकूण | 2087.94 | 2234.31 | 2442.87 |

सन २०२२-२०२३ करिता मद्यार्काचे अंदाजपत्रक--चालू

(आकडे बल्क लि. मध्ये)

| | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| (ड) निर्यात | | | |
| 1. परराज्यात | 74.60 | 81.06 | 88.53 |
| 2. परदेशात | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. एकूण निर्यात | <u>74.60</u> | <u>81.06</u> | <u>88.53</u> |
| (फ) शिल्लक अ - (ब + क + ड) = फ | 33686.04 | 34524.17 | 35448.39 |
| - हानी | <u>(-) 14.98</u> | <u>(-) 15.48</u> | <u>(-) 16.98</u> |
| = इ | <u>33671.06</u> | <u>34508.69</u> | <u>35431.41</u> |

मळी, देशी-विदेशी दारू, बीअर व वाईन इत्यादीसंबंधीची माहिती

१. मळीचे उत्पादन व उपयोग.--मुंबई मळी नियमावली, १९५५ मधील तरतुदीनुसार मळी उत्पादन करण्याकरिता "नमुना एम-1" अनुज्ञाप्ती देण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यात अशा प्रकारे सन २०२१-२२ अखेरपर्यंत एकूण २१२ कारखाने कार्यरत असून राज्यात उत्पादित झालेल्या मळीचे वितरण, मळीची आसवनी व इतर औद्योगिक वापरसाठी, निर्यातीसाठी झालेला विनियोग दर्शविणारा मागील तीन वर्षांचा तक्ता सोबत जोडला आहे.

केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने गृह विभागाच्या क्रमांक एमएलएस/१०९३/१/ईएक्ससी-२, दिनांक २१ जून १९९३ च्या पत्रानुसार मळीच्या वाटपावरील नियंत्रण रद्द केले आहे, त्यामुळे राज्यातील मळी उत्पादक घटक अन्य विहित अनुज्ञाप्तीधारकास कितीही परिमाणाची मळीची विक्री करू शकतो. यासंदर्भात मुंबई मळी नियमावली १९५५, मुंबई मळी (नियंत्रण) कायदा, १९५६ तसेच मुंबई मळी (विक्री, पुरवठा व किंमत नियंत्रण) आदेश, १९६० या नियमातील तरतुदीनुसार राज्यातील उत्पादित झालेल्या मळीचे वितरण करणे, परराज्यात/परदेशात निर्यात करणे, वाहतूक शुल्क, निर्यात शुल्क वसुली करणे इत्यादीबाबतच्या नियमांचे पालन करणे, इत्यादी बाबींची अंमलबजावणी या विभागामार्फत करण्यात येते. राज्यातील उपलब्ध होणाऱ्या मळीचे प्रमाण विचारात घेऊन दरवर्षी मळीचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात येत असते व राज्याची गरज भागविल्यानंतर शिल्लक राहणारी मळी अन्य राज्यात किंवा परदेशात निर्यात करण्यासाठी शासनाच्या पूर्वमान्यतेने परवानगी देण्यात येत होती.

सन २०१५ च्या विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विधानसभा सभागृहात मळीची निर्यात नियंत्रणमुक्त करण्याबाबत झालेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने शासन निर्णय क्रमांक एमपीएल-१२१३/प्र.क्र. ५५९/राउशु-३, दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये राज्यात उत्पादित होणाऱ्या मळीची निर्यात नियंत्रणमुक्त करण्याच्या दृष्टीने प्रचलित कार्यपद्धतीमध्ये बदल करून परराज्यात/परदेशात मळी निर्यातीकरिता परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले होते.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलाच्या दृष्टीने मळी हा महत्त्वाचा स्रोत आहे. मळीचा वापर प्रामुख्याने मद्यार्क तयार करण्यासाठी होतो. राज्यात सुमारे २३१ साखर कारखाने कार्यान्वित असून त्यापैकी १२४ साखर कारखान्यांना आसवनी मंजूर आहेत, तसेच १९ Stand alone आसवनी आहेत. ज्या साखर कारखान्यांकडे आसवनी नाही असे साखर कारखाने अन्य आसवनींना मळीची विक्री करतात. ज्या साखर कारखान्यांनी आसवनी उभारल्या आहेत त्यांनी त्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक केलेली आहे. सदर आसवनीत तयार होणाऱ्या मद्यार्काचा राज्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वापर होतो, तसेच पेय मद्यनिर्मिती होते. सदर मद्यार्काचा वापराचे प्रमाण ६० : ४० आहे व त्यापासून शासनास सुमारे मोठ्या प्रमाणावर महसूल प्राप्त होतो.

मागील काही वर्षातील राज्यातील मळीचे उत्पादन व वापर याबाबतची आकडेवारी पाहिली असता साधारणपणे वार्षिक ३५ ते ४० लाख मे. टन मळी राज्यात उपलब्ध होत असते त्यापैकी राज्यातील आसवनींना मद्यार्क उत्पादनासाठी साधारणपणे ३२ लाख मे. टन मळीची आवश्यकता लागते व पशुखाद्यासाठी सुमारे २.५ लाख मे. टन मळी लागते.

केंद्र शासनाने दिनांक २ जानेवारी २०१३ निर्णयानुसार वाहनाच्या इंधनात १० टक्के या प्रमाणात इथेनॉल मिसळण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानंतर मे २०१४ पासून नवीन केंद्र शासन आल्यानंतर वाहनाच्या इंधनात सक्तीने इथेनॉल मिश्रण करण्याच्या धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात केंद्र शासनाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. तसेच केंद्र शासनाने दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ व दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ च्या निर्णयान्वये आसवनींना उसाच्या रसापासून बी-हेवी मळी व सी-हेवी मळीपासून इथेनॉल उत्पादन करण्यास मंजूरी दिलेली आहे. त्याकरिता लागणारा कच्चा माल म्हणजे मळीचा तुटवडा भासणार असल्यामुळे दि इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्या मागणीनुसार शासन निर्णय, दिनांक २७ डिसेंबर २०१९ अन्वये सन २०१९-२० या मळी हंगामातील उत्पादित मळीच्या परराज्यात/परदेशात निर्यातीवर दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत बंदी घालण्यात आली होती.

तद्नंतर सन २०२१-२२ या मळी हंगामातील मळी उत्पादनाचा आढावा घेतला असता सन २०२०-२१ या हंगामाच्या सुरुवातीस राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये एकूण ३.२५ ला मे. टन मळी शिल्लक होती. सन २०२१-२०२२ करिता अपेक्षित मळी उत्पादन ५४.८० लाख मे. टन असून सन २०२१ मळी हंगामात अपेक्षित मळी उपलब्धता ५७.३३ लाख मे. टन राहिल.

मळीच्या उपलब्धतेमध्ये झालेली वाढ विचारात घेता सन २०१९-२० या मळी हंगामातील उत्पादित मळीच्या परराज्यात/परदेशात निर्यातीवर शासन निर्णय, दिनांक २७ डिसेंबर २०१९ अन्वये दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत घालण्यात आलेली बंदी शासन निर्णय दिनांक २९ जून २०२० अन्वये तात्काळ प्रभावाने उठविण्यात आली, तसेच मळी निर्यातीच्या परवानगीवर केंद्रीयरीत्या नियंत्रण ठेवण्यासाठी परराज्यात/परदेशात मळी निर्यातीची परवानगी देण्याचे अधिकार आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांना देण्यात आले आहेत.

२. देशी दारू निर्मिती.— महाराष्ट्र देशी दारू नियम, १९७३ मधील तरतुदीनुसार सन २०२१-२२ पर्यंत एकूण ५० घटकांना देशी दारू निर्मितीसाठी सीएल-१ अनुज्ञप्ती मंजूर करण्यात आली आहे. देशी दारू ही प्रामुख्याने मळीपासून होणाऱ्या स्पिरीटपासून निर्मिती केली जाते. धान्याधारित मद्यार्कापासूनदेखील देशी दारू निर्मितीसाठी सीएल-१ अनुज्ञप्ती मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. शिवाय मोहा, काजू यापासून तयार होणाऱ्या स्पिरिटपासून काही प्रमाणात देशी दारू निर्मिती केली जाते. मात्र मळी मद्यार्कावरील नियंत्रण उठविल्यामुळे पर्यायाने देशी दारूवरील विक्रीच्या तीनही स्तरांवरील किमती उरविण्याबाबतचे शासन निर्णय रद्दबातल करण्यात आले आहेत. दिनांक १६ मार्च १९९४ पासून देशी मद्यारवरील उत्पादन शुल्काचे दर आकारण्यात येत होते, परंतु शासन गृह विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआरएम-१०९६-२१/३/ईएक्ससी-३, दिनांक १८ ऑक्टोबर १९९६ नुसार राज्यात दिनांक १ जानेवारी १९९७ पासून मूल्याधारित कर पद्धती लागू करण्यात आली असून त्यानुसार उत्पादन शुल्क वसूल करण्यात येत आहे. दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार देशी मद्यारकरिता निर्मिती मूल्याच्या २१३ टक्के अथवा रुपये १३५ यापैकी जे जास्त असेल ते याप्रमाणे उत्पादन शुल्क आकारण्यात येत होते. तथापि, शासन अधिसूचना क्रमांक सीएलआर-०३२१/प्र.क्र. ५२/राउशु-३, दिनांक २६ मार्च २०२१ अन्वये सद्यःस्थितीत देशी मद्यारकरिता निर्मिती मूल्याच्या २२० टक्के अथवा रुपये १५५ यापैकी जे जास्त असेल ते याप्रमाणे उत्पादन शुल्क आकारण्यात येत आहे.

३. विदेशी दारू निर्मिती.— महाराष्ट्र डिस्टिलेशन ऑफ स्पिरिट अँड मॅन्युफॅक्चर ऑफ पोर्टेबल लिंकर रूल्स, १९६६ मधील तरतुदीनुसार विदेशी दारू तयार करण्याकरिता नमुना "पीएलएल" अनुज्ञप्ती देण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यात सन २०२१-२२ करिता आतापर्यंत अशा प्रकारे एकूण ७१ पीएलएल अनुज्ञप्ती मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत.

शासन गृह विभाग अधिसूचना क्रमांक एमआरएम-१०९६-२१/३/ईएक्ससी-३, दिनांक १८ ऑक्टोबर १९९६ नुसार राज्यात दिनांक १ जानेवारी १९९७ पासून मूल्याधारित करपद्धती लागू करण्यात आली असून त्यानुसार उत्पादन शुल्क वसूल करण्यात येत आहे. सद्यःस्थितीत दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार विदेशी मद्यारकरिता निर्मिती मूल्याच्या ३०० टक्के अथवा रुपये ३५० यापैकी जे जास्त असेल ते याप्रमाणे उत्पादन शुल्क आकारण्यात आले असून सद्यःस्थितीत त्यात कोणताही बदल झालेला नाही.

४. बीअर निर्मिती.— महाराष्ट्र मॅन्युफॅक्चर ऑफ बीअर अँड वार्डन रूल्स, १९६६ मधील तरतुदीनुसार बीअर तयार करण्याकरिता नमुना "बीआरएल" अनुज्ञप्ती देण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यात सन २०२१-२२ पर्यंत अशाप्रकारे एकूण ११ बीआरएल (ब्रुवरी) अनुज्ञप्ती मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत.

त्याचप्रमाणे शासनाने सन २००९ पासून राज्यात मायक्रोब्रुवरीज उभारण्यास परवानगी दिली असून शासन अधिसूचना क्रमांक बीआरएल-०८११/सीआर-२८९(१), दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१० मधील तरतुदीनुसार जिल्हास्तरावर रेस्टॉरंटमध्ये बीअर पिण्यासाठी (On Consumption) रेस्टॉरंट ब्रुवरी अनुज्ञप्ती मंजूर करण्यात येते. तसेच निर्माणीत उत्पादित होणाऱ्या बीअरची विक्री ५ लिटरपेक्षा कमी नसलेल्या पॅकबंद (Off Consumption) स्वरूपात अन्य एफएल-III, एफएल-IV व ई अनुज्ञप्तीधारकांना विक्रीकरिता मायक्रोब्रुवरी मंजूर करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यात सन २०१९-२० पर्यंत अशा प्रकारे एकूण २९ मायक्रोब्रुवरी/रेस्टॉरंटब्रुवरी अनुज्ञप्ती मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत.

सद्यःस्थितीत दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ च्या अधिसूचनेनुसार सोम्य बीअरकरिता निर्मिती मूल्याच्या १७५ टक्के अथवा रुपये ४२ यापैकी जे जास्त असेल ते तसेच तीव्र बीअरकरिता निर्मिती मूल्याच्या २३५ टक्के अथवा रुपये ८० यापैकी जे जास्त असेल ते याप्रमाणे उत्पादन शुल्क आकारण्यात येत असून सद्यःस्थितीत त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

शासन अधिसूचना क्रमांक बीपीए-०८१९/प्र.क्र. १४६/राउशु-२, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ अन्वये मायक्रोब्रुवरीज अनुज्ञप्ती मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

शासन अधिसूचना गृह विभाग बीडब्ल्यूआर-११०६/सीआर-१६/मायक्रोब्रुवरी/ईएक्ससी-३, दिनांक १० ऑगस्ट २००९ अनुसार वार्षिक २,००,००० लिटर उत्पादन क्षमता असणाऱ्या बीअर उत्पादक घटकांच्या अनुज्ञप्तीस मायक्रोब्रुवरी (BRL) असे संबोधन देण्यात आले. यामध्ये स्टॅंडअलोन मायक्रोब्रुवरी व रेस्टॉरंट ब्रुवरी (एफएल-III अनुज्ञप्तीसह) असे दोन प्रकार आहेत. स्टॅंड अलोन ब्रुवरीस ५ लिटरपेक्षा अधिक असलेल्या कॅनमध्ये भरून सीलबंद स्वरूपात विक्री करण्याची परवानगी आहे, तर रेस्टॉरंट ब्रुवरीज सुट्या स्वरूपात अथवा सीलबंद स्वरूपात ५ लिटरच्या कॅनमध्ये विक्रीस परवानगी आहे. दिनांक १५ जून २०२० च्या शासन अधिसूचनेनुसार मायक्रोब्रुवरीची उत्पादन मर्यादा ५,००,००० लिटरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, तसेच ग्राउंडरमध्ये भरून विक्रीस परवानगी देण्यात आली आहे.

५. वार्डन.— महाराष्ट्र मॅन्युफॅक्चर ऑफ बीअर अँड वार्डन रूल्स, १९६६ मधील तरतुदीनुसार वार्डन तयार करण्याकरिता नमुना "बीआरएल" अनुज्ञप्ती देण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यात सन २०२१-२२ पर्यंत अशा प्रकारे एकूण ९४ वायनरी अनुज्ञप्ती मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत.

वार्डनकरिता शासन अधिसूचना क्रमांक बीडब्ल्यूआर-११०८/सीएआर-५९(२)/ईएक्ससी-३, दिनांक २४ डिसेंबर २००१ अन्वये ५ वर्षांकरिता उत्पादन शुल्कातून सूट देण्यात आली होती. तदनंतर सदरची सूट दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आली होती. शासन अधिसूचना क्रमांक एमआयएस ०११९/प्र.क्र. २६/राउशु-३, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१९ अन्वये दिनांक ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत वाढविण्यात (उत्पादन शुल्कातून सूट) आली होती व द्राक्ष, सफरचंदव्यतिरिक्त अन्य पदार्थापासून तयार होणाऱ्या वार्डनवर रुपये १ प्रति बल्क लिटर या दराने उत्पादन शुल्क आकारण्यात येत होते. आता शासन आदेश क्रमांक बीडब्ल्यूआर-०९२१/प्र.क्र./१६९/राउशु-३, दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ नुसार कोणत्याही पदार्थापासून आणि मद्यार्काचा समावेश न करता आणि आयात केलेले अर्क किंवा बल्क वार्डन यांचेपासून उत्पादित व मिश्रण न करता निर्मिती केलेली वार्डन यावर दिनांक ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत रुपये १० प्रति बल्क लिटर पेक्षा जास्त असलेल्या उत्पादन शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.

मळी विवरणपत्र

| अ. क्र. | मळीचा तपशील | लाख मे. टन |
|---------|--|------------|
| १ | आरंभीची शिल्लक | ३.०८ |
| २ | सन २०२०-२१ मधील प्रत्यक्ष मळी उत्पादन | ४९.८९ |
| ३ | एकूण उपलब्धता (१+२) | ५२.९७ |
| ४ | दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ अखेर पेय मद्याच्या मद्यार्कासाठी प्रत्यक्ष मळी वापर | ७.९७ |
| ५ | दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ अखेर इंधन व इतर प्रयोजनाकरिता मद्यार्कासाठी प्रत्यक्ष वापर | २९.३० |
| ६ | दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ अखेर पशुखाद्य व इतर प्रयोजनाकरिता प्रत्यक्ष वापर | २.२५ |
| ७ | दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ अखेर परदेशात / परराज्यात प्रत्यक्ष निर्यात | १०.२१ |
| ८ | दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ अखेर एकूण वापर (४+५+६+७) | ४९.७२ |
| ९ | दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ रोजी एकूण राज्यात प्रत्यक्ष शिल्लक मळी | ३.२५ |
| १० | सन २०२१-२२ मळी हंगामात अपेक्षित मळी उत्पादन | ५४.८० |
| ११ | सन २०२१-२२ मळी हंगामात अपेक्षित मळी उपलब्धता (९+१०) | ५७.३३ |
| १२ | २०२१-२२ मळी वर्षाकरिता पेय मद्य, इथेनॉल ब्लेंडिंग व इतर औद्योगिक प्रयोजनाकरिता अंदाजित मळीचा वापर. | ४५.०० |
| १३ | राज्यातील उद्योगाकरिता राखीव साठा | ३.५० |
| १४ | सन २०२१-२२ हंगामाच्या शेवटची अंदाजित शिल्लक मळी | ८.८३ |

आसवनी व मद्य / बिअर निर्माणीची संख्या

| अनुज्ञप्ती प्रकार | एकूण मंजूर अनुज्ञप्त्या | एकूण कार्यरत अनुज्ञप्त्या |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| मळीआधारित आसवनी नमुना-I | 120 | 115 |
| धान्याधारित आसवनी नमुना-I | 36 | 22 |
| विदेशी मद्य निर्माणी नमुना-PLL | 71 | 47 |
| देशी मद्य निर्माणी नमुना-CL-I | 50 | 40 |
| बीअर निर्माणी नमुना-BRL | 11 | 11 |
| मायक्रोब्रुवरी नमुना-BRL | 34 | 27 |
| वाईन निर्माणी नमुना-BRL | 94 | 67 |
| मळी (Molasses) नमुना-M-I | 254 | 212 |

देशी / विदेशी मद्य ठोक व किरकोळ विक्री अनुज्ञप्तीची संख्या

| अनुज्ञप्ती प्रकार | एकूण अनुज्ञप्त्या |
|--|-------------------|
| 1 | 2 |
| विदेशी मद्य ठोक विक्री नमुना-FL-I | 274 |
| देशी मद्य ठोक विक्री नमुना-CL-II | 260 |
| विदेशी मद्य किरकोळ विक्री (सीलबंद) नमुना-FL-II | 1715 |
| विदेशी मद्य हॉटेल / बार नमुना-FL-III | 15709 |
| विदेशी मद्य क्लब अनुज्ञप्ती नमुना-FL-IV | 133 |
| बीअर किरकोळ विक्री (सीलबंद) नमुना-FL / BR-II | 5508 |
| देशी मद्य किरकोळ विक्री नमुना-CL-III | 4164 |

विवरणपत्र 'अ'
STATEMENT 'A'

एकूण अर्थसंकल्पाचा कार्यक्रमनिहाय तपशील

Programmewise details of Total Budget Estimates (रुपये हजारत / Rs. in thousands)

| तपशील | प्रत्यक्ष रकमा २०२०-२१ | अर्थसंकल्प २०२१-२२ | सुधारलेले अंदाज २०२१-२२ | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | Particulars |
|--|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Actual 2020-21 | Budget Estimates 2021-22 | Revised Estimates 2021-22 | Budget Estimates 2022-23 | |
| २०३९ राज्य उत्पादन शुल्क | | | | | 2039 State Excise |
| ००१ संचालन व प्रशासन | | | | | 001 Direction and Administration |
| (०१) (०१) आयुक्तांचे कार्यालय | | | | | (01) (01) Commissioner's Office |
| २०३९००९७ भारित (अनिवार्य) | 0 | 150 | 150 | 150 | 20390097 Charged (Committed) |
| २०३९००९४ दत्तमत (अनिवार्य) | 164159 | 163042 | 216534 | 171699 | 20390014 Voted (Committed) |
| (०२) (०१) निरीक्षण व प्रतिबंधक आस्थापना | | | | | (02) (01) Inspection and Preventive Establishment. |
| २०३९००२३ भारित (अनिवार्य) | 0 | 1 | 1 | 1 | 20390023 Charged (Committed) |
| २०३९००३२ दत्तमत (अनिवार्य) | 1492618 | 1982738 | 1882235 | 1960831 | 20390032 Voted (Committed) |
| १०२, अफू इत्यादींची खरेदी (००) (००) (०१) | | | | | 102, Purchase of Opium etc. |
| राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला | | | | | (00) (00) (01) Cost of Opium |
| पुरविलेल्या अफूचा खर्च. | | | | | Supplied State Excise Department. |
| २०३९००४१ दत्तमत (अनिवार्य) | 119 | 230 | 173 | 200 | 20390041 Voted (Committed) |
| ८००, इतर खर्च (००) (००) (०३) धान्य | | | | | 800, Other Expenditure (00) (00) (03) |
| वापरून अल्कोहोल तयार करण्यासाठी | | | | | To Encourage the Distilleries for |
| आसवर्नीना प्रोत्साहन (कार्यक्रम) | | | | | producing Grain based Alcohol (Scheme) |
| २०३९०१०३ दत्तमत (अनिवार्य) | 10840 | 64000 | 48000 | 0 | 20390103 Voted (Committed) |
| (००) (०४) दारुची दुकाने बंद करण्याच्या | | | | | (00) (04) Expenditure in connection with |
| मतदानासंदर्भातील खर्च. | | | | | poll on closing down of liquor shops. |
| २०३९०११२ दत्तमत (अनिवार्य) | 0 | 1 | 1 | 1 | 20390112 Voted (Committed) |
| एकूण (भारित) | 0 | 151 | 151 | 151 | Total (Charged) |
| एकूण (दत्तमत) | 1667736 | 2210011 | 2146943 | 2132731 | Total (Voted) |
| एकूण | 1667736 | 2210162 | 2147094 | 2132882 | Total |

₹

सन २०२२-२३ च्या वार्षिक योजनांचे विवरण

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त हे विभाग प्रमुख आहेत. अपर आयुक्त, सहआयुक्त, उपआयुक्त, मुख्य लेखा अधिकारी, लेखाधिकारी आणि आयुक्त यांच्या साहाय्याने विभागाचे निरनिराळे कार्यक्रम आयुक्तालयाचे पातळीवर नियंत्रित व समन्वित केले जातात. जिल्हा पातळीवर सर्वसाधारण नियंत्रण व देखरेखीखाली समन्वय व प्रशासनाकरिता वर्ग-१ अधीक्षक, उत्पादन शुल्क आहेत. संपूर्ण राज्यात दारूबंदी व उत्पादन शुल्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे व नियंत्रणाचे काम आयुक्त कार्यालयामार्फत होते.

जिल्हा कार्यालयावर नियंत्रण ठेवणे, शासनाचा महसूल चुकणार नाही याकडे विशेष लक्ष ठेवणे, महसूल वाढीचे प्रयत्न करणे, विभागाच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे व इतर प्रशासकीय कामांचे नियंत्रण आयुक्त कार्यालयाकडून करण्यात येते.

वार्षिक योजना सन २०२१-२०२२ करिता खाली नमूद केल्याप्रमाणे निविदेची मागणी करण्यात आलेली आहे.

विवरणपत्र-अ

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रशासकीय मान्यताप्राप्त चालू / नवीन बांधकामासाठी सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ साठी करावाय्याच्या खर्चाचा तपशील
(रुपये : लाख)

| अ. क्र. | कामाचे नाव | प्रशासकीय मान्यता किंमत | मार्च २०२१ पर्यंत झालेला प्रत्यक्ष खर्च | सन २०२१-२०२२ साठी उपलब्ध तरतूद | मार्च २०२२ अखेर पर्यंत अपेक्षित खर्च (स्तंभ ५ च्या तरतुदीपैकी) | सन २०२२-२०२३ साठी आवश्यक तरतूद | शेरा |
|---------|---|--|---|--------------------------------|--|--------------------------------|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| १ | बोरीबंदर एक्सप्राईज भवन, रा.ऊ.शु., मुंबई शहर. | ५१८३.४१ मान्यता आहे. तथापि + रु. १४०५.८३ वाढीव खर्च (प्र.मा. साठी सादर) एकूण ६५८९.२४ | २८३५.१७ | २१४८ | २३४७.८३ | १४०६.२४ | कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, इलाखा शहर, मुंबई यांनी सादर इमारतीचे काम प्रगतिपथावर असून प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी व प्रगतीत असलेल्या कामांकरिता एकूण २३४७.८३ लक्ष निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत कळविले आहे. या कार्यालयाचे पत्र क्र. बीएलडी ११२०२१/वार्षिक कार्यक्रम/सहा, दि. २९-११-२०२१ अन्वये कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर, मुंबई यांचे मागणीनुसार २३४७.८३ लक्ष निधी वितरित करण्याबाबत शासनास कळविण्यात आले आहे. सादर निधी वितरित व्हावा. तसेच वाढीव खर्च रु. १४०५.८३ गृहीत धरून एकूण खर्च रु. ६५८९.२४ लक्ष यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळावी व सन २०२२-२३ करिता रु. १४०६.२४ लक्ष इतके अनुदान मंजूर व्हावे. |

विवरणपत्र-अ--चालू

| | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|-----|--------|---|
| २ | निरीक्षक, रा.ऊ.शु., संगमनेर, जि. अहमदनगर यांचे कार्यालय. | ५२५.५५ (कार्यालय ३२०.०९ + निवासस्थान २०५.४६) | १०० | १५० | ३५० | ७५.५५ | कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, संगमनेर यांचे अहवालानुसार सदर इमारतीचे काम प्रगतीत असून माहे मार्च २०२२ अखेर पर्यंत रु. ३.५ कोटी अपेक्षित खर्च असून सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. ०.७५ कोटी इतक्या निधीची आवश्यकता आहे. |
| ३ | अधीक्षक, रा.ऊ.शु., अहमदनगर कार्यालय इमारतीचे बांधकाम. | १३२१.८६ | ० | ३२५ | ३२५ | ९९६.८६ | कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, अहमदनगर यांनी अंदाजपत्रक स्तरावर काम सुरू असून माहे मार्च २०२२ अखेर रु. ३.२५ इतका अपेक्षित खर्च असून सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. ९.९७ कोटी निधीची आवश्यक तरतूद ठेवण्यात यावी असे कळविले आहे. |
| ४ | वि.उ.आ. व अधीक्षक, नाशिक कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थान. | ३४१.७६ | ० | १७० | १०० | २४१.७६ | कार्यकारी अभियंता, सां. बा. विभाग, नाशिक यांच्या अहवालानुसार काम प्रगतीत असून रु. १ कोटी इतका निधी मार्च २०२२ अखेर पर्यंत अपेक्षित खर्च आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. २.४१ कोटी निधीची आवश्यक तरतूद ठेवण्यात यावी, असे कळविले आहे. |
| ५ | निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक, सटाणा, जि. नाशिक कार्यालयाचे इमारत बांधकाम. | ९६०.३८ | ० | ४८० | २०० | ७६०.३८ | कार्यकारी अभियंता, सां. बा. विभाग, मालेगाव यांच्या अहवालानुसार काम प्रगतीत असून रु. २ कोटी इतका निधी मार्च २०२२ अखेर पर्यंत अपेक्षित खर्च आहे. त्याचप्रमाणे सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. ७.६० कोटी इतक्या निधीची आवश्यक तरतूद ठेवण्यात यावी असे कळविले आहे. |
| ६ | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नाशिक यांचे शासकीय निवासस्थान बांधकाम. | १७३.६६ | ० | ७४ | ७४ | ९९.६६ | कार्यकारी अभियंता, सां. बा. विभाग, नाशिक यांच्या अहवालानुसार काम प्रगतीत असून रु. ०.७४ कोटी इतका इतका निधी मार्च २०२२ अखेर पर्यंत अपेक्षित खर्च आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता रुपये १ कोटी इतक्या निधीची आवश्यक तरतूद ठेवण्यात यावी असे कळविले आहे. |

विवरणपत्र-अ--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|----|--|--------|---|-----|-----|--------|---|
| ७ | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, अमरावती कार्यालयाचे इमारतीचे बांधकाम. | ६६१ | ० | ३३१ | ३३१ | ३३० | कार्यकारी अभियंता, सां. बा. विभाग, अमरावती यांनी मार्च २०२२ अखेर रु. ३.३१ कोटी इतका अपेक्षित खर्च असून सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. ३.३० कोटी इतक्या निधीची आवश्यक तरतूद ठेवण्यात यावी असे कळविले आहे. तसेच सद्यःस्थितीत कामाचे कार्यास आदेश निर्गमित करण्यात आले असल्याचे कळविलेले आहे. |
| ८ | अधीक्षक, रा.उ.शु. जळगाव, यांच्या मोकळ्या जागेत कर्मचाऱ्यांकरिता शासकीय निवासस्थान बांधकाम. | २८९.०४ | ० | १४४ | १४४ | १४५.०४ | कार्यकारी अभियंता, सां. बा. विभाग, जळगाव यांच्या अहवालानुसार काम प्रगतीत असून रु. १.४४ कोटी इतका निधी मार्च २०२२ अखेर पर्यंत अपेक्षित खर्च आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता रुपये १.४५ कोटी इतक्या निधीची आवश्यक आहे. |
| ९ | निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, चाळीसगाव कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम. | २७२.५७ | ० | १३६ | १३६ | १३६.५७ | कार्यकारी अभियंता, सां. बा. विभाग, जळगाव यांच्या अहवालानुसार काम प्रगतीत असून माहे मार्च २०२२ अखेर पर्यंत रु. १.३६ कोटी इतका अपेक्षित खर्च आहे. तर उर्वरित रु. १.३६ कोटी निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता आवश्यक आहे. |
| १० | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, जालना कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम. | ८६२.९६ | ० | ८६३ | २०० | ६६२.९६ | कार्यकारी अभियंता, सां. बा. विभाग, जालना यांच्या अहवालानुसार बांधकामाची निविदा प्रक्रिया सुरु असून रु. २ कोटी इतका निधी मार्च २०२२ अखेर पर्यंत अपेक्षित खर्च आहे. त्याचप्रमाणे सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता रु. ६.३३ कोटी निधीची आवश्यक आहे. |
| ११ | अधीक्षक, रा.ऊ.शु. हिंगोली कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम. | ७१५.२ | ० | ३५७ | २०० | ५१५.२ | कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, हिंगोली यांचे अहवालानुसार निविदा प्रक्रिया सुरु असून मार्च २०२२ अखेर पर्यंत रु. २ कोटी इतका निधी अपेक्षित खर्च आहे. तसेच सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. ५.१५ कोटी निधीची आवश्यकता आहे. |

विवरणपत्र-अ--चालू

| | | | | | | |
|--|---------|---|-----|-----|---------|---|
| १२ अधीक्षक, रा.ऊ.शु., वाशिम कार्यालयाच्या मोकळ्या जागेमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थान बांधकाम. | ३१२.४ | ० | १५६ | १२४ | १८८.४ | कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, वाशिम यांचे अहवालानुसार सदर काम निविदा स्तरावर असून माहे मार्च २०२२ अखेर पर्यंत रु. १.२४ कोटी इतका निधी अपेक्षित आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. १.८८ कोटी निधीची आवश्यकता आहे. |
| १३ अधीक्षक, रा.ऊ.शु. सांगली व अधिनस्त निरीक्षक कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम. | १३६१.५१ | ० | ३२५ | २०० | ११६१.५१ | कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, मिरज यांचे अहवालानुसार सदर बांधकामाकरिता मार्च २०२२ अखेर अपेक्षित खर्च रु. २ कोटी तर सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. ११.६१ कोटी निधीची आवश्यक तरतूद ठेवण्यात यावी असे कळविले आहे. |
| १४ वि.उ.आ./अधीक्षक, रा.ऊ.शु, औरंगाबाद कार्यालय तसेच वि.उ.आ./अधीक्षक, औरंगाबाद यांचे निवासस्थानाचे बांधकाम. | १२१८.०२ | ० | ३०० | ३०० | ९१८.०२ | कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग औरंगाबाद यांचे अहवालानुसार काम प्रगतीत असून माहे मार्च २०२२ अखेर रु. ३ कोटी व सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. ९ कोटी निधीची आवश्यकता आहे. |
| १५ अधीक्षक, रा.ऊ.शु., भंडारा कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम. | ८४६.८२ | ० | २०० | ८० | ७६६.८२ | कार्यकारी अभियंता, सा. बां. विभाग, भंडारा यांचे अहवालानुसार सदर काम अंदाजपत्रकीय स्तरावर असून माहे मार्च २०२२ अखेर ८० लाख इतका खर्च अपेक्षित असून सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. ७.६६ कोटी निधी आवश्यक आहे. |
| १६ निरीक्षक, रा.ऊ.शु. तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि. पुणे कार्यालयाच्या आवारास संरक्षक भिंत. | ४३.७२ | ० | ० | ० | ४३.७२ | शासन आदेश क्र. बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.१९/राऊशु-१, दि. ८ डिसेंबर २०२१ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. |

विवरणपत्र-अ--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|-------------|---|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|---|
| १७ | अधीक्षक, रा.ऊ.शु., सोलापूर कार्यालयाच्या कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम. | १५९३.४६ | ० | ० | ० | ७९६.७३ | शासन आदेश क्र. बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.१९/राउशु-१, दि. १५ नोव्हेंबर अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. |
| १८ | अधीक्षक, रा.ऊ.शु., पुणे निवासी सदनिका इमारत बांधकाम. | १५१९ | ० | ० | ० | ७५९.५ | शासन आदेश क्र. बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२७६(२)/राउशु-१, दि. १७ डिसेंबर २०२१ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. |
| १९ | अधीक्षक, रा.ऊ.शु., पुणे प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम. | ३०६५ | ० | ० | ० | १५३२.५ | शासन आदेश क्र. बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२७६(१)/राउशु-१, दि. १७ डिसेंबर २०२१ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. |
| एकूण | | २२६७३.१५ | २९३५.१७ | ६१५९ | ५१११.८३ | ११५३७.४२ | |

- (अ) विवरण पत्रातील अनुक्रमांक १ वरील बोरीबंदर, मुंबई येथे नवीन एक्सार्इज भवन इमारतीचे काम प्रगतीत असून, माहे मार्च २०२१ अखेरपर्यंत एकूण रुपये २,५८५ लक्ष निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. सदरहू कामाची अंदाजित किंमत रुपये ५,१८३ लक्ष आहे. सन २०२१-२२ अर्थसंकल्पात रुपये २१४८ लक्ष निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
- (ब) विवरण पत्रातील अनुक्रमांक २ वरील अहमदनगर येथे निरीक्षक, संगमनेर कार्यालयाच्या बांधकामाचे काम प्रगतीत असून माहे मार्च २०२१ पर्यंत १ कोटी निधी खर्च झालेला आहे. कामाची अंदाजित किंमत रुपये ५.२५ कोटी आहे. सन २०२१-२२ अर्थसंकल्पात सदर बांधकामासाठी रुपये १.५ कोटी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
- (क) अनुक्रमांक ४ वरील नाशिक येथे विभागीय उपआयुक्त व अधीक्षक कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी वर्गाचे निवासस्थान बांधण्यासाठी रुपये ३.४१ कोटी इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर बांधकामासाठी सन २०२०-२१ मध्ये निधी वितरित करण्यात आलेला नाही. सन २०२१-२२ मध्ये सदर बांधकामासाठी रुपये १.७ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे.
- (ड) विवरण पत्रातील अनुक्रमांक ४ ते १९ वरील बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली असून सन २०२१-२२ करिता विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने विषयाकित कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू करून लवकरात लवकर बांधकाम सुरू करण्याबाबत अधीक्षक, अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना कळविण्याबाबत संबंधित अधीक्षकांना निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

तक्ता १
TABLE I

तक्ता १--चालू

(दोन) वित्तीय आवश्यकता

(ii) Financial Requirements

(रुपये हजारत / Rs. in thousands)

| तपशील | प्रत्यक्ष रकमा २०२०-२१ Actual 2020-21 | अर्थसंकल्प २०२१-२२ Budget Estimates 2021-22 | सुधारलेले अंदाज २०२१-२२ Revised Estimates 2021-22 | अर्थसंकल्प २०२२-२३ Budget Estimates 2022-23 | Particulars |
|--|--|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| अ- कार्याचे वर्गीकरण | | | | | A. Activity Classification |
| ००१ संचालन व प्रशासन | | | | | 001 Direction and Administration |
| (०१) (०१) आयुक्तांचे कार्यालय | | | | | (01) (01) Commissioner's Office |
| २०३९००९७ भारित (अनिवार्य) | 0 | 150 | 150 | 150 | 20390097 Charged (Committed) |
| २०३९००१४ दत्तमत (अनिवार्य) | 164159 | 163042 | 216534 | 171699 | 20390014 Voted (Committed) |
| (०२) (०१) निरीक्षण व प्रतिबंधक आस्थापना | | | | | (02) (01) Inspection and Preventive Establishment. |
| २०३९००२३ भारित (अनिवार्य) | 0 | 1 | 1 | 1 | 20390023 Charged (Committed) |
| २०३९००३२ दत्तमत (अनिवार्य) | 1492618 | 1982738 | 1882235 | 1960831 | 20390032 Voted (Committed) |
| १०२, अफू इत्यादींची खरेदी (००) (००) (०१) | | | | | 102, Purchase of Opium etc. |
| राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला | | | | | (00) (00) (01) Cost of Opium |
| पुरविलेल्या अफूचा खर्च. | | | | | Supplied State Excise Department. |
| २०३९००४१ दत्तमत (अनिवार्य) | 119 | 230 | 173 | 200 | 20390041- Voted (Committed) |
| ८००, इतर खर्च (००) (००) (०३) धान्य | | | | | 800, Other Expenditure (00) (00) (03) |
| वापरून अल्कोहोल तयार करण्यासाठी | | | | | To Encourage the Distilleries for |
| आसवर्नीना प्रोत्साहन (कार्यक्रम) | | | | | producing Grain based Alcohol (Scheme) |
| २०३९०१०३ दत्तमत (अनिवार्य) | 10840 | 64000 | 48000 | 0 | 20390103 Voted (Committed) |
| (००) (०४) दारूची दुकाने बंद करण्याच्या | | | | | (00) (04) Expeniture in connection with |
| मतदानासदृभातील खर्च. | | | | | poll on closing down of liquor shops. |
| २०३९०११२ दत्तमत (अनिवार्य) | 0 | 1 | 1 | 1 | 20390112 Voted (Committed) |
| एकूण (भारित) | 0 | 151 | 151 | 151 | Total Gross (Charged) |
| एकूण (दत्तमत) | 1667736 | 2210011 | 2146943 | 2132731 | Total Gross (Voted) |
| एकूण | 1667736 | 2210162 | 2147094 | 2132882 | Total |

(दोन) वित्तीय आवश्यकता

(ii) Financial Requirements

(रुपये हजारत / Rs. in thousands)

तक्ता १--चाळू

| तपशील | प्रत्यक्ष रकमा २०२०-२१ Actual 2020-21 | अर्थसंकल्प २०२१-२२ Budget Estimates 2021-22 | सुधारलेले अंदाज २०२१-२२ Revised Estimates 2021-22 | अर्थसंकल्प २०२२-२३ Budget Estimates 2022-23 | Particulars |
|--|--|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ००.९११, अतिप्रदानाची वसुली (००) (००) (०१) अतिप्रदानाची वसुली. | | | | | 00911, Recoveries of Overpayments (00) (00) (01) Recoveries of Overpayments. |
| २०३९००१२१ दत्तमत (अनिवार्य) | 2257 | 0 | 0 | 0 | 2039012 Voted (Committed) |
| निव्वळ बेरीज २०३९, राज्य उत्पादन शुल्क भारित. | 0 | 151 | 151 | 151 | NET Total 2039, State Excise- Charged. |
| निव्वळ बेरीज २०३९, राज्य उत्पादन शुल्क दत्तमत. | 1665479 | 2210011 | 2146943 | 2132731 | NET Total 2039, State Excise- Voted |
| एकूण | 1665479 | 2210162 | 2147094 | 2132882 | Total |
| ब. उद्दिष्टनिहाय वर्गीकरण ००१ संचालन व प्रशासन | | | | | B. Objectwise Classification 001 Direction and Administration |
| (०१) (०१) आयुक्त कार्यालय आस्थापना (२०३९००९७- भारित) (अनिवार्य) | | | | | (01) (01) Commissioner Office - Establishment (20390097-Charged) (Committed) |
| ५० इतर खर्च | 0 | 150 | 150 | 150 | 50 Other Charges |
| (०१) (०१) आयुक्त कार्यालय, आस्थापना (२०३९००९४) (दत्तमत) अनिवार्य | | | | | (01) (01) Commissioner Officer Establishment (20390014-Voted) (Committed) |
| ०१. वेतन | 93304 | 117715 | 111829 | 127309 | 01 Salaries |
| ०२. मजुरी | 99 | 105 | 100 | 110 | 02 Wages |
| ०३ अतिकाल भत्ता | 0 | 1 | 1 | 1 | 03 Overtime Allowance |
| ०६ दूरध्वनी वीज व पाणीशुल्क | 898 | 2000 | 1800 | 2000 | 06 Telephone, Electricity and Water Charges. |

(दोन) वित्तीय आवश्यकता

(ii) Financial Requirements

तक्ता १--चालू

(रुपये हजारत / Rs. in thousands)

| तपशील | अर्थसंकल्प २०२०-२१ | | | | | अर्थसंकल्प २०२१-२२ | | | | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| | प्रत्यक्ष रकमा २०२०-२१ | अर्थसंकल्प २०२१-२२ | | सुधारलेले अंदाज २०२१-२२ | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | Actual 2020-21 | Budget Estimates 2021-22 | Revised Estimates 2021-22 | Budget Estimates 2021-22 | Budget Estimates 2022-23 | Budget Estimates 2022-23 | Budget Estimates 2022-23 | Budget Estimates 2022-23 | Budget Estimates 2022-23 | Budget Estimates 2022-23 | Budget Estimates 2022-23 | Budget Estimates 2022-23 | Budget Estimates 2022-23 | | |
| १० कंत्राटी सेवा | ० | १ | १ | १ | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | १००० | | |
| ११ देशातर्गत प्रवास खर्च | २२ | ५०० | ३७५ | ३७५ | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | | |
| १२ विदेश प्रवास खर्च | ० | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | | |
| १३ कार्यालयीन खर्च | ८३४० | २५९१ | २५९१ | २५९१ | २२२१ | २२२१ | २२२१ | २२२१ | २२२१ | २२२१ | २२२१ | २२२१ | २२२१ | | |
| १४ भाडेपट्टी व कर | ० | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | | |
| १६ प्रकाशने | ० | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | | |
| १७ संगणक खर्च | १०३४८ | २०७०० | १५५२५ | १५५२५ | २१७३५ | २१७३५ | २१७३५ | २१७३५ | २१७३५ | २१७३५ | २१७३५ | २१७३५ | २१७३५ | | |
| १९ आहार खर्च | ० | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | | |
| २० इतर प्रशासकीय खर्च | ० | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | | |
| २१ पुरवठा व सामग्री | ० | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | | |
| २२ शस्त्र व दारूगोळे | ० | ५०० | ४२५ | ४२५ | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | ५०० | | |
| २४ पेट्रोल व तेल व वंगण | १३३७ | ५४६ | १५४६ | १५४६ | १११२ | १११२ | १११२ | १११२ | १११२ | १११२ | १११२ | १११२ | १११२ | | |
| २५ पोषाख, राहुटी व भांडारे | ० | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | | |
| २६ जाहिरात व प्रसिद्धी | ० | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | | |
| २७ लहान कामे | ० | १६१७१ | १२१२८ | १२१२८ | १२००० | १२००० | १२००० | १२००० | १२००० | १२००० | १२००० | १२००० | १२००० | | |
| २८ व्यावसायिक सेवा | ० | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | | |
| ४१ गुप्त सेवा खर्च | ० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | | |
| ५० इतर खर्च | २२०५९ | २००० | १५०० | १५०० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | २००० | | |
| ५१ मोटार वाहन | २७७५२ | १ | ६८५०२ | ६८५०२ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | | |
| ५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री | ० | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | | |
| ६४ हानी निलंबित करणे | ० | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | | |
| एकूण (भारित २०३९००९७) | ० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | | |
| एकूण (दत्तमत २०३९००९४) | १६४१५९ | १६३०४२ | २१६५३४ | २१६५३४ | १७१६९९ | १७१६९९ | १७१६९९ | १७१६९९ | १७१६९९ | १७१६९९ | १७१६९९ | १७१६९९ | १७१६९९ | | |

तक्ता १तक्ता १--चालू

(दोन) वित्तीय आवश्यकता

(ii) Financial Requirements

(रुपये हजारत / Rs. in thousands)

| तपशील | प्रत्यक्ष रकमा | | | | | Particulars |
|---|---------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|
| | २०२०-२१ Actual 2020-21 | २०२१-२२ Budget Estimates 2021-22 | सुधारलेले अंदाज Revised Estimates 2021-22 | २०२१-२२ Budget Estimates 2021-22 | अर्थसंकल्प २०२२-२३ Budget Estimates 2022-23 | |
| | १ | २ | ३ | ४ | ५ | १ |
| (०२) (०१) निरीक्षण व प्रतिबंधक आस्थापना (२०३१००२३ - भारित) (अनिवार्य) | | | | | | |
| ५० इतर खर्च | ० | १ | १ | १ | | (02) (01) Inspection and Preventive Establishment (Charged -20390023) (Committed) |
| ५० इतर खर्च | ० | १ | १ | १ | | 50 Other Charges (Committed) |
| (०२) (०१) निरीक्षण व प्रतिबंधक आस्थापना (२०३१००३२ - दत्तमत) (अनिवार्य) | | | | | | |
| ०१. वेतन | १४२३४७ | १९२०४५८ | १८२४४३५ | १८९६७०४ | | (02) (01) Inspection and Preventive Establishment (Voted -20390032) |
| ०२. मजुरी | ४८८ | ७०० | ६६५ | ७३५ | | 01 Salaries |
| ०३ अतिकालिक भत्ता | २११ | ८२४ | ६५९ | ८६५ | | 02 Wages |
| ०६ दूरध्वनी वीज व पाणीशुल्क | ४०१६ | ८१६६ | ७३४९ | ८१६६ | | 03 Overtime Allowance |
| १० कंत्राटी सेवा | ० | १ | १ | ५० | | 06 Telephone, Electricity and Water Charges. |
| ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च | ८६६ | ६०८० | ४५६० | ६०८० | | 10 Contractual Services |
| १२ विदेश प्रवास खर्च | ० | १ | १ | १ | | 11 Domestic Travel Expenses. |
| १३ कार्यालयीन खर्च | १३३६० | २२४३७ | २०१९३ | २०४३७ | | 12 Foreign Travel Expenses |
| १४ भाडेपट्टी व कर | १९९३० | १३००० | ११७०० | १४००० | | 13 Office Expenses |
| १६ प्रकाशने | ० | १ | १ | १ | | 14 Rent, Rates and Taxes |
| | | | | | | 16 Publications |

(दोन) वित्तीय आवश्यकता

(ii) Financial Requirements

तक्ता १--चालू

(रुपये हजारत / Rs. in thousands)

| तपशील | अर्थसंकल्प २०२१-२२ सुधारलेले अंदाज २०२१-२२ अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | | | Particulars |
|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | प्रत्यक्ष रकमा २०२०-२१ Actual 2020-21 | Budget Estimates 2021-22 | Revised Estimates 2021-22 | Budget Estimates 2022-23 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| १७ संगणक खर्च | 0 | 1287 | 965 | 1351 | 17 Computer Expenses |
| १९ आहार खर्च | 0 | 53 | 40 | 56 | 19 Diet Expenses |
| २० इतर प्रशासकीय खर्च | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 Other Administrative Expenses |
| २१ पुरवठा व सामग्री | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 Supplies and Materials |
| २२ शस्त्रे व दारुगोळा | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 Arms and Ammunition |
| २४ पेट्रोल व तेल व वंगण | 7709 | 5458 | 8458 | 8113 | 24 P. O. L. |
| २५ पोषाख, राहुटी व भांडारे | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 Cloing, Tentage and Store |
| २६ जाहिराती व प्रसिद्धी | 0 | 400 | 300 | 400 | 26 Advertising and Publicity |
| २७ लहान कामे | 0 | 1850 | 1388 | 1850 | 27 Minor works |
| २८ व्यावसायिक व विशेष सेवा | 0 | 10 | 9 | 10 | 28 Professional and Special ser. |
| ४१ गुप्त सेवा खर्च | 0 | 2000 | 1500 | 2000 | 41 Secrete Service Expenses. |
| ५० इतर खर्च | 3691 | 5 | 4 | 5 | 50 Other charges |
| ५१ मोटर वाहन | 0 | 1 | 1 | 1 | 51 Motor Vehicles |
| ५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री | 0 | 1 | 1 | 1 | 52 Machinery and Equipments |
| ६४ हानी निलोखित करणे | 0 | 1 | 1 | 1 | 64 Write off Losses |
| ब - एकूण (भारित २०३९००३३) .. | 0 | 1 | 1 | 1 | Total (Charged 20390023) |
| ब - एकूण (वत्तमत २०३९००३२) .. | 1492618 | 1982738 | 1882235 | 1960831 | Total (Voted 20390032) |

तक्ता १--चालू

(दोन) वित्तीय आवश्यकता

(ii) Financial Requirements

(रुपये हजारत / Rs. in thousands)

| तपशील | Particulars | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| प्रत्यक्ष रकमा २०२०-२१ | अर्थसंकल्प २०२१-२२ | सुधारलेले अंदाज २०२१-२२ | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | | |
| Actual 2020-21 | Budget Estimates 2021-22 | Revised Estimates 2021-22 | Budget Estimates 2022-23 | | |
| १०२, अफू इत्यादीची खरेदी (००) (००) | 119 | 230 | 173 | 200 | 50 |
| (०१) राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला पुरविलेल्या अफूचा खर्च (२०३९००४१ - दत्तमत) (अनिवार्य). | ... | ... | ... | ... | ... |
| १०२, अफू इतर खर्च | 119 | 230 | 173 | 200 | 50 |
| एकूण (दत्तमत २०३९००४१) ... | 119 | 230 | 173 | 200 | 50 |
| ८००, इतर खर्च (००) (००) (०३) | ... | ... | ... | ... | ... |
| धान्य वापरून अल्कोहोल तयार करण्यासाठी आसवनीना प्रोत्साहन कार्यक्रम (२०३९०१०३ - दत्तमत) (अनिवार्य). | ... | ... | ... | ... | ... |
| ३३ अर्थसहाय्य | 10840 | 64000 | 48000 | 0 | 33 |
| एकूण (दत्तमत २०३९०१०३) ... | 10840 | 64000 | 48000 | 0 | 33 |
| (००) (०४) दारूची दुकाने बंद करण्याच्या मतदानासंदर्भातील खर्च. | ... | ... | ... | ... | ... |
| २०३९०११२ दत्तमत (अनिवार्य) | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| १३ कार्यालयीन खर्च | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| एकूण (दत्तमत २०३९०११२) ... | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| ब - एकूण स्थूल (भारित) | 0 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| ब - एकूण स्थूल (दत्तमत) | 166736 | 2210011 | 2146943 | 2132731 | 2132731 |
| एकूण | 1667736 | 2210162 | 2147094 | 2132882 | 2132882 |

तक्ता १--चालू

(दोन) वित्तीय आवश्यकता

(ii) Financial Requirements

(रुपये हजारत / Rs. in thousands)

| तपशील | प्रत्यक्ष रकमा २०२०-२१ | अर्थसंकल्प २०२१-२२ | सुधारलेले अंदाज २०२१-२२ | अर्थसंकल्प २०२२-२३ | Particulars |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | Actual 2020-21 | Budget Estimates 2021-22 | Revised Estimates 2021-22 | Budget Estimates 2022-23 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 1 |
| ००९११, अतिप्रदानाची वसुली | | | | | 0911, Recoveries of Overpayments |
| (००) (००) (०१) अतिप्रदानाची | | | | | (00) (00) (01) Recoveries |
| वसुली (दत्तमत - २०३९०१२१) | | | | | of Overpayments (Voted - |
| (अनिवार्य) | | | | | 20390121) (Committed). |
| ७० वजा वसुली | 2257 | 0 | 0 | 0 | Deduct Recoveries |
| एकूण (दत्तमत २०३९०१२१) | 2257 | 0 | 0 | 0 | Total (Voted 20390121) |
| ब - एकूण निव्वळ (भारित) | 0 | 151 | 151 | 151 | B - Net Total (Charged) |
| ब - एकूण निव्वळ (दत्तमत) | 1665479 | 2210011 | 2146943 | 2132731 | B - Net Total (Voted) |
| एकूण | 1665479 | 2210162 | 2147094 | 2132882 | Total |

क. वित्त व्यवस्थेची साधने

मागणी क्रमांक बी-२

प्रधान शीर्ष २०३९

Source of Finance

Demand No. B-2

Major Head 2039.

स्पिरिट, स्पिरिटयुक्त पदार्थ विप्रकृत स्पिरिटयुक्त पदार्थ, भारतीय बनावटीची विदेशी दारू, देशी दारू, ताडी, निरा, मोलसिस, मोहाची फुले आणि अधिसूचित द्रव्ये यांची घाऊक किरकोळ विक्री करण्याकरिता ह्या विभागाकडून प्रशासित अधिनियमाखाली आणि नियमाखाली निरनिराळ्या नमुयात अनुज्ञात्या दिल्या जातात. याबाबत संपूर्ण राज्यात दिलेल्या वर्षनिहाय एकूण अनुज्ञात्याच्या संख्या खालीलप्रमाणे आहेत.

तक्ता ३ / TABLE 3

| विभागीय कार्यालय Divisional Office | वर्ष Year | वर्षारंभी अनिर्णीत अर्ज Pending Appl. at opening of year | | वर्षभरात प्राप्त अर्ज Applications during year | | एकूण अर्ज Total Applications | | कार्यवाही झालेले अर्ज Disposed Applications | | देण्यात आलेल्या अनुज्ञात्या Issued Licences | | फेटाळलेले अर्ज Refused Applications | | शिल्लक अर्ज Balance Applications | | एकूण वसूल शुल्क Total Loan Recovered | |
|---------------------------------------|--------------|--|-----------|--|-----------|------------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|---|-----------|--|-----------|--|------------|
| | | न. F. | रू. R. | न. F. | रू. R. | न. F. | रू. R. | न. F. | रू. R. | न. F. | रू. R. | न. F. | रू. R. | न. F. | रू. R. | न. F. | रू. R. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| सर्व जिल्हाची एकूण | 2020-2021 | 950 | 2346 | 1651 | 23165 | 2601 | 25511 | 1309 | 24306 | 1117 | 24299 | 192 | 7 | 1292 | 1205 | 207855018 | 6339781657 |
| आकडेवारी | 2021-2022 | 1268 | 4187 | 1837 | 24276 | 3105 | 28463 | 1622 | 27539 | 1479 | 27348 | 143 | 191 | 1483 | 924 | 433404261 | 9837154973 |
| | 2022-2023 | 1227 | 3683 | 1646 | 26177 | 2873 | 29860 | 1765 | 28256 | 1607 | 28185 | 158 | 71 | 1108 | 1604 | 366047747 | 8962725473 |

(सन 2022-2023 ची आकडेवारी अंदाजित आहे.)

शुद्धिकृत स्पिरिट, मोहाची फुले, निरा, ताडी, मोलॅसिस, संस्करित दारू, भारतीय बनावटीची विदेशी दारू, देशी दारू तयार आणि अधिसूचित द्रव्ये बाळगणे व वापरण्याकरिता निरनिराळ्या नमुन्यात या विभागाकडून प्रशासित अधिनियम आणि नियमाखाली अनुज्ञाप्या, परवाने व पास दिले जातात. याबाबत संपूर्ण राज्यात दिलेल्या वर्षनिहाय एकूण अनुज्ञाप्यांची संख्या खालीलप्रमाणे आहेत.

तक्ता ४ / TABLE 4

| विभागीय कार्यालय Divisional Office | वर्ष Year | वर्षारंभी अनिर्णित अर्ज Pending Appl. at opening of year | | वर्षभरात प्राप्त अर्ज Applications during year | | एकूण अर्ज Total Applications | | कार्यवाही झालेले अर्ज Disposed Applications | | देण्यात आलेल्या अनुज्ञाप्या Issued Licences | | फेटाळलेले अर्ज Refused Applications | | शिल्लक अर्ज Balance Applications | | एकूण वसूल शुल्क Total Loan recovered | |
|---------------------------------------|--------------|--|------|--|-------|------------------------------------|-------|--|-------|--|-------|---|-----|--|------|--|------------|
| | | न. | रू. | न. | रू. | न. | रू. | न. | रू. | न. | रू. | न. | रू. | न. | रू. | न. | रू. |
| | | F. | R. | F. | R. | F. | R. | F. | R. | F. | R. | F. | R. | F. | R. | F. | R. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| सर्व जिल्ह्यांची एकूण | 2020-2021 | 438 | 2512 | 820944 | 10034 | 821382 | 12546 | 821065 | 10046 | 813451 | 9927 | 7614 | 119 | 317 | 2500 | 227526443 | 4215395142 |
| आकडेवारी. | 2021-2022 | 569 | 2602 | 866927 | 11201 | 867496 | 13803 | 866746 | 11163 | 858207 | 11050 | 8539 | 113 | 750 | 2640 | 213532128 | 3688139314 |
| | 2022-2023 | 644 | 2639 | 894793 | 11735 | 895437 | 14374 | 893276 | 11615 | 883899 | 11594 | 9377 | 21 | 2161 | 2759 | 227589085 | 4718452414 |

(सन 2022-2023 ची आकडेवारी अंदाजित आहे.)

तक्ता ५ / TABLE 5

| विभागीय कार्यालय | निरीक्षण | आवश्यक अनुज्ञप्त्यांच्या प्रकार/ताडी झाडे | निरीक्षकाकरिता | दुय्यम निरीक्षकाकरिता | पेटी ऑफिसरकरिता | दारुबंदी व शुल्क | उत्पादन शिपाईकरिता |
|--|----------|--|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | |
| (ब) मुंबई व्यतिरिक्त सर्व जिल्ह्यातील कार्यकारी अधिकाऱ्यांसाठी कामाचे मासिक प्रमाणक | | | | | | | |
| सर्व जिल्हे | १. | प्रधान अनुज्ञप्त्या | .. | ७६७४ | ६९८७ | ४८० | -- |
| | २. | गौण अनुज्ञप्त्या | .. | ६५६७३ | ६८५७७ | २३ | २३ |
| | ३. | अनुज्ञप्त्या दिलेली व न दिलेली ताड झाडे. | .. | २३२७०९० | २१४८९६१ | १७८३ | १७ |

(ज्यांचे शुल्क रुपये १०० चे वर आहे अशा अनुज्ञप्तीस प्रधान अनुज्ञप्ती म्हणून समजले जाते आणि ज्यांचे शुल्क रुपये १०० व त्यापेक्षाही कमी आहे अशा अनुज्ञप्तीस गौण अनुज्ञप्ती समजले जाते.)

तक्ता-६ / TABLE-6

संपूर्ण राज्यातील नेहमीच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केलेले निरीक्षण काम याबाबतची एकूण आकडेवारी खालील तक्ता दर्शवितो--

| विभागीय कार्यालय Divisional Office | वर्ष Year | निरीक्षण आवश्यक अनुज्ञप्त्यांची संख्या | | निरीक्षण केलेल्या अनुज्ञप्त्यांची संख्या | | अनुज्ञप्ती मिळालेल्या | अनुज्ञप्ती मिळालेल्या | दृष्टोत्पत्तीस आलेल्या |
|---|--|---|----------------------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | | मुख्य Main | गौण Subsidiary | मुख्य Main | गौण Subsidiary | आणि न मिळालेल्या | आणि न मिळालेल्या | गंभीर नियमबाह्य बाबी Serious Irregulari- ties shown |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| सर्व जिल्ह्यांची एकूण Total of all Districts. | 2020-2021 .. 2021-2022 .. 2022-2023 .. | 53665 61240 65832 | 2702 2730 2979 | 71057 75795 86852 | 3487 2456 3031 | 2343355 2385500 2404542 | 2226515 2161203 2240455 | 784 908 985 |

(सन २०२२-२०२३ ची आकडेवारी अंदाजित आहे)

राज्य उत्पादक शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाच्या कामगिरीबाबत

राज्यात आजमितीपर्यंत एकूण ४५ भरारी पथके कार्यरत आहेत. त्यापैकी १ भरारी पथक राज्यस्तरावर, ६ भरारी पथके विभागीय स्तरावर व ३८ भरारी पथके जिल्हा स्तरावर कार्यरत आहेत. उपरोक्त भरारी पथकांपैकी लातूर/उस्मानाबाद/परभणी/हिंगोली, चंद्रपूर/गडचिरोली, भंडारा/गोंदिया, अकोला/वाशिम अशी एकत्रित पथके आहेत.

(अ) आयुक्तालयातील राज्यस्तरावरील एक भरारी पथक, विभागीय भरारी पथक, कोकण विभाग, ठाणे व कोकण विभागातील जिल्हास्तरावरील एकूण ८ भरारी पथके यांच्यावर नियंत्रण थेट संचालक, (अंमलबजावणी व दक्षता), राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे ठेवतील.

(ब) तसेच उर्वरित विभागीय स्तरावरील एकूण ५ भरारी पथके व उर्वरित जिल्हास्तरावरील एकूण ३० भरारी पथके यांच्यावर संबंधित विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांच्या सहसंचालक (अंमलबजावणी व दक्षता) हे संयुक्तरीत्या नियंत्रण ठेवतील.

मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, पुणे, अहमदनगर, नाशिक व नागपूर, या जिल्ह्यात २ भरारी पथके कार्यान्वित आहेत. उर्वरित २३ जिल्ह्यांना केवळ एकच भरारी पथक देण्यात आले आहे.

भरारी पथके ही मुख्यतः महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा, एन. डी. पी. कायदा, १९८५ अंतर्गत गुन्हे पकडण्याचे काम पाहतात. तसेच उत्पादन शुल्क चुकविण्याचे प्रकार उघडकीस आणणे इत्यादी कामे प्राधान्याने करतात. शासनाच्या महसुलाचे संरक्षण व्हावे व अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीमध्ये भरीव वाढ व्हावी व अवैध धंद्यावर कठोर कारवाई होऊन नियंत्रण मिळविण्याकरिता खालील तक्त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आयुक्तांचे परिपत्रक क्रमांक डीईटी-११२०१६/१२४-उद्दिष्ट पूर्तता/नऊ, दिनांक १३ एप्रिल २०१६ अन्वये गुन्हा अन्वेषणाचे उद्दिष्ट दिलेली आहेत.

| विभाग | उद्दिष्ट |
|---------------------------------------|---|
| निरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य भरारी पथक | ३५ गुन्हे प्रति माह (किमान ४ गुणात्मक गुन्हे) |
| विभागीय भरारी पथके व जिल्हा भरारी पथक | ३० गुन्हे प्रति माह (किमान २ गुणात्मक गुन्हे) |
| निरीक्षक कार्यकारी | १० गुन्हे प्रति माह (किमान १ गुणात्मक गुन्हा) |
| कार्यकारी दुय्यम निरीक्षक क्रमांक १ | ७ गुन्हे प्रति माह (किमान १ गुणात्मक गुन्हा) |
| कार्यकारी दुय्यम निरीक्षक क्रमांक २ | ७ गुन्हे प्रति माह (किमान १ गुणात्मक गुन्हा) |

१. एफ. एल. २ आणि 'ई' अनुज्ञप्ती खालील प्रत्येक महिन्यास एक मोठी अनियमितता शोधून काढणे.
२. सी. एल. ३ अनुज्ञप्तीखालीस महिन्यात दोन मोठ्या अनियमितता शोधून काढणे.
३. सी. एल. २ अनुज्ञप्तीखाली महिन्यात एक मोठी अनियमितता शोधून काढणे.
४. डी. एस. ६ अनुज्ञप्तीखाली महिन्यास एक मोठी अनियमितता शोधून काढणे.
५. विदेश दारू, देशी दारू आणि विप्रकृत स्पिरीटच्या वाहतूक पासांची पडताळणी महिन्यास निदान ५०.
६. विप्रकृत स्पिरीटयुक्त पदार्थाच्या विक्रीचा टक्केवारी तपास महिन्यास निदान दोन अनुज्ञप्त्या.

तसेच केंद्र सरकारने अशी शिफारस केली आहे की, भारतातील प्रत्येक राज्यात अमली पदार्थविषयक बाबी हाताळण्यासाठी राज्य नियंत्रण केंद्र असावे, हे केंद्र अंमली पदार्थाविरोधी कायद्यांतर्गत येणाऱ्या अंमली पदार्थासंबंधीच्या सर्व बाबी हाताळेल. पुढे अशीही शिफारस केली आहे की, राज्य उत्पादन शुल्क विभागांनी यासंबंधी राज्यात प्रमुख समन्वय संघटना म्हणून कार्य करावे. त्याकरिता राज्य उत्पादन शुल्क खात्यातील अंमलबजावणी व दक्षता शाखेच्या बळकटीकरणार्थ एक प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे.

भरारी पथकाने पकडलेल्या दारूबंदीविषयक व इतर गुन्ह्यांची संपूर्ण राज्यातील वर्गनिहाय एकूण प्रकरणे

Total Cases of Prohibition Crimes (Classwise) detected by the Flying Squad in State

तक्ता-७ (रकाना क्रमांक ३ + ४ = ५ + ६ + ७ + ८)

Table-7 (column Nos. 3 + 4 = 5 + 6 + 7 + 8)

| विभागीय कार्यालय Divisional Office | वर्ष Year | कोर्टात वर्षारंभी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या Opening No. of Court Cases | वर्षभरात पकडलेल्या प्रकरणांची संख्या Total No. of Cases registered in Year | कोर्टात पाठविलेल्या प्रकरणांची संख्या Total No. of Cases submitted in Court | दोषमुक्त प्रकरणांची संख्या No. of dischar- ges Cases | सिद्धापराध प्रकरणांची संख्या No. of Cases in charges are proved | कोर्टात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या No. of Cases pending in Court | जप्त केलेल्या वस्तुंची अदमासे किंमत Approximate value of seized articles in Rs. | जप्त केलेल्या वस्तुंच्या विक्रीचे उत्पन्न Sale Proceed- ing of seized articles |
|---|--------------|---|--|---|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| सर्व जिल्ह्यांची एकूण | .. 2020-2021 | 41757 | 14465 | 14496 | 2905 | 222 | 43183 | 401803062 | 51013042 |
| आकडेवारी / All districts figures | 2021-2022 | 40913 | 13122 | 11888 | 2264 | 256 | 43844 | 491447909 | 38657545 |
| | 2022-2023 | 47221 | 15491 | 14063 | 2306 | 552 | 51430 | 2220095769 | 125836890 |

(सन २०२२-२०२३ ची आकडेवारी अंदाजित आहे).

द्रुतगती पथकाने पकडलेल्या दारूबंदी गुन्ध्यांची संपूर्ण राज्यातील वर्गनिहाय एकूण प्रकरणे

तक्ता-८ / TABLE-8

| विभागीय कार्यालय Divisional Office | वर्ष Year | निरीक्षण केलेल्या अनुज्ञप्त्यांची संख्या No. of Licences for Inspection | | अनुज्ञप्ती मिळालेल्या आणि न मिळालेल्या ताड झाडांची निरीक्षण आवश्यक संख्या No. of toddey trees to be inspected | अनुज्ञप्ती मिळालेल्या आणि न मिळालेल्या निरीक्षण केलेल्या ताड झाडांची संख्या No. of inspected Toddey trees | दृष्टोत्पत्तीस आलेल्या गंभीर नियमबाह्य बाबी Serious irregularities shown | |
|---------------------------------------|--------------|--|------------------------|---|---|--|-----|
| | | मुख्य Main | गौण Subsi- diary | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| सर्व जिल्ह्यांची एकूण | 2020-2021 | .. | 5810 | 64 | 112818 | 31658 | 139 |
| आकडेवारी / All districts | 2021-2022 | .. | 6518 | 3626 | 122858 | 43311 | 151 |
| figures. | 2022-2023 | .. | 7418 | 3681 | 126708 | 56460 | 106 |

(सन २०२२-२०२३ ची आकडेवारी अंदाजित आहे).

कर्मचारीविषयक गोषवारा

| अ. क्र. Sr. No. | पदनाम | वेतनश्रेणी Pay Scale | आकृतिबंधानुसार मंजूर पदे (2021-2022) Approved post as per Restructure | | | Designation |
|------------------------------------|---|-------------------------|--|----------------------|---------------|--|
| | | | स्थायी Permanent | अस्थायी Temporary | एकूण Total | |
| 1 | 2 | 3 | 3(अ) | 4(ब) | 3(क) | 2 |
| राजपत्रित अधिकारी, वर्ग-1-- | | | | | | |
| 1 | आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. | .. S-30 : 144200-218200 | 1 | - | 1 | 1 Commissioner of State Excise Maharashtra State, Mumbai. |
| 2 | अपर आयुक्त | .. S-27 : 118500-214100 | 1 | - | 1 | 2 Additional Commissioner |
| 3 | सहायक आयुक्त | .. S-23 : 67700-208700 | 2 | - | 2 | 3 Joint Commissioner |
| 4 | मुख्य लेखा अधिकारी | .. S-23 : 67700-208700 | 1 | - | 1 | 4 Chief Account Officer |
| 5 | उपआयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) | .. S-23 : 67700-208700 | 10 | - | 10 | 5 Deputy Commissioner (Senior Grade) |
| 6 | संचालक (दक्षता व अंमलबजावणी).. | S-23 : 67700-208700 | 1 | - | 1 | 6 Director (Vigilance and Enforcement) |
| 7 | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (निवडश्रेणी). | S-23 : 67700-208700 | 4 | - | 4 | 7 Superintendent of State Excise (Selection Grade). |
| 8 | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क | .. S-20 : 56100-177500 | 32 | - | 32 | 8 Superintendent of State Excise |
| 9 | उपआयुक्त (कनिष्ठ श्रेणी) | .. S-20 : 56100-177500 | 2 | - | 2 | 9 Deputy Commissioner (Lower Grade) |
| 10 | उपसंचालक (सांख्यिकी व संगणक).. | S-20 : 56100-177500 | 1 | - | 1 | 10 Deputy Director (Statistics and Computer) |
| राजपत्रित अधिकारी वर्ग-1 एकूण .. | | | 55 | - | 55 | Gazetted Officer Class-1 Total |
| राजपत्रित अधिकारी, वर्ग-2-- | | | | | | |
| 1 | लेखाधिकारी | .. S-16 : 44900-142400 | 9 | - | 9 | 1 Accounts Officer |
| 2 | उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क.. | S-15 : 41800-132300 | 21 | 27 | 48 | 2 Deputy Superintendent, State Excise |
| 3 | सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. | S-15 : 41800-132300 | 12 | - | 12 | 3 Assistant Commissioner, State Excise |
| 4 | सहायक लेखाधिकारी | .. S-15 : 41800-132300 | 10 | - | 10 | 4 Assistant Accounts Officer |
| 5 | निरीक्षण, राज्य उत्पादन शुल्क | .. S-14 : 38600-122800 | 200 | 54 | 252 | 5 Inspector, State Excise |
| राजपत्रित अधिकारी वर्ग-2 एकूण .. | | | 252 | 81 | 333 | Gazetted Officer, Class-2 Total |

कर्मचारीविषयक गोषवारा-चाळू

| अ. क्र. Sr. No. | पदनाम | वेतनश्रेणी Pay Scale | ग्रेड वेतन Grade Pay | आकृतिबंधानुसार मंजूर पदे (2021-2022) Approved post as per Restructure | | एकूण Total | Designation |
|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|---------------|---|
| | | | | स्थायी Permanent | अस्थायी Temporary | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4(अ) | 4(ब) | 4(क) | 2 |
| अराजपत्रित अधिकारी, वर्ग-3-- | | | | | | | |
| 1 | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) | .. S-15 : 41800-132300 | | 3 | - | 3 | 1 Stenographer (Higher Grade) |
| 2 | कार्यालय अधीक्षक | .. S-14 : 38600-122800 | | 54 | - | 54 | 2 Office Superintendent |
| 3 | संशोधन सहायक (संगणक) | .. S-14 : 38600-122800 | | 2 | - | 2 | 3 Research Assistant (Computer) |
| 4 | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) | .. S-14 : 38600-122800 | | 16 | - | 16 | 4 Stenographer (Lower Grade) |
| 5 | उपलेखापाल | .. S-13 : 35400-112400 | | 10 | - | 10 | 5 Deputy Accountant |
| 6 | दुयम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. | .. S-12 : 32000-101600 | | 469 | 429 | 898 | 6 Sub-Inspector, State Excise |
| 7 | लेखापाल | .. S-8 : 25500-81100 | | 19 | - | 19 | 7 Accountant |
| 8 | टिप्पणी सहायक | .. S-8 : 25500-81100 | | 24 | - | 24 | 8 Noting Assistant |
| 9 | वरिष्ठ लिपिक | .. S-8 : 25500-81100 | | 66 | - | 66 | 9 Senior Clerk |
| 10 | लघुटंकलेखक | .. S-8 : 25500-81100 | | 38 | - | 38 | 10 Steno-Typist |
| 11 | लिपिक-नि-टंकलेखक | .. S-6 : 19900-63200 | | 276 | - | 276 | 13 Clerk-cum-Typist |
| 12 | सहायक दुयम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. | .. S-7 : 21700-69100 | | 99 | 123 | 222 | 14 Assistant Sub-Inspector, State Excise (Special Pay). |
| 13 | राज्य उत्पादन शुल्क, शिपाई (जवान). | S-6 : 19900-63200 | | 844 | 593 | 1437 | 15 Constable, State Excise |
| 14 | शिपाई चालक | .. S-6 : 19900-63200 | | 252 | - | 252 | 16 Driver-cum-Constable |
| | | | | 2172 | 1145 | 3317 | Non-Gazetted, Class-3 Total |
| अराजपत्रित वर्ग-३ एकूण .. | | | | 2172 | 1145 | 3317 | |

कर्मचारीविषयक गोपवारा--चालू

| अ. क्र. Sr. No. | पदनाम | वेतनश्रेणी Pay Scale | ग्रेड वेतन Grade Pay | आकृतिबंधानुसार मंजूर पदे (2021-2022) Approved post as per Restructure | | Designation |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| | | | | स्थायी Permanent | अस्थायी Temporary | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4(अ) | 4(ब) | 2 |
| अराजपत्रित कर्मचारी, वर्ग-४-- | | | | | | |
| 1 | दफ्तर बंद | .. | S-3 : 16600-52400 | 3 | - | 1 |
| 2 | पट्टा नाईक | .. | S-3 : 16600-52400 | 8 | - | 2 |
| 3 | आवेष्ट | .. | S-3 : 16600-52400 | 2 | - | 3 |
| 4 | चपराशी | .. | S-1 : 15000-47600 | 120 | - | 4 |
| | | | | 133 | - | 133 |
| अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग-४ एकूण .. | | | | 2612 | 1226 | 3838 |
| एकूण पदांची संख्या .. | | | | 2612 | 1226 | 3838 |
| | | | | Total Non-Gazetted EmployeesClass-4 | | Total Number of Posts |

विभागाच्या कार्यालयाची माहिती २०२२

| अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव | आयुक्त कार्यालय | विभागीय उपआयुक्त कार्यालय | जिल्हा अधीक्षक कार्यालय | क्षेत्रीय उपअधीक्षक कार्यालय | क्षेत्रीय निरीक्षक कार्यालय |
|--------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १ | मुंबई शहर | १ | ० | १ | ० | १२ |
| २ | मुंबई उपनगर | ० | ० | १ | ० | १६ |
| ३ | ठाणे | ० | १ | १ | १ | १३ |
| ४ | पालघर | ० | ० | १ | ० | ५ |
| ५ | रायगड | ० | ० | १ | ० | ७ |
| ६ | पुणे | ० | १ | १ | २ | १७ |
| ७ | अहमदनगर | ० | ० | १ | ० | ७ |
| ८ | सोलापूर | ० | ० | १ | ० | ६ |
| ९ | नाशिक | ० | १ | १ | ० | १० |
| १० | धुळे | ० | ० | १ | ० | ४ |
| ११ | नंदुरबार | ० | ० | १ | ० | ३ |
| १२ | जळगाव | ० | ० | १ | ० | ५ |
| १३ | कोल्हापूर | ० | १ | १ | ० | ९ |
| १४ | सातारा | ० | ० | १ | ० | ४ |
| १५ | सांगली | ० | ० | १ | ० | ५ |
| १६ | रत्नागिरी | ० | ० | १ | ० | ६ |
| १७ | सिंधुदुर्ग | ० | ० | १ | ० | ४ |
| १८ | औरंगाबाद | ० | १ | १ | ० | ६ |
| १९ | जालना | ० | ० | १ | ० | ३ |
| २० | लातूर | ० | ० | १ | ० | २ |
| २१ | बीड | ० | ० | १ | ० | ३ |
| २२ | उस्मानाबाद | ० | ० | १ | ० | ४ |
| २३ | परभणी | ० | ० | १ | ० | २ |
| २४ | हिंगोली | ० | ० | १ | ० | १ |
| २५ | नांदेड | ० | ० | १ | ० | ५ |
| २६ | नागपूर | ० | १ | १ | ० | १० |
| २७ | अमरावती | ० | ० | १ | ० | ५ |
| २८ | अकोला | ० | ० | १ | ० | ३ |
| २९ | वाशिम | ० | ० | १ | ० | १ |
| ३० | यवतमाळ | ० | ० | १ | ० | ४ |
| ३१ | वर्धा | ० | ० | १ | ० | १ |
| ३२ | चंद्रपूर | ० | ० | १ | ० | ४ |
| ३३ | गडचिरोली | ० | ० | १ | ० | ४ |
| ३४ | भंडारा | ० | ० | १ | ० | ३ |
| ३५ | गोंदिया | ० | ० | १ | ० | ३ |
| ३६ | बुलडाणा | ० | ० | १ | ० | ४ |
| | एकूण | १ | ६ | ३६ | ३ | २०१ |

कार्यक्रम-२

अफूची खरेदी

प्रस्तावनात्मक टिपणी :—

मुंबई दारूबंदी कायदा, १९४९ मधील कलम १७ व नारकोटिक ड्रग्स अॅण्ड सायकोट्रापिक सबस्टन्सेस कायदा, १९८५ मधील कलम ८ अनुसार महाराष्ट्र राज्यात अफू बाळगणे, वाहतूक करणे, आयात करणे, निर्यात करणे / विकणे किंवा खरेदी करणे सेवन करणे किंवा वापरणे यावर बंदी आहे.

नारकोटिक ड्रग्स अॅण्ड सायकोट्रापिक सबस्टन्सेस कायदा, १९८५ मधील कलम १० अनुसार वैद्यकीय कारणासाठी अफूचा पुरवठा करता येतो व यासाठी शासनाने दि महाराष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स अॅण्ड सायकोट्रापिक सबस्टन्सेस नियम, १९८५ अंतर्गत अफूचा पुरवठा वैद्यकीय कारणासाठी करण्याची तरतूद केली आहे. सदर नियमाच्या नियम २० नुसार वैद्यकीय कारणासाठी अफूचा पुरवठा परवानाधारकांना करण्यात येतो.

या अफूची खरेदी नियम २५ नुसार गव्हर्नमेंट ओपियम अॅण्ड अल्काईड वर्क्स अंडरटेकिंग, गाझिपूर, उत्तर प्रदेश यांचेकडून करण्यात येते. सदर अफूचा साठा गाझिपूर येथून मुंबईतील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बोरीबंदर एक्सार्ज स्टेशन, मुंबई-४०० ००१ येथे असलेल्या ड्रगडेपो येथे येतो व तेथून या राज्यात अफूचा पुरवठा करण्यात येतो.

| पाकिटाचे वजन अफू | विक्रीची किंमत | ३२.५० टक्के दराने वसूल करण्यात येणारा विक्रीकर | एकूण किंमत |
|---------------------|----------------|---|------------|
| ग्रॅम | रु. पैसे | रु. पैसे | रु. पैसे |
| ५.०० | ५०.०० | १७.०० | ६७.०० |
| एकूण ५.०० | ५०.०० | १७.०० | ६७.०० |

दोन-वित्तीय आवश्यकता

- (१) सन २०१७-२०१८ सालासाठी ६५ कि. ग्रॅम अफूची मागणी करण्यात आली असून सन २०१६-१७ साठी ५५.५० कि. ग्रॅम अफू मंजूर झाली आहे. ती या कार्यालयास प्राप्त झाली आहे.
- (२) सन २०१८-१९ या वर्षासाठी ६० कि. ग्रॅम अफूची मागणी करण्यात आली असून सन २०१७-२०१८ साठी ५९ कि. ग्रॅम अफू मंजूर झाली आहे. ती या कार्यालयास प्राप्त झाली आहे.
- (३) सन २०१९-२०२० या वर्षाकरिता ५४ कि. ग्रॅम अफू मंजूर झाला होता. त्यापैकी प्रथम २६ कि. ग्रॅम व नंतर २९ कि. ग्रॅम असा एकूण ४७ कि. ग्रॅम अफू या कार्यालयास प्राप्त करण्यात आला.
- (४) सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरिता ३५.९५२ कि. ग्रॅम अफू मंजूर झाला असून त्याकरिता रुपये १,१९,०१५/- एवढा खर्च झाला.
- (५) सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता ३४.०० कि. ग्रॅम अफूची आवश्यकता भासणार आहे. त्यासाठी एकूण रुपये १,३०,०००/- एवढ्या खर्चाची आवश्यकता भासणार आहे.

(तीन) कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा सारांश आणि वित्तीय आवश्यकतांचे स्पष्टीकरण

(III) Programme Work Load Summary and Explanation of Financial Requirement

महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या तालुक्याच्या मुख्य ठिकाणी, मादक द्रव्ये (अफू गांजा व भांग) विकण्याची २० भांडारे आहेत. सदर भांडारांना अफूचा पुरवठा हेम्प, ड्रगज आणि ओपियम पॅकिंग पुरवठा भांडार बोरीबंदर, एक्साईज स्टेशन, मुंबई येथून केला जातो. परवानेधारकांना स्वतःच्या उपयोगासाठी व अनुज्ञप्तिधारकांना अफूचा समावेश असलेली औषधे बनविण्यासाठी केला जातो. अफूयुक्त औषधांवर, औषधी आणि सौंदर्यप्रसाधन पदार्थ (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ नुसार उत्पादन शुल्क आकार यात येते. औषध विक्रीचा डेपोकडून मागणीपत्र आल्यानंतर अफूची विक्री ही खाली दर्शविलेल्या निरनिराळ्या वजनाच्या पाकिटातून केली जाते.

शासकीय अफू व अल्काईड वर्क्स, गाझीपूर यांच्याकडून हेम्प, ड्रगज आणि ओपियम पॅकिंग पुरवठा भांडार, बोरीबंदर एक्साईज स्टेशन, मुंबई यांनी किती अफूची खरेदी केली व त्याचा पुरवठा महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या मुख्य विक्री भांडारांना किती करण्यात आला, याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.—

तक्ता-२

| वर्ष | वर्षारंभी शिल्लक असलेला अफूचा साठा | किंमत | विकत घेतलेला अफू | किंमत | इतर मार्गाने मिळालेला अफू | किंमत | जिल्ह्यातील भांडारांना करण्यात आलेला अफूचा पुरवठा | किंमत |
|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---|---------------------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| | किलोग्रॅम Kg. | रु. पैसे Rs. Ps. | किलोग्रॅम Kg. | रु. पैसे Rs. Ps. | किलोग्रॅम Kg. | रु. पैसे Rs. Ps. | किलोग्रॅम Kg. | रु. पैसे Rs. Ps. |
| 2018-2019 ... | — | — | 59 | 1,87,068 | — | — | 59 | 1,87,068 |
| 2019-2020 ... | — | — | 31 | 1,73,418 | — | — | 47 | 1,53,000 |
| 2021-2022 ... | — | — | 35.952 | 1,19,015 | — | — | 35.952 | 1,19,015 |

सन २०२२-२०२३ अफूचा नवीन परवाना देण्यास बंदी असल्याने सन २०२२-२०२३ सालासाठी अंदाजे ३४.२३ किलोग्रॅम अफूची आवश्यकता आहे असे गृहित धरावे.

कार्यक्रम - ३

००३९ - राज्य उत्पादन शुल्क जमा होणारा महसूल

तक्ता-१

(रुपये कोटीत)

| अ. क्र. | विभाग | जिल्हा | २०२०-२०२१ मधील प्रत्यक्ष | २०२१-२०२२ मधील प्रत्यक्ष-अंदाजित | २०२२-२०२३ मधील अंदाजित |
|---------|-----------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १ | कोकण विभाग | मुंबई शहर | १३३.४४ | ६०.०८ | ६५.५५ |
| | | मुंबई उपनगरे | ३७३.२९ | २२८.६२ | २४९.४३ |
| | | ठाणे | २४४.१६ | १९०.२९ | २०७.६१ |
| | | पालघर | ८७९.८७ | १०५६.७७ | ११५२.९४ |
| | | रायगड | ८४४.८० | ९०७.६५ | ९९०.२४ |
| | | एकूण | २४७५.५६ | २४४३.४१ | २६६५.७६ |
| २ | पुणे विभाग | पुणे | १८२५.६० | १९२६.४३ | २१०१.७४ |
| | | अहमदनगर | १४५४.५२ | १८२५.०२ | १९९१.०९ |
| | | सोलापूर | १०९.२५ | ९८.१० | १०७.०२ |
| | | एकूण | ३३८९.३७ | ३८४९.५४ | ४१९९.८५ |
| ३ | नाशिक विभाग | नाशिक | ३४५२.१४ | ४५८६.८३ | ५००४.२३ |
| | | धुळे | ११.०३ | २.२३ | २.४४ |
| | | नंदूरबार | ११.८७ | ८.३९ | ९.१५ |
| | | जळगाव | १८.६५ | ५.०८ | ५.५४ |
| | | एकूण | ३४९३.६९ | ४६०२.५३ | ५०२१.३६ |
| ४ | कोल्हापूर विभाग | कोल्हापूर | २२२.४२ | २०३.६३ | २२२.१६ |
| | | सातारा | ११४.६५ | १०८.९८ | ११८.८९ |
| | | सांगली | ३२४.३६ | ३६७.४० | ३९९.८३ |
| | | रत्नागिरी | १०.८५ | ६.६९ | ८.३० |
| | | सिंधुदुर्ग | १८.१४ | १४.६४ | १५.९७ |
| | | एकूण | ६९०.४२ | ७०१.३४ | ७६५.१६ |

कार्यक्रम - ३--चालू

००३९ - राज्य उत्पादन शुल्क जमा होणारा महसूल

तक्ता-१

(रुपये कोटीत)

| अ. क्र. | विभाग | जिल्हा | २०२०-२१ मधील प्रत्यक्ष जमा | २०२१-२२ मधील प्रत्यक्ष-अंदाजित | २०२२-२३ मधील अंदाजित |
|---------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| ५ | औरंगाबाद विभाग | औरंगाबाद | ३७०८.५४ | ३६९९.८२ | ४०३६.५० |
| | | जालना | ९.९६ | १.७७ | १.९३ |
| | | परभणी | ६.२१ | १.५२ | १.५६ |
| | | हिंगोली | २.३७ | ०.५९ | ०.६५ |
| | | बीड | १२.५३ | २.५८ | २.६२ |
| | | नांदेड | ५२३.७६ | ५३८.४८ | ५८७.३८ |
| | | उस्मानाबाद | १२१.६४ | ६८.९८ | ७४.१६ |
| | | लातूर | १३.९७ | ३.२८ | ३.५८ |
| | | एकूण | ४३९८.९८ | ४३१७.०३ | ४७०८.३८ |
| ६ | नागपूर विभाग | नागपूर | ५१०.४१ | ४५७.५० | ४९९.१३ |
| | | वर्धा | ०.०५ | ०.०२ | ०.०२ |
| | | भंडारा | ५.०० | १.३३ | १.४५ |
| | | गोंदिया | ६.९९ | १.८६ | २.०३ |
| | | चंद्रपूर | ०.००१ | १३.९१ | १६.१८ |
| | | गडचिरोली | ०.००४ | ०.०० | ०.००००३ |
| | | बुलडाणा | १०.०७ | १.२० | १.३० |
| | | अकोला | ७०.४१ | ५०.०८ | ५३.६४ |
| | | वाशिम | ३.६२ | ०.५९ | ०.६५ |
| | | अमरावती | २०.९४ | ८.०४ | ८.७७ |
| | | यवतमाळ | ५७.३७ | ५१.६२ | ५६.३१ |
| | | एकूण | ६८४.८७ | ५८६.१५ | ६३९.४९ |
| ७ | आयुक्त, कोषागार/ इतर राज्य. | | ० | ०.०० | ०.०० |
| | | महाराष्ट्र एकूण | १५१३२.८९ | १६५००.०० | १८०००.०० |

येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे-६